राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4	विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दूसरा दिवस	संख्या 2

मंगलवार

दिनांक 25 फरवरी, 1969.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, चिकित्सा, समाज-कल्याण, आबकारी, विद्युत, सिंचाई, खाद्य, वन, वित्त, श्रम विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री दिग्विजय सिंह ।

सरपंच ग्राम पंचायत ककोड़ के विरुद्ध जांच

1. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, ककोड़, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक, के विरुद्ध धन का दुरुपयोग करने के आरोप थे ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, टोंक द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच से उक्त सरपंच को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो फिर जिलाधीश ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त सरपंच को सस्पेंड कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? उसे चार्जशीट दी गई थी ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सत्य है कि अब फिर एस० डी० ओ० टोंक द्वारा जांच करवाई जा रही है ? यदि हां, तो कब पूर्ण हो जावेगी ?

Page No 2

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) जी हां, जांच जिला विकास अधिकारी द्वारा की गई है। प्रारंभिक जांच से सरपंच के विरुद्ध रकम का दुरुपयोग तथा अनियमित कार्य करने के आरोप पाए गए।

(3) जी हां। जिलाधीश ने सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरंभिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

(4) जी हां। दिनांक 4-6-68 को निलंबित किया गया। आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) एस० डी० ओ० टोंक से विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच शीघ्र पूरी होने की आशा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : मुझे चार्जशीट की प्रति नहीं मिली है और दूसरे प्रश्न में कहा है कि कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें, उसकी भी सूचना मुझे नहीं मिली है। तो आगे क्या कहा जाय ! दोनों प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के तहत राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। मैंने विधि विभाग से राय ले ली है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायं।

श्री दिग्विजयसिंह : चार्जशीट की प्रति तो मिलनी चाहिए। आपने उत्तर में कहा है कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने रिपोर्ट और चार्ज-शीट दोनों मांगी हैं। चार्जशीट सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री दिग्विजयसिंह : वह भी उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) नहीं मिली है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रकार से जो रिपोर्ट है वह और चार्जशीट, दोनों प्रस्तुत नहीं की जायेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौनसी सीक्रेसी है या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी कौनसी बात है जिसके कारण से सरकार इस प्रकार की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने से घबराती है ? क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार घबराती नहीं है। लेकिन ऐसा कन्वेन्शन रहा है उसके बाद में राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा 17 (4) के तहत जो नियम बने हुए हैं, उनके अंदर आगे इस कार्यवाही को करने का प्रावधान है। उसमें डिटेल्ड इन्क्वायरी होती है। जब डिटेल्ड इन्क्वायरी चल रही है तो उसको अंतिम रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। इसलिए जब तक जांच पूरी न हो जाय तब तक कहा नहीं जा सकता कि वह दोषी है या नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : जांच रिपोर्ट जो मांगी है वह कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। यह तो अधिकारी से भी प्राप्त की जा सकती हैं। आप कहते हैं कि यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। हो सकता है कि आप सरपंच को वचाने के लिए ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं। जब प्राइमाफेसी एम्बेजलमेंट सावित हो गया तो······

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच को वचाने का प्रश्न नहीं है। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को······

(व्यवधान-कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न मैं रख रहा हूं, वह पोंइट आफ ग्रार्डर है। इस सदन से हरेक चीज सीक्रेट कहकर छिपाई नहीं जा सकती। इन्टरनेशनल लॉ के अंदर जहां संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, वहां सीक्रेसी हो सकती है। लेकिन गृह समस्याओं पर कोई सीक्रेसी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सीक्रेसी के नियम निर्धारित करें।

श्री परसराम मदेरणा : मैने सीक्रेसी की वात नहीं कही। मैंने कहा था कि जो कुछ भी इन्क्वायरी विधान सभा के नियमों के अंतर्गत विधान सभा के ऑर्डर से हुई हो तो सरकार पर आब्लीगेटरी है कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखे लेकिन क्योंकि यह इन्क्वायरी विधान सभा के आर्डर से नहीं हुई है इसलिए राज्य सरकार पर आब्लीगेटरी नहीं है कि इस प्रकार की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखे। इसलिए हमने उचित समझा कि यह रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की जाय।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपका कहना बिल्कुल गलत है कि विधान सभा के ऑर्डर से जो जांच होगी उसी ही की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जा सकती है। यह जो वेरी रिपोर्ट आज सदन में रखी जा रही है वह विधान सभा के ऑर्डर से नहीं रखी जा रही। यह कन्वेन्शन्स और ट्रेडीशन्स की बात है कि सरकार इस सदन से कोई बात न छिपाए। यह ग्रापका ग्राधार गलत है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। इसके बाद में फाइनल रिपोर्ट अवशेष है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्क्वायरी ऑफिसर एपोइंट किया है, वह जांच कर रहा है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार के पास आई 17(4) के अंतर्गत, सरकार सैटिसफाई हो गई, उनके खिलाफ एलीगेशन्स साबित हो गई तो चार्जशीट दिया गया उसके साथ साथ इन्क्वायरी आफिसर नियुक्त किया गया जो जांच कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जो आएगी वही इन्क्वायरी रिपोर्ट होगी।

श्री दिग्विजयसिंह : जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपने की है, उसके परिणामस्वरूप जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर आपने उनको सस्पेंड किया। इससे साबित होता है कि गवन है तो बजाय इन्क्वायरी के उनका प्रासीक्यूशन क्यों नहीं किया गया ? दुबारा जांच एस० डी० ओ० से करवाने की क्या जरूरत पड़ी ?

Page No 4

श्री परसराम मदेरणा : नियम 20 के अन्तर्गत जांच होती है और इन्क्वायरी रिपोर्ट नियम 21 के तहत होती है। राज्य सरकार ने उचित समझा और प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी का जब स्पष्टीकरण मांगा तो दूसरे प्रकार का स्पष्टीकरण आया। उसके आधार पर इस केस में प्रासीक्यूशन की सैंक्शन देना राज्य सरकार ने उचित नहीं समझा लेकिन विस्तृत जांच करना राज्य सरकार ने उचित समझा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सदस्य ने बताया कि जो चार्जशीट सरपंच को दी गई है उसकी प्रति उनके पास नहीं है तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आरोप उनके खिलाफ काफी हैं। 8 आरोप हैं। आप कहें तो मैं पढ़ कर सुनाऊं या सदन की मेज पर रखूं।

(चार्ज-शीट की प्रति सदन की मेज पर रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।

धौलपुर सदर अस्पताल

2. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) धौलपुर सदर अस्पताल में कितने डॉक्टरों की स्ट्रेन्थ है ?

(2) उस स्ट्रेन्थ में से कितने डॉक्टर अभी अस्पताल में कार्य कर रहे हैं ?

(3) क्या उक्त अस्पताल में अलग से एक सर्जन एवं एक आंखों के डॉक्टर की पोस्ट भी है ? यदि हां, तो आजकल कौनसा सर्जन वहां कार्य कर रहा है और कौनसा आंखों का डॉक्टर कार्य कर रहा है ? कृपया उनके नाम बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि धौलपुर का यह अस्पताल उधर के एरिया में आंखों के इलाज में मशहूर है ? यदि हां, तो फिर भी वहां आंखों का डॉक्टर क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) :

(1) सदर अस्पताल धौलपुर में 8 सी. ए. एस. डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं।

(2) इस अस्पताल में केवल 6 सी. ए. एस. डाक्टर कार्य कर रहे हैं। एक सी. ए. एस. डाक्टर स्तीफा देकर चला गया है।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री बनवारीलाल : जब स्वास्थ्य मंत्री धौलपुर पधारे थे तो जनता ने मांग की थी कि वहां पर आंखों के डॉक्टर की आवश्यक्ता है और वहां पर मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि आंखों का डॉक्टर रख दिया जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : आंखों का डॉक्टर जब उपलब्ध हो जायेगा तो वहां रख देंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : कब तक हो जायेगा ? इसकी कोई डेट है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपलब्ध होने की कोई डेट नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : वर्ष तो है या नहीं ?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना): आपने प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में कहा कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, माननीय मंत्राणीजी ने कहा कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, तो क्या हम यह समझें कि वहां पर आंखों के रोगी नहीं आते हैं ? तो प्रश्न कैसे उत्पन्न नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कैसे उत्पन्न नहीं होता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पद आज स्वीकृत हैं उनमें स्पेशलिटीवाइज पद स्वीकृत नहीं हैं, इसलिये आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, फिर भी वहां एक डाक्टर एम. डी. है और एक एम. एस. है। आश्वासन यह दिया था कि जैसे ही कोई डी. ओ. एम. एस. या आखों का स्पेशलिस्ट मिल जायेगा तो रख लिया जायेगा। वैसे आज भी वहां एक एम. डी. और एक एम. एस. काम कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): तो यह आश्वासन आपने किस आधार पर दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आश्वासन केवल यही दिया था कि जैसे ही कोई ओप्थलमोलोजिस्ट मिल जाय तो रख देंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : तो कौनसे सन् में रख दिया जायेगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : 1972 में।

श्री बनवारीलाल : क्या पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि इस अस्पताल को बी ग्रेड में लाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी नहीं।

श्री बनवारीलाल : आश्वासन दिया गया था कि आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालौर में अनुसूचित जातियों के लिये बजट प्रावधान

3. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. क्या यह सत्य है कि जिला जलोर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिये सरकार द्वारा अब तक सबसे कम बजट का प्रावधान किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि जिला जालौर में ऐसी जातियों की जनसंख्या काफी अधिक है, परन्तु फिर भी उसके कल्याण के लिये सामाज कल्याण विभाग द्वारा कम प्रवृत्तियां चलाई गई ? अगर हां, तो क्यों ?

2. क्या सरकार भविष्य में जिला जालौर में समाज कल्याण विभाग द्वारा ज्यादा प्रवृत्तियां चलाने के लिये अधिक बजट प्रावधान रखने का विचार रखती है ?

Page No 6

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालौर की पंचायत समितियों में समाज कल्याण विभाग के बजट का उपयोग समय पर नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? इसके बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विशम्भरनाथ जोशी) :

(1) जी नहीं, जिलेवार पृथक से प्रावधान नहीं किया जाता है। फिर भी जालौर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिये संचालित प्रवृत्तियां जनसंख्या को देखते हुए कई जिलों से अधिक हैं।

(2) चूंकि जिलेवार बजट का प्रावधान नहीं होता, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जिला जालौर की पंचायत समितियों को आवंटित अधिकांश रकम व्यय की जा चुकी है। पंचायत समितियों को हस्तांतरित धनराशि के व्यय की जिम्मेदारी पंचायत समितियों की ही होती है। जो रकम पंचायत समितियों के निजी खाते में रखी हुई है व खर्च नहीं होती है उसे राज्य सरकार के कोष में वापस जमा कराने के लिये समय समय पर निदेश दिये जाते रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे कौनसे जिले हैं जिन के लिये आप कह रहे हैं कि वहां पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या ज्यादा है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक के मुकाबले आबादी के अनुपात में आपके जिले में ज्यादा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आबादी कितनी है, आपने देखा है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जी।

श्री अध्यक्ष : कितनी है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आपकी टोंक के मुकाबले में क्या आबादी है ? जालौर में कुल आबादी है 5,47,072 जिसमें से अनुसूचित जाति के हैं 90, 650 और अनुसूचित जन जातियों की आबादी है 44,128 जो कि 8 प्रतिशत होता है। झालावाड़ में अनुसूचित जातियां हैं 10.50 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियां 16.93 प्रतिशत। सवाई माधोपुर में अनुसूचित जातियां 20. 37 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियां 22.15 प्रतिशत। टोंक मे अनुसूचित जातियां 21.25 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियां 11.59 प्रतिशत। झालावाड़ में केवल एक छात्रावास अनुदानिक है और 4 छात्रावास राजकीय हैं। सवाई माधोपुर में 5 अनुदानिक और 3 राजकीय, टोंक में 2 अनुदानिक और 1 राजकीय। तो टोंक में केवल तीन हैं जब कि आपके जालौर के अन्दर एक सांचौर में और एक जालौर में ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचौर के लिये तो पैसा अभी तक नहीं दिया गया। आपने केवल सूची में नाम लिख दिया। केवल जालौर और भीनमाल में चल रहे हैं। आप कहते हैं कि पंचायत समितियों को पैसा देते हैं और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं

Page No 7

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रहती । तो क्या राज्य सरकार का कोई कर्त्तव्य ·······

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पंचायत समितियां आटोनामस वाडीज हैं, इसलिये हम उनको किसी तरीके से कम्पेल नहीं कर सकते लेकिन रिमाइन्डर्स भेजते रहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिमान्इडर्स का प्रश्न नहीं है आपके ऑफिसर्स वहां रहते हैं जिलों में, उनकी क्या ड्यूटी है? अगर पंचायत समिति खर्च नहीं करती तो आप ऐक्शन क्यों नहीं लेते ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमारे विभागाधिकारियों का पंचायत समितियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है, वे केवल सम्पर्क करके निवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपके जिला अधिकारियों ने कब कब निवेदन किया और पंचायत समितियों ने कब कब नहीं माना यह बता सकते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन रकमों के बारे में विभाग के द्वारा कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता, नतीजा यह होता है कि सारी रकम बिना खर्च किये पड़ी रहती है या दूसरे मद में खर्च कर देते हैं, और विभाग के कर्मचारी बैठे रहते हैं, काम नहीं करते। वे परसू नहीं करते और रकम दूसरे मदों में खर्च हो जाती है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मंत्री महोदय ने बताया कि आबादी का आधार नहीं है, तो फिर क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्नों का साथ उत्तर दे दें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैंने कहा था कि केवल आबादी ही आधार नहीं है। वहां की आवश्यकताओं का भी आधार है, वहां से मांग आती है उसका भी आधार रहता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मांग के अनुसार तो आप देते नहीं हैं।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अधिकारी काम नहीं करते, लेकिन अधिकारियों को पावर्स नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आप फालतू ही अधिकारियों को प्रोटेक्ट करते हैं। आप आंकड़े मंगाकर देखिये तो आपको मालूम हो जायेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य इस प्रकार के कोई तथ्यों की जानकारी देंगे तो अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप आंकड़े मंगा लीजिये तो आपको मालूम हो जायेगा और सारी जानकारी हो जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लीजिये तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जायेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बजट में जो प्रोवीजन होता है वह खर्च किया जाता है और आप इस पोजीशन को स्वीकार करेंगे कि पंचायत समिति जो एक ऑटोनामस बाडी है उन पर विभाग का या सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है, वे केवल रिमाइन्ड ही कर सकते है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भी इस बात पर सोच रही है कि यदि पंचायत समिति इस काम में दिलचस्पी नहीं लेती है तो हमें क्या करना चाहिये ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। आपके अधिकारी पंचायत समिति में नहीं जाते हैं, पंचायत समितियों को सलाह नहीं देते और उनको पता ही नहीं रहता, और मिनिस्टर्स का दिमाग ऐसा बनाते हैं कि पंचायत समितियां काम नहीं करतीं। आपके ट्राइबल ब्लाक्स में कभी आपके अधिकारी गये ? वे कोई सलाह नहीं देते और पंचायत समिति खर्चा नहीं कर पा रही है। फिर भी आप पंचायत समितियों की शिकायत करते हैं और अधिकारियों को प्रोटेक्ट करते हैं। यह पंचायत राज के खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री दौलतराम सारण : आप आंकड़े मंगा लीजिये कि आपके अधिकारी कब कब वहां गये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पंचायत समिति की रकम उनके पी० डी० अकाउन्ट में ट्रांस्फर कर देने के बाद विभाग का कोई अधिकार उन पर नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। प्रश्न बड़ा सीधा सा है। जैसा आपने कहा रकम दे दी जाती है लेकिन वह खर्च नहीं करते हैं। सदन की व्यग्रता यह है कि कहां कहां रकम दी गयी है और कहां कहां खर्च नहीं की गयी है और खर्च की गयी है तो आपके विभाग ने क्या सतर्कता बरती उनको खर्च करने के सम्बन्ध में। इसका एक स्टेटमेंट आप दे दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि आपका विभाग प्रस्तावित योजना से बहुत कम पैसा देता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग उतने पैसों में काम नहीं कर पाते हैं इसलिये पैसा पड़ा रहता है और खर्च नहीं करते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हरएक प्रवृत्ति के लिये अलग अलग धनराशि नियत है और वह दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : उस स्टेटमेंट में यह प्रश्न भी ले लीजिये कि दरअसल वह धनराशि पर्याप्त है या नहीं।

नैक्स्ट। आबकारी मंत्री।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : प्रश्न संख्या चार ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ले लिया है।

श्री लादूराम मुलानियां : उसके लिये क्या आदेश हुए ?

श्री अध्यक्ष : आदेश दे दिये गये हैं। अब प्रश्न पैदा नहीं होता।

जयपुर की देशी शराब की दुकानों में बकाया

4. **श्री विट्ठलभाई** (पीपल खूंट सु.) [श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया] : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में देशी शराब की कितनी दुकानें हैं और क्या उन दुकानदारों के नाम गारन्टी की रकम बकाया है ?

(2) यदि हां, तो किस किस में कितनी कितनी रकम सरकारी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमन्त्री आबकारी : (श्री शिवचरण सिंह) : (1) जयपुर शहर में ऐशी शराब की 10 दुकानें हैं। दुकानदारों के नाम गारन्टी की रकम 1,41,936,17 पैसे बकाया है :—

(2) बकाया रकम नियमानुसार इस प्रकार है :

श्री भूरे खां	1962-63	51,201)89
,, रहमत खां		
,, मांगीलाल		
,, बाबू खां		
,, मांगीलाल		
,, भंवर खां		
,, रहमत खां		
श्री सैयद हुसैन		
,, छोटू खां		
,, जहांगीराम		
,, जीवन खां		18,083)06
,, जान मोहम्मद		
,, जान मोहम्मद		
,, फैजू खां		
,, लालू खां		
,, खान महम्मद		
,, रहमत खां	1965-66	
,, बी.के. पंवार		
,, दीनमोहम्मद		
,, मुन्नू खां		
,, मांगीलाल		
,, भंवर खां		
,, अजीम खां		
,, लालू खां		
,, सुख		
,, अकबर खां		72,641)22
,, जानमोहम्मद		
,, लालमोहम्मद		
,, सुल्तान खां		
,, छोटू खां		
,, फैजू खां		
,, जानी खां		
,, राम		
,, सैयद हुसैन		
,, श्रीनारायण		
,, सुभाना खां		
बकाया राशि :		1,41,926)17

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : जो रकम आपने बाकी बतायी है उसमें क्या वह रकम भी शामिल है जो राइट ऑफ कर दी गयी है ?

श्री शिवचरण सिंह : इसमें वह रकम नहीं है। 62-63 की रकम का रेवेन्यू बोर्ड से स्टे आया हुआ है इसलिये वसूली का सवाल नहीं आता है। 65-66 में 72 हजार की रकम है। लिकर की सप्लाई नहीं होती है तो उसकी कार्यवाही चलती है।

श्री भैरोंसिंह : ग्राल रेडी राइट ऑफ कर दी गयी है ऐसी रकम तो नहीं है?

श्री शिवचरण सिंह : नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बाकी रकम ऐक्साइज नियमों के अनुसार ठेकेदार में बाकी रह जाती है। उन ठेकेदारों को नैक्स्ट ईयर का ठेका नहीं दिया जाता है। ऐसा नियम है तो उन्हीं ठेकेदारों को दुबारा ठेका क्यों दिया गया ?

श्री शिवचरण सिंह : 62-63 और 63-64 की रकम का रिट कर रखा है और रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे कर रखा है। 65-66 की बकाया रकम के लिये राज्य सरकार के समक्ष मामला विचाराधीन है क्योंकि लिकर इश्यू नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रेवेन्यू बोर्ड से स्टे कब जारी हुआ ?

श्री शिवचरण सिंह : साल की मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि 64-65 में ठेका दिया गया ? रेवेन्यू बोर्ड के स्टे के बाद कोई ठेका नहीं दिया गया।

श्री शिवचरण सिंह : 63-64 से जो रकम बकाया है उसका स्टे दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गारन्टी की बकाया रकम के सम्बन्ध में सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और उसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने निर्णय भी ले लिया ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : उन निर्णयों के अनुसार कितनी रकम वसूल हुई है ?

श्री शिवचरण सिंह : उसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : सूचना तो वही देनी थी।

श्री अध्यक्ष : आप जी हां, जी हां दोनों पर करते रहे तो अलग प्रश्न कहां हुआ ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य ने कमेटी के बारे में प्रश्न नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष : कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है। दो का जवाब दे दिया तो तीसरे का भी जवाब देना होगा।

श्री शिवचरण सिंह : वह मेरे पास इस समय नहीं है।

Page No 11

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो देना होगा। नहीं उत्तर है तो तैयार होकर आइये।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

नैक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम मांडवला के पीछ के लिये दी गई धनराशि का उपयोग

5. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मांडवला, तहसील जालोर के गांव के पीछ के पर पंचायत समिति सायला द्वारा 1500 रु० की धनराशि अनुदान में दी गई है तथा उतनी ही धनराशि गांव की जनता से ली गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उस धनराशि का एक तिहाई से भी कम उस पीछके पर लगाया गया है और शेष धनराशि सरपंच ने हड़प कर ली है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि गांव के मुखियान की ओर से दो रिपोर्ट पंचायत के विरुद्ध की गई जिसमें इस पीछके के पीछे हुए घोटाले का स्पष्ट विवरण है और जिस पर पंचायत मंत्री महोदया ने मामले की जांच कर एक महीने में रिपोर्ट मंगवाई थी परन्तु तीन महीने हो गये उसकी कोई जांच नहीं हुई है ?

(4) सरकार अब उस पर क्या ऐक्शन लेने का विचार रखती है और नहीं तो क्यों नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां। 2000 रु० का अनुदान दिया गया था।

(2) जी नहीं। सरपंच ने रु० 3,515.75 पैसे का हिसाब दिया है।

(3) जी हां, जांच रिपोर्ट अविलम्ब भेजने के लिये जिलाधीश को लिखा गया है।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जांच की रिपोर्ट कब मांगी ?

श्री परसराम मदेरणा : 68 में शिकायत की और अोक्टोबर में लिखा गया कि जांच कर रिपोर्ट पेश करें।

श्री मूलचन्द डागा : ओक्टोबर के बाद पांच महीने हो गये मामूली बात की जांच नहीं हुई उसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश को 16-1 और 23-1-69 को दो रिमाइन्डर दिये गये हैं। जिलाधीश वेल्यूएशन करवा कर रिपोर्ट दें यह कहा गया है। जिससे मालूम हो सके कि वह पैसा खर्च हुआ है या नहीं। जिलाधीश के पास ए० इ० एन० की रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार यह महसूस करती है कि आंकड़ों का हवाला देते हैं, आॅर्डर देते हैं उनकी तामील कलेक्टर नहीं करते हैं तो क्या सरकार ने किसी कलेक्टर को कोई वार्निंग दी है ?

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल क्वश्चन।

नैक्स्ट।

मीठवास और फूसखानी गांवों का विद्युतीकरण

6. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंडावा से चूड़ी अजीतगढ़ तक जो बिजली की लाइन गई है उस लाइन पर स्थित मीठवास और फूसखानी गांवों को अब तक इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि मंडावा से खालासी के वास को जो बिजली की लाइन गई हैं उसमें काश्तकारों के जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनमें जिनको प्रायोरिटी से बिजली मिल सकती थी उनसे 3000 रुपये लेकर कनेक्शन दिये गये जब कि जिनकी प्रायोरिटी भी नहीं थी और रुपये भी जमा नहीं थे उनको विभाग द्वारा कनेक्शन दिये गये ?

(3) क्या इस बास खालासी के गांव के इन काश्तकारों के भी आवेदन-पत्र कनेक्शन के लिये थे श्री बेगराज, श्री बेगाराम, श्री रतीराम और श्री धोंकलराम आदि और क्या इन लोगों के आवेदन-पत्र प्रायोरिटी में थे ? यदि हां, तो किस किस नम्बर पर दर्ज थे ? क्या इनसे तीन हजार रुपया प्रति आवेदक लिये जाकर कनेक्शन दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस गांव के किस किस आवेदक से तीन हजार रुपया लेकर कनेक्शन दिये गये तथा किस किस आवेदक को बिना रुपया जमा कराये कनेक्शन दिये गये ? इस गांव के कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे तथा उनमें से कितनों को बिजली दे दी गई है ?

उप मन्त्री (श्री खेतसिंह): (1) मंडावा से डूंडलोट मंडी तक 33 के० वी० की लाइन गई है। तथा उस लाइन का शिसलाव गांव पर 11 के० वी० पर स्टेप डाउन किया है और यह 11 के० वी० की लाइन चूड़ी अजीतगढ़ तक गई है। यह सही है कि मीठवास तथा फूसलाना गांव का अभी तक विद्युतिकरण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। कनेक्शन नियमानुसार दिये गये हैं।

(3) श्री रतीराम की कोई अर्जी नहीं थी। श्री धोंकलराम, श्री बेगाराम, श्री बेगराज का नाम प्रायोरिटी नं० 3, 4 व 5 पर थे।

(4) जी हां। विभागीय नियमानुसार कन्ट्रीब्यूटरी योजना के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को कान्ट्रीब्यूटरी स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये।

	कनेक्शन देने की तिथि
(1) श्री पोकरराम/चन्द्रराम	13-1-68
(2) श्री सुरजाराम/गोरूराम	30-12-68
(3) श्री धोंकलराम	31-12-67
(4) बेगाराम आशाराम	6-12-67
(5) श्री बेगराज आशाराम	31-12-67

(श्री खेतसिंह)

निम्नलिखित को साधारण प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये गये हैं:—

(1) श्री जयदेवसिंह 2-12-68
(2) श्री जैवेसिंह 27-8-68
(3) श्री रामगोपाल साबू ओंकारमल

इस गांव के कुल 14 कृषि हेतु प्रार्थना-पत्र लम्बित थे जिनमें से 7 काश्तकारों को कनेक्शन दिये गये हैं, बाकी के विचाराधीन हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह सही है कि मीठवास और फूसखानी गांवों की आबादी के ऊपर से बिजली की यह लाइन गई है और इन दोनों गांवों को अभी तक इलेक्ट्रीफाइ नहीं किया गया है जब कि वहां लाइन ले जाने में कोई खर्चा भी नहीं है ?

श्री खेतसिंह : मैंने आपके सवाल के जवाब में अर्ज किया है ये दोनों गांव 33 के० वी० लाइन के नीचे हैं और इस लाइन से डाइरेक्ट कनेक्शन नहीं दिये जा सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : सैकड़ों ऐसे गांव हैं जिनको कि इलेक्ट्रीफाइ कर दिया गया है और उनके ऊपर से लाइन गुजरी है। उसके क्या कारण हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा : इन गांवों की डिमाण्ड है क्या ?

श्री खेतसिंह : डिमाण्ड है। सब गांवों को एक साथ विद्युतिकरण करना बड़ा मुश्किल है। जिन गांवों में किया जा सकता था उनमें किया है बाकी के जो गांव हैं उन के लिये योजना विचाराधीन है। ज्यों ज्यों फण्ड्स उपलब्ध होंगे त्यों त्यों गांवों का विद्युतिकरण कर दिया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : इनमें फण्ड्स का सवाल नहीं है। इसमें बहुत कम खर्चा होने का है।

विद्युत् मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): इसमें एक टैक्निकल डिफिकल्टी है। जहां 33 के० वी० की लाइन जाती है उससे कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। जिन गांवों के पास से 11 के० वी० की लाइन गई है, उससे उनको जोड़ा जा सकता है। इन गांवों के लिये योजना विचाराधीन है। चूंकि ये सैंक्शन्ड नहीं थे इसलिए बिजली नहीं पहुंची है। 33 के० वी० की जो लाइन है, उसके ऊपर से सीधे कनेक्शन नहीं दिये जा सकते हैं। 33 के०वी० की लाइन के आस पास जहां डिमाण्ड है, वहां से कनेक्शन के लिये स्टेप डाउन करना पड़ता है और एक स्पेसिफिक सर्वे करना होता है वो आजकल नहीं किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने दूसरों को कर दिया है, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : एक बात बता दीजिये। आप कहते हैं कि 33 के० वी० की लाइन है इसलिये कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ? कहीं कहीं तो हाई-टेन्शन की लाइन को टैप करके आप बिजली दे देते हैं और कहीं मीलों तक लाइन आप ले जाते हैं और बिजली नहीं देते हैं। इसमें आपकी निश्चित नीति क्या है ?

Page No 14

श्री शिवचरण माथुर : जो 11 के० वी० की लाइन है, उससे बिजली देदी जाती है। जहां भी बिजली दी जायगी, वहां हाई टैन्शन की लाइन को स्टेप डाउन करके ही बिजली दी जायेगी। अब तक जो बिजली दी गई है वह 11 के० वी० की लाइन से ही दी गई है। भविष्य में भी जहां बिजली दी जायेगी, वहां 33 के० वी० की लाइन को स्टेप डाउन कर के ही दी जा सकेगी।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ? आपकी नीति क्या है ? कुछ जगह आप हाई टैन्शन की लाइन को टैप करके बिजली देते हैं और यह उत्तर देते हैं कि स्टैप डाउन नहीं किया है इसलिए नहीं देते हैं। यह दूसरी जगह पर क्यों ? आपकी नीति क्या है इस सम्बन्ध में ?

श्री शिवचरण माथुर : नीति स्पष्ट है। बड़ी लाइनों को वहां स्टेप डाउन करते हैं, जहां की बड़ी डिमान्ड होती है। और लोड के आधार पर लाइन को स्टेप डाउन करके दिया है। बड़ी लाइनों को स्टेप डाउन कर के और लोड के आधार पर बिजली दी जाती है। हम लोगों ने अब एक योजना के आधार पर काम करना शुरू किया है जहां जहां बड़ी लाइनें हैं और उसके आस पास के गांवों की डिमाण्ड है, उसका सर्वे करके उनको प्राथमिकता के आधार पर निश्चय करके बिजली देने की योजना हमारे पास विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान सरकार के द्वारा क्या बिजली दी गई है ? क्या यह सही है ?

श्री शिवचरण माथुर : हो सकता है कि पहले ऐसे कुछेक गांवों को बिजली दे दी गई हो।

श्री दौलतराम सारण : एक-दो गांवों को दी गई है।

श्री शिवचरण माथुर : जो आधार अब हमने बनाया है, उसके अनुसार बड़ी लाइन से बिजली स्टेप डाउन करके, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी है, उसकी डिमाण्ड और लोड कन्वे होकर ही निश्चय करेंगे और उस में कोई गुंजाइश होगी तो वहां पर बिजली देने की बात सोची जा सकती है। आपर सर्वे की भी बात चल रही है। जहां पर हाई-टैन्शन लाइन है, उसको स्टेप डाउन करके प्राथमिकता के आधार पर वहां के गांवों को इलेक्ट्रीफाइ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम

कडाना डेम के निर्माण का प्रभाव

7. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि गुजरात राज्य में माही नदी पर कडाना डेम का कार्य प्रगति पर है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि गुजरात राज्य की इस योजना से राजस्थान को डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले की आदिवासी क्षेत्र की उत्तम व उपजाऊ भूमि डूब में देनी पड़ेगी ? यदि हां, तो क्या डूब में आने वाले क्षेत्र का फाइनल सर्वे कर लिया गया है व

(श्री नाथूराम)

वहां के निवासियों के पुनर्वास, मुआवजे आदि का पूर्ण बन्दोबस्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें कहां बसाया जायगा ? कौन कौनसी सुविधायें दी जायेंगी व मुआवजे का भुगतान कब तक हो जायगा तथा इसका वित्तीय भार कौन वहन करेगा ? और अब तक सर्वे नहीं किया गया, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि कडाना डेम बन जाने से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ "गलिया-कोट" नदी के किनारे स्थित माताजी का मन्दिर डूब में आयेगा ? यदि हां तो उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, व उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ? कौन राज्य इसे वहन करेगा ?

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि कडाना डेम भर जाने पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा व गुजरात के आदिवासी क्षेत्र जो एक इकाई में वर्तमान में अवस्थित हैं विच्छिन्न हो जायेंगे ? और इससे आदिवासियों में क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां तो इसका निराकरण क्या है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि गुजरात सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच इस संबंध में इकरार हुआ है ? यदि हां तो कब ? कृपया इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि इस इकरार के पश्चात् विधान सभा के सत्र हुए हैं, और यह प्रश्न राज्य की भूमि का दूसरे राज्य के हित में डूब संकुचन का प्रश्न है ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में सदन को ऐसे इकरार के संबंध में जानकारी देकर उसका अनुमोदन प्राप्त किया गया ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री): (1) कडाना डेम का कार्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है और बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है। जब तक ठेका देने का कार्य सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक कार्य किस प्रगति से होगा, यह नहीं कहा जा सकता है।

(2) सन 1959 में लिये गये सर्वे के अनुसार इस गांव में राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की करीब 29,694 एकड़ भूमि डूब में आनी थी, परन्तु अब बांध की ऊंचाई कम कर दी गई है और गुजरात सरकार से दुबारा सर्वे करने का आग्रह किया गया है जिसको गुजरात सरकार ने मान लिया है। जिन व्यक्तियों की भूमि डूब में आयेगी उनके पुनर्वास व मुआवजे के सम्बन्ध में गुजरात राज्य को लिखा गया है और उस पर उन्होंने इस समस्या को मानवीय आधार पर व सहानुभूतिपूर्वक तय करने का आश्वासन दिया है। अब इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों के बीच उच्चस्तरीय बैठक होगी।

(3) कडाना डेम की रिवाइज रिपोर्ट के अनुसार प्रसिद्ध गलियाकोट तीर्थ डूब में नहीं आयेगा। फिर भी उसके बचाव के वास्ते अलग से व्यवस्था की जायगी। माताजी के मन्दिर के लिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि डूब में आयेगा या नहीं डूब से बचाव के जो भी कार्य किये जायेंगे उनका खर्चा इस बांध की लागत में ही शामिल होगा।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(4) जिन लोगों की भूमि और मकान डूब में आयेंगे उनमें असन्तोष होना स्वाभाविक है परन्तु राज्य सरकार इस बारे में पूर्ण सजग है और विस्थापितों की पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जावेगी और उसका पूरा खर्चा इस योजना की लागत में ही शामिल होगा।

(5) इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) एग्रीमेंट होने के बाद विधान सभा के कई सत्र हुए हैं और उनमें जब जब इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये हैं तब तब सदन को सही स्थिति से अवगत कराया गया है। इस प्रकार के एग्रीमेंट का सदन द्वारा अनुमोदन कराये जाने की नियमानुसार आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है, उस पर मुझे असन्तोष है। गुजरात के आंकड़े तैयार हैं और नक्शे भी तैयार हैं। राजस्थान सरकार के इन्जीनियरों ने जो नक्शे तैयार किये हैं, वे भी मेरे पास तैयार हैं। प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में आपने बताया कि कडाना डेम का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और बड़े पैमाने पर कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। आप मन्त्री महोदय, यह बताने कि कृपा करेंगे कि यह डेम कितनी लागत का बनाया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्ष जी, इस डैम की लागत का तो सही पता मुझे नहीं है। फिर भी 34 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

श्री नाथूराम : गये साल आपने बताया था कि 17 करोड़ और 90 लाख का डैम बनाया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन से मंजूरी हो गई है। 5 करोड़ 16 लाख बिजली के लिये मांगे जारहे हैं। इसलिए मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच एग्रीमेंट कब हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गुजरात और राजस्थान के बीच में एग्रीमेंट मार्च, 66 में हुआ था।

श्री नाथूराम : तो क्या अभी तक राजस्थान के डूब में आने वाले गांवों का सर्वे फाइनल नहीं किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: 66 से आज तक कोई काम चल नहीं रहा था। जब क्लीयरेंस हुई तो हमने गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और अब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार डिटेल्ड सर्वे दुबारा किया जायेगा। रिहेबिलिटेशन के प्रश्न पर जो प्रस्ताव भेजे थे, वे राणा प्रतापसागर, गांधी सागर डैम के विस्थापितों को बसाने के लिये जो सुविधा दी गई है, उसके आधार पर ही हमने अपने सुझाव दिये हैं और गुजरात सरकार को भेज दिये हैं। गुजरात सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इस समस्या को हल करने का आश्वासन

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

दिया है और इस सम्बन्ध में स्पेसिफिक विचार विमर्श उच्चस्तरीय मीटिंग में किये जाने का निर्णय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय गुजरात सरकार से एग्रीमेंट किया गया, उस समय रिहेबिलिटेशन के प्रश्न पर गुजरात सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिहेबिलिटेशन का ? एग्रीमेंट हुआ है 1966 के मार्च में और 1959-60 के आस पास एक आफिसर्स की मीटिंग उस समय हुई थी। और उनकी बातचीत में चर्चा हुई थी और अब 1959-60 से 68 हो गया है। उस वक्त की चर्चाओं में कम्पेनसेशन वगैरह के मामलों में काफी परिवर्तन हो गया है। हम उनके लिये जमीन रिजर्व कर रहे हैं। वहां पर कड़ाना डैम पर, जो सिंचित भूमि है, कमाण्ड एरिया है, उसमें हमको, हमारे लोगों को जमीनें मिलें, उनकी आबादी में जहां पर बसाये जायेंगे, सड़कें हों, बिजली की लाइन हो, इन सुविधाओं के बारे में 1959 में कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिये इन सुविधाओं के बारे में दुबारा उनसे मांग की है और उस पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब का जवाब आया है कि मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करेंगे और भूमि तथा गांधी सागर और राणाप्रताप सागर में जो आपने सुविधा दी है, वो उपलब्ध कराई जायेगी। इसका डिटेल्ड नोट और बनवा कर दीजिये जिससे कि उच्चस्तरीय मीटिंग में रिहेबिलिटेशन के प्रश्न पर चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट में रिहेबिलिटेशन के बारे में इस प्रकार से कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, कड़ाना बांध की वजह से राजस्थान के जो गांव डूब में आयेंगे उनकी संख्या मैं आपको बता सकता हूं। गत वर्ष भी मैंने इस प्रश्न पर जवाब चाहा था। 121 गांवों के नाम मैं आपको बता सकता हूं। जो जवाब आया है इस प्रश्न का वह बिल्कुल झूठा है। इसका सही जवाब दिलवा दीजिये, अध्यक्ष महोदय, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री मूलचन्द डागा : मानवीय दृष्टिकोण क्या है वह भी बतला दीजिये केवल जमीन के मुआवजे को ही मानवीय दृष्टिकोण मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह मानवीय दृष्टिकोण भी बतला दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन जो डूब में आयेगी, मकान जो डूब में आयेंगे उनका मुआवजा आम तौर पर कानूनी दृष्टि से दिया ही जायगा यह तो लीगल दृष्टिकोण है।

मानवीय दृष्टिकोण यह है जिनको बे-घर बार होना पड़ेगा चाहे उन्होंने मुआवजा ले लिया हो, जहां अब वे बसे हुए हैं वहां से हटाने का मुआवजा तो मिलेगा ही लेकिन जहां उनको बसाया जायगा वहां उनके लिये सिंचाई के साधन हैं उसके साथ साथ रहने के लिये मकान, सड़कें, पानी और बिजली की सभी सुविधायें भी हैं ··· ····

श्री नाथूराम : आप 121 गांवों को कहां बसाओगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार को लिखा है उन्होंने इसके औचित्य को स्वीकार किया है?

श्री नाथूराम : ये गांव जो उठेंगे उनको कहां बसाया जायेगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का उत्तर दिया उसमें कहा है कि गलियाकोट नहीं डूबेगा उसके साथ साथ उन्होंने उत्तर में यह भी कहा माताजी का मंदिर डूबेगा या नहीं डूबेगा इस बारे में निश्चित उत्तर नहीं दिया गया। यह तो मेरे खयाल से कन्ट्राडिक्शन है। अगर गलियाकोट डूब जाता है तो फिर मन्दिर कहां से बचेगा। गलियाकोट एक तीर्थस्थान है इसके बारे में यह कहा गया था कि यह बहुत ऊंचाई पर है कुछ स्थान बहुत नीचे नदी के बराबर किनारे के नीचे हैं उन का सवाल दूसरा है। क्या गलियाकोट जो एक तीर्थस्थान है वह डूब में आयगा या नहीं आयगा ?

श्री नाथूराम : गलियाकोट बराबर डूब रहा है आप उसको बचा नहीं सकते। वह तीर्थस्थान है जिसको देखने विदेशी लोग भी आया करते हैं ? क्या यह सही है कि माताजी का मन्दिर है वह डूब में आयगा ? जो नक्शा मैं बता रहा हूं इसमें सारा गलियाकोट डूब में बताया गया है क्या यह नक्शा सही है या गलत है ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह नक्शा सही है लेकिन सरकार का नक्शा गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं एक जानकारी देना चाहता हूं फखरूद्दीन की दरगाह और माताजी के मन्दिर के बीच केवल मात्र एक सड़क है ये दोनों केवल एक सड़क से विभाजित होते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है दरगाह तो बच जाती है और माताजी का मन्दिर डूब में आ जाता है।

इसके अलावा यह क्षेत्र विशुद्ध आदिवासी क्षेत्र है। माही नदी के पूर्व में गढी तहसील के पश्चिम में सागवाड़ा तहसील स्थित है जहां से मंत्री महोदय चुनकर आये हैं। यहां की जनता में इस बांध के कारण घोर असन्तोष है। इस बारे में मैं दो तीन दफा प्रश्न भी पूछ चुका हूं लेकिन उनके उत्तर मन्त्री महोदय से अस्पष्ट एवं लाएतलाली के मिलते आ रहे हैं। आपने जो एग्रीमेन्ट गुजरात सरकार से किया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि यह बान्ध का काम कब खत्म होगा, काम जो चालू हो गया है तो क्या वह काम तेज रफ्तार से जारी है। यहां के आदिवासियों को मुआवजा देंगे या उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपनायेंगे वह मानवीय दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा। पहले ही वहां पर जनसंख्या के अनुपात में जमीन की कमी है, जो जमीन आदिवासियों के पास है वह अच्छी जमीन हैं उससे कहीं घटिया जमीन तो आप उनको नहीं दे रहे हैं ? आखिर उनको बसाने के लिये कहीं न कहीं जमीन होनी चाहिये। इस क्षेत्र में जो भील क्षेत्र की अखंडता है, इस बांध के द्वारा वह खंडित होती है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए आपको सोचना चाहिये। यह दिवालिया सरकार है जिस सरकार ने अपने आप को गुजरात सरकार के हाथ बेच

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दिया है मैं इस बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री रतनलाल रौत (चौरासी सु०) : राजस्थान के 121 गांव इस बांध के कारण डूब में आ रहे हैं उसके अन्दर जो किसान हैं वे लोग भी इससे प्रभावित होते हैं । वहां पर निर्माण कार्य नहीं के बराबर हो रहा है । जो गांव डूब में आने वाले हैं वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी ? वहां न तालाब हैं, न सड़कें हैं न बिजली है ऐसी स्थिति में वहां के निवासियों का क्या होगा ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि गुजरात सरकार वहां के लोगों को बसाने के लिये क्या व्यवस्था करेगी उसकी तसवीर बतायें । अगर गुजरात सरकार उनको बसाने से इन्कार कर देती है तब राज्य सरकार क्या करेगी ? अभी वहां ठेका नहीं दिया गया तो वहां काम तेजी से कब तक चल सकेगा?

यह वह इलाका है जहां पहले से भूमिहीन किसान हैं और कई लोग बेकार भी हैं उन लोगों को बसाने के लिये गुजरात सरकार क्या कदम उठायेगी ? वह इलाका जब सारा डूब में आजायेगा तो क्या गुजरात के चीफ मिनिस्टर उन तमाम लोगों को अच्छी क्वालिटी की जमीन देंगे या वहां के लोगों को बसाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है ? उन्होंने क्या लिखा है वे इसके लिये क्या कदम उठायेंगे ? बिना यह सब बातें देखे राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है उससे अन्धापन ही मैं मानता हूं । जिन लोगों की जमीन डूब में आ रही है क्या उन लोगों के लिये अच्छी जमीन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बान्ध के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाये गये हैं । पहले मैं गलियाकोट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जब से यह योजना बनी पहले इस बांध को एफ०आर०एल० 465 की हाइट पर बनाने का था इस हाइट पर गलियाकोट डूब में आता था जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है ......

श्री नाथूराम : आप गलत बात कह रहे हैं अब भी यह डूब में आ रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिर इसकी हाइट 419 की गई इसके साथ साथ इसके प्रोटेक्शन के लिये ड्रेनेज की व्यवस्था की गई । जो मुझे जानकारी है वह मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप पूरी जानकारी करके कहिये आप बारबार यह कह रहे हैं कि जो मुझे जानकारी है वह मैं कह रहा हूं । पूरी जानकारी करके कहिये या इसको स्थगित कर दीजिये ।

श्री नाथूराम : 121 गांव जो डूब में आने वाले हैं उसका कोई जवाब नहीं है । ये गांव किसी भी हालत में बच नहीं सकते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेन्ट का भी पहला क्लाज है उसमें लिखा हुआ है :

"The dam should be built on F.R.L. 419. The entire cost and benefit of this project will be borne by Gujrat."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यानी इस योजना से जो भी लाभ होगा और जो भी खर्चा होगा, वह गुजरात का होगा। तो राजस्थान सरकार खर्च नहीं भुगतेगी तो लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकेगी यह एग्रीमेन्ट हमारी सरकार ने किया है।

आगे लिखा है :

"At a later date when Mahe areas are taken over by Narbada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujrat appropriat coste of the dam for such areas. The exact proportions will be fixed at the time when such releases become available."

यानी राजस्थान को कोई लाभ मिले या न मिले, उसका लाभ कल्पित है, और संदिग्ध है अथवा नहीं, इसका भी अभी कोई निश्चय सरकार नहीं कर पाई है। नर्मदा योजना पर वह निर्भर है। अब वह भी होगा या नहीं, यह भविष्य ही बतावेगा। पर अभी जो कडाना डैम से स्थिति बन रही है उसमें हमारा एरिया, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, काफी डूब में आवेगा, 121 गांव डूबेंगे और उन गांवों की सारी जमीन डूब में आ जावेगी। तो यह स्थिति भयंकर है। मैं समझता हूं, इसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय पूरी सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें और वह सारी स्पष्ट स्थिति बताकर सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि हमें सारे देश की प्रगति और विकास का भी ध्यान रखना चाहिये। जैसे हमने पोंग डैम बनाया। उसमें पंजाब के जो लोग विस्थापित होंगे उनको बसाने के लिये राजस्थान कैनाल एरिया में तीन लाख एकड़ जमीन हमने उनके लिये सुरक्षित रक्खी है। इसके लिये हम भी लड़े हैं और इससे प्रसन्न भी हैं। यदि सरकार इस तरह से प्रबन्ध करती है तो सारा देश अपना है। हम यह नहीं चाहेंगे कि कोई योजना ऐसी बने जिससे हमें लाभ न हो और दूसरों को ही लाभ हो, पर यह जरूर चाहेंगे कि सभी को लाभ हो, और लाभ न हो तो वहां के रहने वालों का नुक्सान न हो और अगर हो तो उसकी क्षतिपूर्ति पूरी तरह से की जाय। अब सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है या नहीं, यह पूरी जानकारी सदन को देकर सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह प्रश्न गुजरात और राजस्थान के बीच का है। इसमें आदिवासियों का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है और तीर्थ स्थान भी बीच में आते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इन सभी तथ्यों का सविस्तार विचार करके इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट सदन में दे दें ताकि सदस्यों को सभी तथ्यों की पूरी पूरी जानकारी हो जाय और वे शंकाशील न रहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सही है। यह ठीक है।

श्री रोशन लाल शर्मा : राजस्थान सरकार ने क्या इसकी कोई योजना बनाई है कि वहां के लोगों को अन्यत्र कहां बसावेंगे ?

श्री नाथू राम : इस बारे में सरकार के सुझाव और योजना हो तो स्टेटमेंट में वह बता दें । स्टेटमेंट की तारीख भी बतादें साथ ही ।

श्री हीरा भाई : दूसरा प्रश्न यह है कि नर्मदा का बांध है । इसमें राजस्थान को लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी बतादें ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, समय तो कुछ लगेगा, पर पांच दस मिनट में थोड़ा निवेदन कर दूं । इसके बाद फिर कोई ऐसा पोइन्ट आपके दिमाग में हो कि जिसके और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो मैं वह भी दूंगा ।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । मेरी हमदर्दी भी विस्थापितों के साथ इतनी ही हैं जितनी कि किसी भी सदन के माननीय सदस्य की हो सकती है । इस सम्बन्ध में और भी जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उन पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार सोचेगी । और जो आवश्यक और उपयुक्त सुझाव होंगे उनको क्रियान्वित करने की कोशिश राजस्थान सरकार, जितनी हो सकेगी करेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आपने एक व्यवस्था दी सदस्यों के रोष और उत्तेजना को देखकर । मैं समझता हूं यह सरकार को अध्यक्ष की तरफ से निर्देश है कि वह इन सभी मसलों पर सभी पहलुओं से सोच कर बाद में एक स्टेटमेंट दे । अब इसके बाद ऐसी कौनसी चीज रह जाती है कि मंत्री महोदय चेयर के आदेश की अवहेलना करके जबर्दस्ती अभी कुछ कहना चाहते हैं । अध्यक्ष के आदेश को फ्लाउट करना चाहते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फ्लाउट करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: आप अभी भी स्पष्टीकरण करेंगे तब भी कई प्रश्न उठेंगे और समय इतना नहीं है । काफी प्रश्न अभी बाकी हैं । उनको भी लेना है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं को देखकर आप कोई स्टेटमेंट सदन में दें ।

श्री रोशन लाल शर्मा : कब देंगे समय निश्चित करिये । बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह ।

श्री नाथूराम : समय की हम मांग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित करूंगा कार्यक्रम देखकर । अभी कहां कर सकता हूं ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आर्डर आर्डर । नेता, विरोधी दल के नेता महोदय ।

(लगातार शोरगुल अश्रव्य : समय निश्चित करिये की आवाजें)

श्री अध्यक्ष : मुझे आप मौका देंगे कि नहीं ? माननीय विरोधी दल के नेता ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के द्वारा अभी जवाब नहीं चाहता । पर आखिर कार विरोधी पक्ष की बातें भी आप सहानुभूतिपूर्वक सुनिए । एक बान्ध बन रहा है । यह आपका ऐग्रीमेंट है ।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो कम से कम हमें यह तो जानकारी मिलनी चाहिए कि कितने हजार एकड़ भूमि साग-वाड़ा और गढ़ी तहसील की डूबेगी। उससे कितने हजार लोग प्रभावित होंगे। अगर यह जानकारी आप नहीं दे सकते तो आप का बोलना व्यर्थ है।

श्री राम प्रसाद लढ्ढा : इसकी जानकारी मेरे पास है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं है। सुनिये जरा शान्ति से। आपने अभी कहा कि 29 या तीस हजार एकड़ जमीन डूबेगी। और एक क्षण के बाद आपने पैंतरा काटकर बदल कर यह कहा कि शायद गुजरात सरकार बांध को थोड़ा बहुत नीचे कर देगी। आखिरकार आपका एग्रीमेंट क्या है? कोई फर्म एग्रीमेंट है या यों ही हवा में बात हो रही है? अगर पक्का एग्रीमेंट है तो निश्चित रूप से आपको कहना चाहिये कि इतने हजार एकड़ भूमि डूबेगी और इतने हजार व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे।

दूसरा, यह भी हम जानना चाहते हैं, मेरी पूर्ण सहानुभूति है कि फखरुद्दीन साहब की दरगाह बच जावे। आपने ही गत सत्र में कहा था कि फखरुद्दीन साहब की दरगाह के चारों तरफ दीवार बनाई जाएगी जिससे कि पानी अन्दर नहीं घुस सके। मेरी तो यह तुच्छ बुद्धि के बाहर की बात है समझना चारों तरफ तो पानी होगा और फखरुद्दीन साहब को बचाने के लिए दीवार बनाई जावेगी। अगर हमारी माताजी जल मग्न होना चाहती हैं तो वे जलमग्न हो जावेंगी, पर आप फखरुद्दीनजी की दरगाह को जरूर बचाना चाहेंगे, आप माताजी के वास्ते कोई व्यवस्था नहीं करेंगे।

एक माननीय सदस्य : उनके तो इनको वोट चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका सेकूलर शब्द ढोंग है ऐसा लगता है। आप डरते हैं फखरुद्दीन साहब से तो। उसको अगर आपने डुबो दिया है तो मिश्र, ईरान, ईराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया सब चिल्लावेंगे और एक हिन्दू माता का मन्दिर जो उससे भी हजारों वर्ष पुराना है उसको डुबोना चाहते हैं। कितनी हीन वृत्ति है यह आपकी। इन दोनों बातों पर आपको स्पष्टीकरण के रूप में उत्तर देना चाहिए।

श्री नाथूराम : समय बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने सदन की भावनाओं को सामने रखते हुए जितने तथ्य और सुझाव सदन ने दिये हैं इस बारे में उन सबको ध्यान में रखते हुए तथा और भी जो विस्तृत जानकारी इस सम्बन्ध में है और जो निश्चित जानकारी आनी चाहिए वह सब मन्त्री महोदय स्टेटमेंट के रूप में सदन में दें यह निर्णय दिया है।

श्री नाथूराम : तारीख ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्रातिशीघ्र। यह शब्द ठीक है।

श्री नाथू राम : अध्यक्ष महोदय, अर्ज यह है कि तारीख बता दीजिए कोई।

श्री अध्यक्ष : मैं तारीख के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं । स्थान ग्रहण करें ।

(12 मध्यान्ह)

शीघ्रातिशीघ्र शब्द का उपयोग किया गया है, उसमें तारीख तय करने का अवश्य है । मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि माननीय मंत्री महोदय से कुछ कह सकूं । जब तक सारे बिजनेस को, ऐडजोर्नमेंट, मोशन्स जो आये हैं, प्रश्नों को देखकर मैं तारीख शीघ्रातिशीघ्र के संदर्भ में शीघ्र तय करने का निश्चय करूंगा । यही कह सकता हूं ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माही का कार्य 8 साल पहले फाइनल हुआ था । इसका सारा कार्य ठप्प हो गया है । कडाना डेम के लिये भी प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी दे दी थी सरकार से निवेदन करूंगा कि यह क्यों नहीं बनता है···

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आपने शीघ्रातिशीघ्र का हुकुम तो दे दिया लेकिन यह कहीं बीच में ही···

श्री अध्यक्ष: शीघ्रातिशीघ्र का मतलब एक, दो, तीन दिन··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य पसन्द करें तो मैं वक्तव्य कल भी दे सकता हूं लेकिन अधिक से अधिक और सही से सही जानकारी मैं गुजरात में इंजीनीयर भेजकर ही दे सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : आपके पास जवाब है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास जो जानकारी है उसके अलावा और जानकारी मिल सके ताकि मैं पूरा उत्तर दे सकूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सही सही उत्तर का क्या आधार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास जो अभी सामग्री है वही आधार बन सकता है । यदि मुझे समय दें तो मैं अपने अधिकारियों को वहां भेजकर पूरी तरह से मालूम कर लूंगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : 6 तारीख रख दीजिये···

एक माननीय सदस्य: छुट्टी के बाद रख दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: प्रश्न संख्या 8 । मैंने तीन बार बोल दिया है ।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दिया ।

मोटे अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध ।

8. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर किस तारीख को प्रतिबन्ध लगाया गया ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) जिस रोज यह प्रतिबन्ध लगाया गया उससे एक दिन पूर्व इस मोटे अनाज का प्रमुख मंडियों में अधिकतम क्या भाव रहा ?

(3) 23-9-68 को इन्हीं मंडियों में इसी मोटे अनाज का अधिकतम क्या भाव था ?

(4) क्या यह सही है कि 23 सितम्बर के बाद और जिस तारीख को यह प्रतिबन्ध लगाया गया था उसके बीच इस मोटे अनाज के भावों में बढ़ोत्तरी इस कारण से हुई कि सरकार की ओर से निकासी पर पाबन्दी लगाने के बाबत संकेत दे दिये गये थे ?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (1) राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर दिनांक 28-9-68 से प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) सूचना संलग्न है।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : वापिस एक से शुरू कर दीजिये।

श्री रामदेव सिंह : (1) राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर दिनांक 28-9-68 से प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) सूचना संलग्न है।

(3) सूचना संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि 28-9-68 को राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर पाबन्दी लगाई उससे पहले राजस्थान सरकार ने यह संकेत दिया कि राजस्थान से मोटे अनाज पर पाबन्दी लगने वाली है ? क्या इस की सूचना मिल गई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, 23 सितम्बर, 1968 को मुख्य मंत्रियों की और खाद्य मंत्रियों की कान्फ्रेन्स दिल्ली में हुई थी और उसी के ऊपर प्रेस स्टेटमेंट निकला था जो सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में छपा था। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट मोटे अनाज को राजस्थान से बाहर जाने के लिये --रोक लगाने की जो रिक्वेस्ट उस कान्फ्रेन्स में की थी वह 24 तारीख को थी, क्योंकि भारत सरकार ने उस आर्डर को इम्पोज करने की कानकरेन्स हमको 27 तारीख की रात को टेलीग्राम से दी इसलिये 28 तारीख में इसको दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान से मोटे अनाज पर पाबन्दी लग जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो प्रोसीडिंग डिटेल में आई है उसमें इस बात का आभास मिलता है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने उसी कान्फ्रेन्स के अन्दर राजस्थान से बाहर जाने वाले मोटे अनाज पर रेस्ट्रिक्शन है ……

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह मानकर चला जाय कि 23 सितम्बर को राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने व्यापारियों को इस बात की सूचना नहीं दी थी कि राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर पाबन्दी लगने वाली है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार की कोई इत्तला देने का प्रश्न ही नहीं है। सभी अखबारों में छपा था, जयपुर के जितने अखबार निकलते हैं उनमें छपा था, उसी आधार पर दिया गया है जो अखबार दिल्ली से निकलते हैं उनमें भी है, इसी तरह राजस्थान पत्रिका है उसमें भी राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बताया है। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी के अखबारों में भी जो कुछ राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है वह प्रकाशित हुआ है। इसी से वे संकेत ले सकते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार से जो रिक्वेस्ट की थी उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में जो बात कही उसी आधार पर यह छपा है—राजस्थान के मुख्य मंत्री ने व्यापारियों से यह बात नहीं कही कि राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर पाबन्दी लगने वाली है।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के मुख्य मंत्री का यह कहने का प्रश्न ही नहीं है। जब अधिवेशन चल रहा था सितम्बर में तब मोटे अनाज पर पाबन्दी लगाना चाहते थे लेकिन भारत सरकार से कानकरेन्स लेने से पहले प्रोमलगेट नहीं कर सकते। संख्या 3-4 जोड़ी है वह इस बात के लिये पाबन्दी लगाती है कि किसी भी अनाज को एक दूसरी स्टेट में जाने के लिये कोई स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करना चाहती है तो भारत सरकार से कान्करेन्स लेनी पड़ती है। हमने 10 तारीख को दिया था और फूड कमिश्नर को भेज दिया था, इसको सदन में डिसकस नहीं कर सकते थे। फूड कमिश्नर ने यह कहा; चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में जो कुछ निर्णय लिया जायगा उसके आधार पर भारत सरकार निर्णय लेगी इसलिये हमने इसको क्लोज सीक्रेट रखा। इसकी चर्चा चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स दिल्ली में हुई थी वह अखबारों में छपी है। हालांकि भारत सरकार ने हमको आर्डर रिसाइन करने के लिये 28 मार्च को भेजा है लेकिन हमने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की। भारत सरकार जो कुछ निर्णय लेती है उसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है इससे पूर्व जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उनकी चर्चा फूड कान्फ्रेन्स में हुई है। वहां मिनिस्टर्स ने और चीफ मिनिस्टर्स ने जो कुछ कहा है उनकी सबकी स्पीचें अखबारों में आती हैं, यह भारत सरकार के देखने की बात है, इसका राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि केवल फूड कान्फ्रेन्स में चर्चा हुई थी या कोई निर्णय लिया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको यह फैसला बताया

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बता दीजिये।

Page No 26

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दुस्तान के सब अखबारों में आया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : पेपर तो सब ने पढ़ लिया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऑथोरिटि क्या है? Paper is not authority it self in the Assembly.

श्री भैरोंसिंह : आप तो उस सवाल का जवाब दे दीजिये कि फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में चर्चा हुई थी या कोई निर्णय लिया गया था?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें चर्चा भी हुई थी और चर्चा होने के साथ साथ फूड कमिश्नर ने यह कहा था कि आपकी इस डिमान्ड को हम सिम्पेथेटिकली कन्सीडर करेंगे क्योंकि फिलहाल एमरजेन्सी है। दूसरी स्टेट्स पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगायें लेकिन राजस्थान में अकाल की स्थिति को देखते हुए जबतक अकाल रहता है तब तक हम .....

श्री भैरोंसिंह : यह समझा जाय कि फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में चर्चा भी हुई थी और निर्णय भी हुआ था।

श्री परसराम मदेरणा : निर्णय के प्रश्न के लिये मैं यह कहूं कि कान्फ्रेन्स का कोई भी निर्णय लागू करने के लिये भारत सरकार पाबन्द नहीं है.....

श्री भैरोंसिंह : कान्फ्रेन्स में चर्चा भी हुई थी और निर्णय भी हुआ था....

श्री नत्थीसिंह : अखबारों की बात कहते हैं कि आपकी कोई अधिकृत सूचना है कि नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : I want to explain you. 16 मार्च को कान्फ्रेन्स में तय हुआ और जो निर्णय हुआ वह यह कि मंत्री मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय कि यह बात, यह रेस्ट्रिक्शन जो, मक्का, ज्वार, बाजरा पर था हटा दिया गया है। केटेगोरिकली यह निर्णय लिया लेकिन भारत सरकार का मंत्री मंडल क्या निर्णय करेगा यह मंत्रीमंडल के सम्मुख पेश करेंगे इसलिये जो कुछ निर्णय लिया गया था यह कहने के बाद जो डिमान्ड हमारे सामने आई उस पर था। इसको आप निर्णय मानते हैं? निर्णय तो मंत्रीमंडल लेता है या मुख्य मंत्री महोदय अलग से कोई निर्णय लेते हैं....

श्री भैरोंसिंह : केवल चर्चा हुई थी यह माना जाये?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, कुछ तो कहलवाइये? न तो चर्चा की बात कह रहे हैं और न निर्णय वाली बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा को तो आगे बढ़ा दिया है अब।

श्री भैरोंसिंह: कहां बढ़ाया? नहीं बढ़ाया है। आप यह बता दें कि केवलमात्र चर्चा हुई थी और भारत सरकार के मंत्रीमण्डल को निर्णय लेना था इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा: निर्णय तो वहां लिया ही नहीं जा सकता था।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह

(श्री भैरोंसिंह)

तो निर्णायक स्टेटमेन्ट है 'एक्सपोर्ट बन्द किया जायेगा' - मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस निर्णय के पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय को किस प्रकार से जानकारी मिली कि इस प्रकार का निर्णय ले लिया जायेगा जो कि केवल मात्र फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में उनका एक सुझाव था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस और जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स होती है तो आम तौर से जो कुछ डिस्कशन्स वहां पर होते हैं उसकी लाइट में अल्टीमेटली फसला जो संबंधित सरकारें होती हैं वह किया करती हैं और फूड कान्फ्रेन्स के संबंध में भी वहां पर हमने अपनी राय पेश की थी और राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी इस संबंध में हमदर्दी थी हमारी मांग के औचित्य के बारे में भी लेकिन निर्णय वहां पर कर दिया गया हो इस बात को कहकर नहीं चल सकते। निर्णय तो बाद में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की केबिनेट करती हैं या फूड मिनिस्ट्री करती है और उसके बाद ही उसका नोटीफिकेशन इश्यू होता है। मैं यह कहूं कि एक दो रोज में राज्य सरकार आर्डर निकाल देगी तो मैं समझता हूं कि इतने नियम और परम्परा मैं भी जानता हूं कि इसका अधिकार राज्य सरकार को नहीं है कि वह फूड ग्रेन्स के मूवमेन्ट पर बैन या नोटीफिकेशन खुद राज्य सरकार निकाल दे, वह अधिकार गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को ही है। इसलिए राज्य सरकार नोटीफिकेशन एक दो रोज में निकाल देगी इस प्रकार से कहने का सवाल ही खड़ा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि राज्य सरकार ने जिस तारीख को नोटीफिकेशन निकाला उसके पहले आपने इस प्रकार का अनाउन्समेन्ट कर दिया कि राजस्थान में मोटे अनाज की निकासी बंद की जायगी और इस कारण से मोटे अनाज की बिक्री राजस्थान के व्यापारियों ने इस दौरान में करदी • • •

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इस प्रकार कि इसका नोटीफिकेशन निकाल दिया जायगा यह नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि इसका एक दो रोज में रोकने के लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया जायेगा राज्य सरकार की तरफ से यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : यह तो हम भी कहते हैं कि आपने नहीं कहा लेकिन आपने कहा कि निकासी बन्द कर दी जायगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निकासी बन्द कर दी जायेगी इसका मतलब यही होता है कि मैंने नहीं कहा। मुझे याद नहीं आता। लेकिन हो सकता है कहीं कहा हो जो कान्फ्रन्स हुई है उसके अन्दर राजस्थान गवर्नमेन्ट का यह एटीट्यूड इस संबंध में है और • • •

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उसके अलावा तो आपने अनाउन्समेन्ट कहीं नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अनाउन्समेन्ट का तो सवाल ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान से मोटे अनाज की निकासी पर रोक लगाने के लिए एक दो रोज में नोटीफिकेशन जारी कर जायेगा यह कहना इतना गम्भीर है कि इससे सरकार अन्दाजा लगा सकती है कि इससे राजस्थान के उपभोक्ताओं पर कितना भार आयेगा। फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में चर्चा हुई थी कोई निर्णय नहीं हुआ और उसकी कोई जानकारी या घोषणा राजस्थान में नहीं की, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी के लिए याद दिलाता हूं कि आपने उदयपुर में एक नव निर्मित सिनेमा हाल 'स्वप्नलोक' का उद्घाटन किया और भाषण दिया और उसमें जो कहा उसे सभी माननीय सदस्य सुन लें कि कौन सत्य है और कौन गलत है। उदयपुर २४ सितम्बर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज यह संकेत दिया कि एक या दो रोज में मोटे अनाज के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी जायगी। यह बात २४ तारीख को उदयपुर में नव निर्मित सिनेमा हाल 'स्वप्नलोक' के उद्घाटन पर कही थी और पाबन्दी २८ तारीख तो लग गयी। २४ को निर्णय नहीं हुआ। मोटे अनाज की निकासी पर पाबन्दी लगाने की बात कहकर राजस्थान के अनाज के व्यापारियों को राजस्थान के उपभोगताओं को लूटने की आपने छूट दी है। इसलिए आप सदन में इसको स्वीकार करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह स्पष्ट कह रहा हूं कि सिनेमा के उद्घाटन पर मैं गया था लेकिन एक दो दिन में मोटे अनाज की निकासी को रोक दिया जायगा और इसका नोटीफिकेशन राज्य सरकार निकालेगी यह नहीं कहा और इस तरह की बात कहीं भी आई है तो वह मेरे रेफरेन्स से गलत है।

श्री दौलतराम सारण : अगर यह गलत है तो हम जानकारी करना चाहेंगे कि क्या राज्य सरकार ने इसका खण्डन किया या मुख्य मंत्रीजी ने इसका खण्डन किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अब अखबारों में रोज न जाने कितनी बातें निकलती हैं मैं रोज रोज उनका कहां खण्डन करता रहूं ?

श्री दौलतराम सारण: मुख्य मंत्री ने इतनी गम्भीर खबर का खण्डन नहीं किया ....

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। मुख्य मंत्री जी इस बात से इन्कार कर रहे हैं। वैसे अखबार में छपा है और सरकार ने इसका खण्डन नहीं किया। यह इसको भी साबित करता है कि २४ तारीख और २८ तारीख के बीच में एक्सपोर्ट को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। व्यापारियों ने माल को निकालने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, यदि यह तथ्य सत्य है तो मुख्य मंत्रीजी ने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की अवहेलना की है और जो इनको सीक्रेट्स रखने चाहिए, ऑफिशियल सिक्रेट रखने चाहिये। उनको डाइवर्ज किया है और स्टेट को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुँचा है। यह बहुत बड़ा प्रिवलेज का इश्यू है। अध्यक्ष महोदय केवल मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर इन्कार कर दिया जब कि वह खुद भी इस बारे में संदेह में हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं समझता हूं कि वरबेटिम मौजूद है ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बारे में कहीं सन्देह में नहीं हूं कि एक रोज, दो रोज, तीन रोज या चार रोज के अन्दर कोई आर्डर निकाल करके बैन कर दिया जायेगा यह मैंने नहीं कहा। यह मैंने स्पष्ट कर दिया है और इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो स्टेटमेन्ट अखबारों में छपा है और आपका पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट मौजूद है जिसके सामने सारे समाचार आते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न क्या पैदा होता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इसके कारण से भाव ७२ से ८२ हो गए।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा इम्पोर्टेन्ट सवाल है, जिस समय प्रश्न पूछा था उस समय खाद्य मंत्रीजी ने इसको स्वीकार किया है और मुख्य मंत्रीजी आज उसको कैसे इन्कार कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : किस जगह स्वीकार किया ? उन्होंने यह कहा है कि स्टेटमेन्ट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन में थोड़ी ही देर पहले कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कान्फ्रेन्स के रेफरेन्स में कहा था। अखबार के रेफरेन्स में करने का प्रश्न ही नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को सन्देह है कि उससे एक्सपोर्ट हो गया। मैं आपको जानकारी दूं कि उसके पहले फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर के सेक्शन 12 के नीचे कलेक्टर्स ने राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मूवमेन्ट पर बैन कर दिया था। इसलिए किसी को शंका हो तो यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की हुई थी वह सीक्रेट थी और हमने रेस्ट्रिक्शन कर दिया था इसलिए किसी प्रकार से बहार जाने की सम्भावना नहीं थी।

तीसरी बात माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जयपुर में भाव बढ़े हैं तो मैंने आपको एक लिस्ट दी है इसमें तीन दिन के अन्दर यानी 23 से 27 के बीच में बहुत सी मंडियों में भाव गिरे हैं और उन्हीं मंडियों में एक अनाज के भाव बढ़े हैं और दूसरों के गिरे हैं।

सितम्बर का लास्ट वीक खरीफ की फसल का निर्णायक वीक होता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं। जिस वक्त सदन चल रहा था तो बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि बरसात आ गई तो ठीक होगा। उस लास्ट वीक में लोग इन्तजार कर रहे थे कि एक बरसात और हो जाती है तो खरीफ की फसल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन उस वक्त डिमाण्ड एण्ड सप्लाई के साथ भारत सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी तो खरीद फरोख्त पर फर्क पड़ सकता था। जैसे कि कलकत्ता में इलेक्शन के परिणाम वाले दिन स्टॉक एक्सचेन्ज पर भावों पर फर्क पड़ता था और शेयरों के भाव गिर गए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि सितम्बर का महीना था, एक बार और राजस्थान में अकाल पड गया ये दो बातें हुई और उसके पहले

Page No 30

(श्री परसराम मदेरणा)

पहले साथ साथ मूवमेंट लगा हुआ था एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। इन सब बातों में जो बात आप कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेरा निवेदन है कि आपके वक्तव्य से संदेह बढ़ गया। हम अखबारों की बातों को आॅथोरिटी नहीं मानते हैं। आपने स्वयं ने कहा है वह आथोरिटी है। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने खुद ने भाषण दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या गवर्नमेंट यह कहती है कि 23 और 27 के बीच में अनाज का निर्यात राजस्थान के बाहर कोई नहीं हुआ? क्या एसर्ट करती है गवर्नमेंट इस बात को?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार का ऐसा आदेश था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आदेश आपका बाहर एक्सपोर्ट करने का हो नहीं सकता।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार का ऐसा आदेश था सभी कलेक्टर्स को कि जो फूडग्रेन्स लाइसैन्सिग आॅर्डर की धारा 12 है उसको प्रोरोग कर दिया जाय स्टेट के बाहर गया या नहीं यह मैं तहकीक के साथ नहीं कह सकता हूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट से हुआ या नहीं बिना इन्फोर्मेशन की जानकारी किये बगैर लेकिन सभी अनाज बाहर चला गया ऐसी पोसिबिलिटी नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बदकिस्मती है कि लोग राजस्थान के एक जिले से दूसरे जिले में नहीं भेज सकते हैं लेकिन राजस्थान के बाहर माल जा रहा है यह बड़ी एनोमोली नजर आ रही थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बीच में राजस्थान के बाहर गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्न समाप्त हुए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज यह है कि सदन के अन्दर एक ऐसा ओफेन्स लगाया गया है जिसका सदन को तुरन्त काग्नीजेन्स लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। सरकार ने स्वयं ने स्वीकार किया है। खाद्यमंत्री ने कहा है कि क्लोज सीक्रेट था। मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में विवाद नहीं करेगी कि वह क्लोज सीक्रेट था। खाद्य मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है क्लोज सीक्रेट बनाए रखने के लिए यह किया कि हमारी तरफ से किसी तरह का किसी प्रकार का वायोलेशन नहीं हो जब कि हमारा एलिगेशन इस प्रकार का है कि यह वायोलेशन किया गया है और इस क्लोज सीक्रेट का डिसक्लोजर हुआ है जिसको कि सरकार ने स्वीकार किया है। वह चाहे राजस्थान पत्रिका के मार्फत डिस्क्लोजर हुआ हो तो वह भी आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अगेन्स्ट में किया है। तो क्या सरकार इस सारे मामले की जांच करायेगी कि माननीय

Page No 31

(श्री भैरोंसिंह)

मुख्य मंत्रीजी का हवाला देकर राजस्थान से पत्रिका ने यह न्यूज किस प्रकार प्रकाशित की ? क्या यह आफिशियल सीक्रेट का वायोलेशन नहीं है ? वायोलेशन के नाते क्या यह काग्नीजेबल आफेन्स नहीं है कि तुरन्त केस रजिस्टर किया जाकर इस मामले का इन्वेस्टीगेशन नहीं होना चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्लोज सीक्रेट इसलिए कह रहा था ....

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रारम्भ में कहा हैं कि क्लोज सीक्रेट था ....

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने 1 सितम्बर को लिखा था और कहा था भारत सरकार के फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में ....

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के खाद्यमंत्री कहते हैं कि क्लोज सीक्रेट था और मेरे दल के नेता ने इस पर प्रिविलेज का क्वेश्चन रखा है तो मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि क्या वे इसकी जांच करायेंगे या नहीं ? क्या वे मुख्य मंत्रीजी को कटघरे में खड़ा करेंगे या नहीं ? इस तरह का जबाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्रीयकरण इम्पोज करने का टेलीग्राम 27 तारीख को भारत सरकार की ओर से दिया और उस टेलीग्राम के साथ में जो आर्डर हमें भेजा था उस आर्डर की कापी हमने नहीं दी तो भी हमने बिना कापी के ही टेलीग्राम किया था 28 तारीख को, वह इस बात का सबूत है कि हम इसको क्लोज सीक्रेट रखना चाहते थे। मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा था उसके बारे में स्पष्ट डिनाई कर दिया कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला यह नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी इस समय कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा और यही मामला पत्रिका में छपा तो इसका इन्फरेन्स यह है कि 28 तारीख के डिसीजन के पहले ही पत्रिका में यह समाचार छपा। जो सीक्रेट आप रखना चाहते थे वह सीक्रेट डिसक्लोज हो गया तो दोनों चीजें छपी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के कहने से हुआ है या दूसरों की रिपोर्ट से हुआ है This is a matter of investigation इसका इन्वेस्टीगेशन के बिना कोई पता नहीं लग सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था या मैंने कहा था या सतीशचन्द्र जी ने कहा था। यह तो इन्वेस्टीगेशन किया जायगा तब पता लगेगा कि राजस्थान पत्रिका में किस सोर्स से इन्फर्मेशन गई है और उस सोर्स के लिए कौन रेस्पान्सिबल है। यह सीक्रेट इन्फर्मेशन लीक हुई है तो आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट सेक्शन 5(ए) में केस रजिस्टर करके पुलिस को केस हैण्ड-ओवर करें तो पुलिस पता लगाएगी कि राजस्थान भारती ने मुख्य मंत्रीजी के नाम को किस प्रकार से इसमें इन्वाल्व किया। यह तो इन्वेस्टीगेशन से पता लगेगा। इसलिए मैं

(श्री भैरोंसिंह)

चाहूंगा कि आपको स्वयं को आफिशियल सीक्रेट एक्ट की जानकारी है उस सम्बन्ध के अन्दर इस इन्वेस्टीगेशन को लिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इस केस को रजिस्टर किया जाय और जानकारी की जाय।

(विराम)

कई माननीय सदस्य: जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र हो जायं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: इतना गम्भीर प्रश्न मेरे दल के नेता ने रखा है ·······

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस क्वेश्चन पर आप अपना निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैं निर्णय देता हूं, ऑर्डर।

यह प्रश्न जहां तक माननीय भैरोंसिंहजी ने उठाया है उसमें पहला प्रश्न जो रखा गया है वह प्रिविलेज का प्रश्न बनता है, यह माननीय भैरोंसिंह जी का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है आफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है तो जो भी प्रश्न उठाये जाते हैं वे हमारे प्रोसीजर और रूल्स के अन्तर्गत उठाये जाते हैं। प्रवीलेज का प्रश्न 157 रूल के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। इसी प्रकार आफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो प्रश्न है वह इस सदन के अन्दर इस सदन के अधिकार में आता है या नहीं तो जहां तक मेरी मान्यता है वह नहीं आता है। वह प्रश्न क्या है, क्या नहीं है, लेकिन सदन का तो नहीं है, इसलिए उस पर मैं व्यवस्था नहीं दे सकता। प्रिविलेज का प्रश्न है यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरीके से उठाया जा सकता है। अब चूंकि समय अत्यधिक हो चुका है, इस पर काफी बहस हो चुकी है······

श्री मदनसिंह: इसके सम्बन्ध में मैं मानता हूं······

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह: सदन के अन्दर···

श्री अध्यक्ष: इस पर मेरी व्यवस्था सम्पूर्ण नहीं हुई है। मैं व्यवस्था का अन्त कर रहा हूं

जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है आफिशियल सीक्रेट का उसका प्रोसीजर क्या है यह मेरे ज्ञान में नहीं है कि काग्नीजेबल है या नानकाग्नीजेबल है या सदन किस रूप से इसको ले सकता है। अब माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस प्रश्न·······

श्री भैरोंसिंह: जिस समय आप गृह मंत्री थे और आपके पी० ए० का चालान हुआ था वही आफिशियल सीक्रेट एक्ट है।

(विराम)

आप गृह मंत्री थे उस समय आपके पी० ए० का चालान हुआ था·····

श्री अध्यक्ष: जो माननीय भैरोंसिंहजी के सहयोग से कराया था वही ?

(श्री अध्यक्ष)

उस प्रश्न पर यदि माननीय गृह मंत्री कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हों तो करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हियर, हियर

श्री मदनसिंह: यह मैं मानता हूं कि स्पष्टीकरण उसका हो यदि आप आदेश देते हों तो। लेकिन मैं अर्ज करूँगा कि एक प्रिवि- लेज यह बनता है कि एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ऐसा वातावरण करके संदेह पैदा करदे......

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री मदनसिंह: मैं अर्ज करूँगा कि किस का दोष है जो चीफ मिनिस्टर महोदय ने फर्माया है उसको हम अटूट मानते हैं ....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष जी, ये होली डे मूड में दिखते हैं।

श्री मदनसिंह: माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है वह गलत कहा है वह मैं विश्वास नहीं करता हूं, मगर फूड मिनि- स्टर स्पष्ट कह चुके हैं वह जो कुछ भी विचार है वह विचार पत्रिका में छपा है।

श्री अध्यक्ष: वह कई माननीय सदस्यों ने दोहरा दिया है, उसका ही स्पष्टपेपरण है

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बैरी आयोग प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ...... (शोर)

श्री नत्थीसिंह: आफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में कहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या उसमें इतनी हिम्मत थी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दामोदरलाल व्यास : आफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई मौका नहीं है। ये कौन से स्टेटमेंट चाहते हैं। इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नत्थीसिंह: वह नहीं देना चाहते हैं,

श्री अध्यक्ष : अगर वह नहीं देना चाहें तो न दें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मजदूरों की दुर्घटनाओं में मृत्यु

1. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, सन् 67 से जुलाई सन् 67 तक सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में फैक्ट्री में काम पर लगे हुए कितने मजदूरों की एक्सीडेन्ट के कारण मृत्यु हो चुकी है और किस कारण से किस तारीख को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या मृतक मजदूर के परिवार वालों को फैक्ट्री द्वारा कोई कम्पन्सेशन दिया गया है ? यदि हां तो किस मजदूर के परिवार को कब और कितना ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं तो किस कारण से ?

(श्रम मंत्री)

उत्तर

1. जनवरी सन् 1967 से जुलाई 1967 तक सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर में एक्सीडेन्ट के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई ।

2. प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुंआ खुदवाने के लिए स्वीकृत राशि

2. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि श्री बालूराम पुत्र श्री गणेशराम माली निवासी गंगाणी, तहसील ओसियां, परगना जोधपुर को कुंआ खुदवाने के लिए 5-6 साल पहले तीन हजार रुपये मंजूर हुए थे ?

(2) क्या यह भी सच है कि उसको तीन हजार रुपयों में से केवल दो हजार पांच सौ रुपए ही दिए गए ?

(3) क्या यह सच है कि शेष पांच सौ रुपए किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तखत करके उठा लिए ?

(4) क्या यह सच है कि इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई और 5-6 साल पहले जाँच भी हुई थी ? यदि जांच हुई तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति ने फर्जी दस्तखत करके रुपये उठाए ऐसा परिणाम निकला तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही चाही गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

1. जी हां । सन् 60 में 3000) रु० का ऋण स्वीकार किया गया ।

2. जी नहीं ।

3. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

4. जी हां, पुलिस की जांच से धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का पर्चा कायम नहीं हुआ ।

पंचायत भवन, ग्राम रटलाई

3. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई जिला झालावाड़ में पंचायत की इमारत पहले से है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी पंचायत भवन अलग किराये से लिया जाकर उसमें बैठकें होती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत के बजट में भवन का किराया पास कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. जी हां ।

3. जी हां । रु० 20)00 माहवार किराया स्वीकृत हुआ है क्योंकि पंचायत के निजी भवन का चार्ज अभी तक वर्तमान सरपंच को नहीं मिला है ।

न्याय पंचायत बकानी के रिक्त स्थान

4. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) न्याय पंचायत बकानी, जिला झालावाड़ में कितने सदस्य हैं ? कितने स्थान रिक्त हैं और कब से ?

(2) क्या यह सही है कि न्याय पंचायत बकानी के अध्यक्ष का चुनाव लगभग 3 साल से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) न्याय पंचायत के सदस्यों (रिक्त हुए) एवं अध्यक्ष का चुनाव कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

1. छः सदस्य हैं। इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।

2. जी हां।

3. अध्यक्ष का निर्वाचन जिलाधीश द्वारा शीघ्र करवाया जाएगा।

असहाय व्यक्तियों को सहायता

5. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में असहाय सहायता के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? जिलेवार बतलावें ?

(2) राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्र में कुल कितने असहाय व्यक्ति हैं ? जिलेवार संख्या बतलावें ?

(3) प्रत्येक असहाय व्यक्ति को कितनी मासिक सहायता दी जाती है ? क्या यह सहायता निर्धारित समय पर दे दी जाती है ?

(4) चूरू जिले में अब तक कितनी धनराशि इस कार्य के लिये दी गई है ? वहां कुल कितने असहाय व्यक्ति हैं ? क्या उनको चुकारा समय पर किया जाता है ?

उत्तर

1. सूचि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. सूचि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

3. प्रत्येक असहाय व्यक्ति को 75 पैसे प्रति दिन सहायता दी जाती है। यह सहायता यथा सम्भव निर्धारित समय पर ही दी जाती है।

4. चूरू जिले को इस कार्य के लिये 60,000) रु० आवण्टित किया गया है। वहां 596 व्यक्तियों को यह सहायता दी जा रही है। उनको यह सहायता यथा सम्भव यथा समय वितरित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अग्नि दुर्घटना से क्षति

6. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विगत ग्रीष्मकाल में ग्राम चौथ का बरवाड़ा,

Page No 36

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

तहसील सवाई माधोपुर एवं ग्राम मोर डूंगरी, तहसील खंडार में भयंकर अग्नि दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो किस ग्राम में कब यह अग्निकांड हुआ ?

(2) उक्त अग्नि दुर्घटना में प्रत्येक ग्राम में कितने कितने कृषक परिवारों को क्या क्या हानि हुई और राज्याधिकारी किस गांव में कब पहुंचे और उन्होंने कितनी क्षति का अनुमान लगाया ?

(3) प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा किस माध्यम से क्या सहायता दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रभावित परिवारों को कोई भी आर्थिक सहायता पुनर्वास हेतु राज्य सरकार अथवा पंचायत समिति द्वारा नहीं दी गई है और यदि दी गई तो किस महीने में किस तारीख को इन परिवारों को यह सहायता किस कदर मिली ?

उत्तर

1. जी हां, विगत ग्रीष्मावकाश में ग्राम चौथ का बरवाड़ा तहसील सवाई माधोपुर एवं ग्राम मोर डूंगरी तहसील खंडार में अग्नि दुर्घटना हुई थी। ग्राम चौथ का बरवाड़ा में दि० 12-4-68 को तथा मोर डूंगरी में दि० 11-5-68 को यह दुर्घटना हुई थी।

2 अग्नि दुर्घटना से प्रत्येक गांव में जो नुकसान हुआ उसकी सूचि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। राज्याधिकारी ग्राम चौथ का बरवाड़ा में अग्नि दुर्घटना के दिन ही पहुंच गये, जबकि मोर डूंगरी में दुर्घटना के दूसरे दिन अर्थात् दि० 12-5-68 को पहुंचे और उन्होंने जो अनुमान लगाया, उसी के आधार पर उपरोक्त सूचि प्रस्तुत की गई है।

3. ग्राम मोर डूंगरी में राज्य सरकार ने पंचायत समिति के माध्यम से 1790)रु० की आर्थिक सहायता का वितरण किया। ग्राम चौथ का बरवाड़ा में जिलाधीशजी के पास उपयुक्त प्रावधान नहीं होने के कारण तत्काल व्यवस्था नहीं की जा सकी।

4. जी नहीं। ग्राम मोर डूंगरी में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दि० 22-8-68 को विकास अधिकारी द्वारा दी जा चुकी है और सभी प्रभावित व्यक्तियों को सहायता दी गई है। दी गई सहायता की सूचि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई) .

चम्बल कमाण्ड एरिया में सिंचाई कार्य का सर्वे

7. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आमा की झोपड़ियां, नया गांव उर्फ गुलाबपुरा आदि तहसील मांगरोल चम्बल के कमाण्ड एरिया में आते हैं और सिंचाई की दृष्टि से इनका सर्वे भी कर लिया गया है ?

(श्री जुझारसिंह)

(2) आमा माईनर के तहत कितना रकबा सिंचित हो जाने की सम्भावना है और उस पर अनुमानतः कितनी रकम खर्च की जावेगी ? यह भी बतावें कि यह काम कब से चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां,

2. माईनर का नाम गुलाबपुरा माईनर रखा गया है और इससे लगभग 513 एकड़ भूमि सिंचित होने की संम्भावना है। इस नहर को बनाने में अनुमानतः 90,000 रुपया व्यय होंगे इसका तकमीना बनाया जा चुका है। परन्तु धनराशि के उपलब्ध न होने से इस कार्य को आरम्भ नहीं किया जा सका है।

सांगोद व रामगंज मण्डो के तालाबों की मरम्मत

8. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगोद व रामगंज मण्डी तहसीलों में ऐसे कितने तालाब हैं जो मरम्मत नहीं होने के कारण टूटे पड़े हैं और जिन्हें ठीक कर दिये जाने से सिंचाई हो सकती है ?

(2) सांगोद तहसील में दांता के तालाब व गागरीन पंचायत में लक्ष्मीपुरा के तालाव को ठीक करवाके सिंचाई योग्य बनाने से कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकने की सम्भावना है ?

(3) इन तालावों पर कब तक काम शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

1. सांगोद तहसील में सिर्फ दांता तालाब ही ऐसा है जो सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मरम्मत हेतु लिया जा सकता है। रामगंज मंडी में कोई नहीं।

2. दांता से करीब 200 एकड़ सिंचाई की सम्भावना है। लक्ष्मीपुरा तालाव से कोई नहीं।

3. दांता तालाब का कार्य चालू अकाल के तहत लेने का विचार है।

गोरधनपुरा के तालाब से सिंचाई

9. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गोरधनपुरा ग्राम पंचायत समिति झालरापाटन (जिला झालावाड़) ग्राम के तालाब से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो कितनी जमीन में ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तालाव में लीकेज होने के कारण पानी नहीं रहता ?

(3) क्या सन् 1967-68 में इसकी मरम्मत की गई थी ? यदि हां, तो कितना रुपया खर्च हुआ ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब में अब भी मरम्मत के बाद पानी नहीं ठहरता ? यदि हां, तो क्या आगे भी

Page No 38

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

इसकी मरम्मत की जावेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

1. जी हां । औसतन 115 एकड़ में ।

2. जी, नहीं ।

3. हां जी, 244)रु० खर्च किये गये थे ।

4. जी, नहीं ।

मनिहारी बांध में नया नाला डालने के लिए सर्वे

(10.) श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार इस अकाल के समय में मनिहारी बांध जो पाली में स्थित है उसमें नया नाला पानी का डालने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सिंचाई विभाग ने इस नए नाले का सर्वे कर लिया है और क्या इस नतीजे पर सिंचाई विभाग पहुंचा है कि कितनी धनराशि से यह नाला मनिहारी बांध में डाला जा सकेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि अकाल के समय में यदि यह लघु सिंचाई योजना का काम कर लिया जाय तो साधारण लागत से आधी धनराशि में संपूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां, यह कार्य मार्च, 1969 में होने वाले राहत कार्यों के प्रोग्राम में लिया जावेगा ।

2. जी हां, करीब 42,000 रु० खर्च होंगे ।

3. जी हां,

(12.31 म.प)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री सचिव (विधान सभा) : मैं, राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(1) राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1968.

(2) राजस्थान राज्य पशु मेला (संशोधन) विधेयक, 1968

(3) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968.

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव ।

श्री नत्थीसिंह : विश्राम में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बरकतउल्ला खां

श्री बरकतउल्ला खां (विधि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता- निवारण) अध्यादेश 1968 का सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रम मन्त्री श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री): अध्यक्ष महोदय मैं न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्य करण) अध्यादेश 1968 (अध्यादेश संख्या, 4 सन् 1968) को सदन की मेज पर रखता हूं। न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश, 1968 के जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1969) को सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1969 को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं दी बाम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1969) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामकिशन : ज्यादा पिये, ज्यादा जीवित रहें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) दी राजस्थान इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन, 1967-68.

(2) गंगानगर शूगर मिल्स लि० जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1968.

(3) जयपुर उद्योग लि० का वार्षिक प्रतिवेदन 1967-68.

(4) सांभर साल्ट लिमिटेड का 1966-67 से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

(5) मैसर्स फालना उद्योग मण्डल, फालना का वार्षिक प्रतिवेदन, 1967।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

श्री समर्थलाल (उप मंत्री): मैं राजस्थान मोटर गाड़ी। ....

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह अमृत लाल यादव हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री समर्थलाल (उप मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन (गृह-ख-1) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) (8) एच० (बी०) गृ प1/67, दिनांक 23 नवम्बर

(श्री समर्थलाल)

1968 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 के नियम 5 के संशोधन को सदन की मेज पर रखता हूं।

मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1968 (अध्यादेश सं० 2 सन् 1968) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बेरी आयोग कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस पर आपत्ति करता हूं। यह जिस प्रकार आप ने कार्य सूची में दिया है, वैसे ही रखना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कोई सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस प्रकार बिजनेस आइटम में है उसी प्रकार लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (सभापति प्राक्कलन समिति): मैं सदन कृषि क्षेत्र के योजना के विषय में प्राक्कलन समिति 1968-69 के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

यह प्रतिवेदन अन्तर्गत काल में अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 205 के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा इसके मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1968 (विधेयक, सं० 13 सन् 1968) को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वापिस लेने की आज्ञा तो हाउस से दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं दिला देता हूं।

प्रश्न यह है कि न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1968 (विधेयक; सं० 13, सन् 1968) को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं न्यूनतम मजूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक 1968 को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : परसराम मदेरणा।

Page No 41

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री): मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 (विधेयक संख्या 26 सन् 1968) को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 (विधेयक संख्या 26 सन् 1968) को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

श्री समर्थलाल (उप मंत्री) : मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1968 (विधेयक सं० 21 सन् 1968) को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1968 (विधेयक, सं० 21 सन् 1968) को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री समर्थलाल : मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण संशोधन विधेयक, 1968 को वापिस लेता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : और विधेयक के साथ आप भी वापिस जाओ।

बेरी आयोग का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाना

श्री अध्यक्ष : बेरी आयोग Prativedan is deemed to have been puton the table of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय आप इस सम्बंध में जो आगे प्रस्ताव लें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह रिपोर्ट 9 जनवरी; 1969 को राज्य सरकार को मिल गई थी। डेढ़ महीना हो गया है। अब तक उन अधिकारियों के विरुद्ध, उन मुल्जमानों के विरुद्ध जिन्होंने 7 मार्च, 1967 को जयपुर के जौहरी बाजार में राज्य सरकार के इशारे पर मासूम बच्चों के खून से होली खेली थी। जो मुकद्दमा दर्ज किये जाने का सुझाव इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : आप को कैसे मालूम हुआ ?

How could you know ? This is official secret.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : हम मिनिस्टर हैं, हमें ही पता नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है। किस मामले में बहस कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, क्या यह रिलेवेंट है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप का स्थगन प्रस्ताव 11 बजे आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कितने बजे आता ?

श्री अध्यक्ष : 11 बजे उन स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था हो यह प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कह लूं अपनी बात। फिर आप व्यवस्था दे देना।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहना हो जाएगा और आपकी व्यवस्था भी।

श्री अध्यक्ष : यह जो रिपोर्ट आयोग की आयी है। वह पड़ी नहीं रहेगी। इसका अध्ययन होगा। विश्लेषण होगा। सारी बातें होंगी। और तब आप का जो भी भाषण, अभिभाषण हो उसके लिए समय मिलेगा। इसलिए इस समय आप को कहने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी चीज नहीं है। यह साधारण कमीशन की रिपोर्ट नहीं है। आप को मालूम है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में ढिलाई बरती है। मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि इस कमीशन की रिपोर्ट में सरकार का हाथ है। जो कुछ घटनाएं हुई मैं कहता हूं कि आप उन पर गम्भीरता से विचार कीजिए। बेरी कमीशन की रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई है कि गैर वाजिब गोली चलाई गई है। इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सरकार बरखास्त हो जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मन्त्री ने सदन के सामने प्रतिवेदन इतने दबाव के बाद और इतनी मांग किये जाने के बाद देरी से पेश किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है कि रिपोर्ट को समय पर पेश नहीं किया गया। सदन की सबसे पहले रोज की कार्यवाही में मैंने इसे पेश कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। यह तो एक कायदे की बात है। मैंने इस रिपोर्ट को सदन के सबसे पहले दिन पेश कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब पेश की है जबकि इसके सम्बन्ध में मांग की है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने रिपोर्ट की कापी पेश की है, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय लिये हैं क्या वह भी पेश किये हैं ? क्या आपने यह व्यवस्था की है कि इसकी कापी इस सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए उन्हें समय पर मिल जाय ? क्या इस प्रकार की आपने कोई व्यवस्था की है ? अभी तक जो अखबारों से हमको मालूमात

(श्री नत्थीसिंह)

हुई है उनसे मालूम होता है कि सरकार काफी दिनों तक झिझक रही थी इस रिपोर्ट को पेश करने में। अब रिपोर्ट सामने लाई है। इतने दिनों के बाद, और इतने दिनों के बाद यह रिपोर्ट यहां पर रखी जाती है तो जैसा कि एग्रीमेंट था कि बेरी आयोग ने जो सिफारिश की है उनको माना जायगा। लेकिन आप उनको मानते नहीं है और उनके सम्बन्ध में यहां पर कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। तो आखिर झिझक क्यों है ? क्यों नहीं उसको रखना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी यह कहें कि इस सम्बन्ध में जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर आपने क्या फैसले लिये हैं ? और क्यों उन फैसलों को···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! वह स्टेज अभी नहीं आई है। अभी रखी गई है रिपोर्ट। उस पर क्या कदम उठाये गये है और क्या नहीं-इस पर माननीय सदस्य तब अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे जबकि माननीय गृह मंत्रीजी से इसके बारे में सारा स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री नत्थीसिंह : कमीशन ने किसको रिपोर्ट पेश की ? गृह मंत्री को, किसको पेश की ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। अभी ले-डाउन की है रिपोर्ट।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार को पेश की।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो बेरी आयोग ने रिपोर्ट पेश की है वह अंग्रेजी में की है या हिन्दी में पेश की है ? अगर अंग्रेजी में····

श्री दामोदरलाल व्यास : अंग्रेजी में है।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की जनता ने और राजस्थान की विधान सभा ने जब यह निर्णय किया था कि राजस्थान सरकार सारा काम काज हिन्दी में करेगी, तो उसके आधार पर राजस्थान की सरकार को चाहिए यह था कि यह बेरी आयोग की जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है यह हिन्दी में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। यह राजस्थान सरकार के लिए लज्जा की बात है और यह हिन्दी का अपमान है, राष्ट्र भाषा का अपमान है और इस सदन का अपमान है कि वह रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रस्तुत की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि बेरी आयोग की रिपोर्ट जो अंग्रेजी में प्रस्तुत की है उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जाय। चाहिए तो यह था कि गृह मंत्रीजी इसका हिन्दी अनुवाद तैयार करा कर इस रिपोर्ट को हिन्दी में प्रस्तुत करते।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट बेरी कमीशन ने पेश की है वह अंग्रेजी में है। उसकी प्रति ही यहां पेश की है। वैसे उसका हिन्दी ट्रांसलेशन शुरू करा दिया गया है और ट्रांसलेशन होने के बाद ट्रांसलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : डेढ महीने से क्या कर रहे थे, जो अब करा रहे है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, सदन को यह आश्वासन दें कि कब तक यह कर दी जायगी ? अध्यक्ष महोदय, यह होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत दो तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो यह है ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : मैं आपकी मार्फत दो तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो यह है कि जो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसकी कापियां उपलब्ध कराई जांय ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सकें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अंग्रेजी में या हिन्दी में ?

श्री दौलतराम सारण : जब तक अंग्रेजी में है तब तक अंग्रेजी में।

दूसरे यह कि इसका हिन्दी अनुवाद कराकर इसके साथ ही प्रस्तुत किया जाय। तीसरा यह कि रिपोर्ट के ऊपर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं, उन निर्णयों की प्रतिलिपि भी इसके साथ हमारी जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाय। यह हम आपसे चाहेंगे कि यह राज्य सरकार से हमें जानकारी दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बेरी कमीशन की रिपोर्ट, जो माननीय गृह मंत्रीजी ने आज सदन की मेज पर रखी है, एक तरह से सरकार की बरियत बताने के लिए पेश की गई है, यह पेशकदमी के रूप में की गई है। बेरी कमीशन की स्थापना एक गम्भीर वारदात के पश्चात् विरोधी पक्ष के द्वारा मांग करने पर हुई थी, वरना राजस्थान सरकार इसको मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के द्वारा लीपा पोती करके इसको रफा दफा करना चाहती थी। खेद का विषय है और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि यह सरकार जो जनतंत्र के अन्दर अत्यन्त तीव्रता के साथ विश्वास रखती है और जनतंत्र की दुहाइयां देती है, लेकिन आचरण बिल्कुल इसके विपरीत करती है····

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : नहीं नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बेरी कमीशन की रिपोर्ट कम से कम कुछ दिनों पहले सारे सदस्यों को वितरित हो जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, डेढ़ महीना हुआ जब सरकार के पास यह रिपोर्ट आई। सरकार ने इसके ऊपर क्या किया, यह भी हमको पता नहीं चलता। माननीय गृह मन्त्री अभी खड़े हो कर यह कह रहे थे कि इसका हिन्दी अनुवाद तक नहीं किया गया है। तो सरकार इस बारे में क्या रेड टेपिज्म की पॉलिसी को अख्तियार करके इस बारे में जितनी भी देरी की जाय और जितना भी इस मामले को धकाया जाय

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

उतना ही अच्छा वह समझती है। आश्चर्य की बात है कि विधान सभा में कल जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसके अन्दर बेरी कमीशन के सम्बन्ध में एक पैराग्राफ में तो क्या एक लाइन में भी इसका जिक्र नहीं है। यह भी मेरे ख्याल में इस सरकार की नीति का द्योतक है। आखिरकार राजस्थान के राज्यपाल एक पॉलिसी स्टेटमेंट, जो कैबिनेट का होता है, वह ही देते हैं। एक ऐसी गम्भीर वारदात के सम्बन्ध में सरकार की अस्पष्ट नीति है तो आखिरकार हम विरोधी पक्ष के लोग जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर बहस होती, तो उसमें इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहना चाहेंगे, तो हम क्या कहेंगे। माननीय गृह मन्त्रीजी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका अनुवाद हमको वितरित करें। आखिरकार कमीशन के जो निर्णय थे, उन पर डेढ़ महीने में कुछ निर्णय करते। कमीशन के निर्णयों में कई विचाराधीन समस्याएं हैं, सैकड़ों समस्याएं विचाराधीन हैं। यहां पर लोग मर चुके हैं, नौ आदमी मरे और सत्तर घायल हुए, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। उन के लिए कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं की। और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कर्मचारी गुनाह भी करते हैं, सब तरह के, तो भी क्षम्य हैं। क्या अजीब ओ गरीब स्थिति सरकार की है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं चर्चा तो करूंगा, लेकिन माननीय गृह मन्त्रीजी को चाहिए कि कम से कम इस सम्बन्ध में एक दिन नियत करके इस पर बहस करने की व्यवस्था करें। इस पर बहस होनी चाहिये ताकि विरोधी पक्ष के विचारों से और विरोधी पक्ष के आरोपों से सरकार अवगत हो।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी सु.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : बोलने दीजिये।

श्री लादूराम सुलानियां : विधान सभा की परम्पराओं के अनुसार जितना भी बिजनैस इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और सदस्यों को दिया जाता है, जब से राजस्थान में हिन्दी लागू की है तो उस बिजनेस का हिन्दी अनुवाद करा कर दो प्रतियां वितरित की जाती हैं, इंग्लिश में पेश होता है तो उसके साथ साथ हिन्दी में भी होता है। यह एक परम्परा रही है····

श्री अध्यक्ष : वह कठिनाई सदन महसूस कर रहा है। मैं भी समझ रहा हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष, मैं एक दो मिनट लूंगा। इस सदन के अल्पसंख्यक सदस्य ऐसे हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं और इंग्लिश में अध्ययन करते हैं। लेकिन बहु संख्यक सदस्य ऐसे हैं जो सिर्फ हिन्दी में ही बोलते हैं और हिन्दी में ही अध्ययन करते हैं···

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ पूरी हिन्दी भी नहीं जानते।

श्री लादूराम सुलानिया : इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट तब तक वितरित नहीं की जाय जब तक कि उसका अनुवाद नहीं किया जाय। हिन्दी का अनुवाद करके उसके साथ मे सदन में प्रस्तुत की जाय, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! गृहमन्त्री !

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि विरोधी दल के नेता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सरकार की तरफ से फौरी, इस सदन के शुरू होते ही, इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया गया है। बल्कि वह तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम जानबूझ कर देरी लगा रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी तरह कि देरी नहीं की जा रही है। रहा सवाल हिन्दी के अनुवाद की बात का, तो आप सब जानते हैं कि बेरी आयोग की रिपोर्ट 900 पेज की है, उसके हिन्दी अनुवाद को कराने में समय लगेगा। उसमें हेरफेर नहीं कर सकते। उसमें समय लगेगा ......

श्री लादूराम सुलानिया : डेढ़ महीना हो गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाडिया : डेढ़ महीने में क्यों नहीं कराया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! गृहमंत्री जो को स्पष्टीकरण करने का मौका दें। उसके बाद ही दूसरे प्रश्न पैदा होते हैं। ऑर्डर प्लीज ! स्पष्टीकरण करने का मौका दें ......

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सदस्यों ......

श्री अध्यक्ष : उसके बाद में दूसरे सवाल पूछ सकते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मै आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा माध्यम अभी उत्पन्न नहीं होता है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं पूछना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पहले स्पष्टीकरण आ जाय। अगर उसमें आपका प्रश्न नहीं आये तो फिर प्रश्न पूछ लीजिए। अभी स्थान ग्रहण करिए।

श्री लादूराम सुलानियां : कहो कहो।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक प्रति देने का सवाल है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सदन के अन्दर जो विभिन्न पार्टीज हैं उनके नेताओं के पास एक एक प्रति भिजवा दी जायगी.......

श्री जयनारायण सालोदिया : सबको मिलनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : और हिन्दी अनुवाद होते ही उसको मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं जो बात कहना चाहता हूं.......

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी बतायें कि डेढ़ महीने से आपके पास रिपोर्ट आई हुई है, उस समय से आपने इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करवाने का प्रयास किया है क्या ? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया आपने उस रिपोर्ट की एक प्रति दी है, सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस रिपोर्ट की एक एक प्रति कब दे देंगे और हिन्दी अनुवाद कितने रोज में हो जायगा ? जब राजस्थान सरकार के पास इतना बड़ा विभाग है, हिन्दी विभाग है, राजस्थान सरकार के पास इतने कर्मचारी हैं तो क्या राजस्थान सरकार डेढ़ महीने में बेरी आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद नहीं करवा सकती थी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डेढ़ महीने में भी अगर उस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद नहीं करवा सकती तो मैं कहूंगा कि यह सरकार निकम्मी है और यह राजस्थान की जनता की सेवा नहीं कर सकती.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसलिये मैं मांग करूंगा कि इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद जल्दी से जल्दी करवा कर सदन के सभी माननीय सदस्यों को तुरन्त दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : हिन्दी अनुवाद कब तक हो जायगा, यह आश्वासन मिलना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर यह आरोप लगाये बगैर तो नहीं रह सकता कि आखिर राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की सरकार यह जानती है कि यहां की भाषा हिन्दी है, गृह मंत्रीजी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि 900 पेज की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करवाना राज्य सरकार के लिये कोई बहुत बड़ी दिक्कत का काम नहीं है। पर यह सब नहीं करना यह सब लीपापोती है और इसके पीछे एक राज छिपा हुआ है। मैं आरोप लगाता हूं, गृह मंत्री और राजस्थान सरकार पर कि यह आपकी सभी कार्यवाही मेलाफाइडी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय विरोधी दल के नेता को निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बता दें गृह मंत्री महोदय कि इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करवा कर कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार के ऊपर जरूरी नहीं था कि इस रिपोर्ट को सदन में पेश करें, सरकार यदि चाहती तो ऐसा करने से मना कर सकती थी, किसी कानून से सरकार के लिये यह जरूरी नहीं था कि इस रिपोर्ट को यहां सदन में पेश करें। अगर

(श्री दामोदर लाल व्यास)

सरकार की यह मंशा थी कि इस रिपोर्ट को विथहोल्ड करना चाहती हैं तो सरकार के लिये कोई मजबूरी नहीं थी कि इस रिपोर्ट को सदन में पेश करती, पर सरकार ने यह समझ कर कि एक रिपोर्ट है, इसे सदन में पेश करना चाहिये और सबसे पहले मौके पर सदन में पेश कर दी। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर सोच विचार कर उनको कहना चाहिये। जो चीज हम पर लाजमी नहीं है उस काम को हमने सबसे पहले मौके पर किया है।

रही हिन्दी अनुवाद की बात तो जैसा रिपोर्ट है पेश कर दी, अनुवाद हम करवा रहे हैं, हो जायगा और सदन की मेज पर पेश कर देंगे।

श्री लादूराम सुखानियां : गृह मंत्रीजी ने यह कह दिया कि यह जरूरी नहीं, कैसे जरूरी नहीं है, आप तो जांच भी नहीं करवा रहे थे, पर जांच हुई। कल आप कह देंगे कि इस पर बहस भी नहीं करवायेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है। बहस इस पर होगी। क्यों नहीं जरूरी है, वह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एलीगेशन और काउन्टर एलीगेशन की सस्ती राजनीति में विश्वास नहीं करता लेकिन इसमें भी कोई सन्देह नहीं करता कि सरकार के डिस्क्रिशन पर है, सरकार के डिस्क्रिशन पर है कि सदन की मेज पर रिपोर्ट रखे या नहीं रखे पर गृह मंत्री को यह देखना चाहिये कि अगर सरकार का यह निर्णय है कि सदन की मेज पर रिपोर्ट रखी जाय तो उसके साथ कोई तमीज तरीका भी होना चाहिये। एक 900 पेज का डोक्यूमेंट उन्होंने इंग्लिश में रखा है, आप जानते हैं कि क्या यहां सभी इंग्लिश जानते हैं। मैं नहीं कहता कि इंग्लिश बुरी है, मैं तो कहता हूं कि अंग्रेजी का भी महत्व है और हमारे भारतवर्ष की ऐक्यता रखने का साधन है। गृह मंत्रीजी को चाहिये कि इसका हिन्दी अनुवाद पेश करें, नहीं तो यह पेश करना और नहीं करना बेकार है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय पहले ही इस प्रकार फरमा देते और आरोप नहीं लगाते तो अच्छा था। आरोप लगाते हैं कि हमारी नीयत खराब है। हमारी नीयत में कोई खराबी नहीं हैं। अंग्रेजी की रिपोर्ट को रख दिया, हिन्दी अनुवाद रख देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप डिनाई कर सकते हैं आपको वैधानिक अधिकार है, हम आरोप लगा सकते हैं, हम को वैधानिक अधिकार हैं।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : क्या इस रिपोर्ट की अंग्रेजी प्रतियों को सदन के सभी माननीय सदस्यों में बांटा जायगा या दो तीन प्रतियां ही छपवाई हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सरकार पर ब प्रेशर आया है और यह लास्ट मिनिट में प्रेस में आकर ताबड़ तोड़ में फैसला किया है कि अब क्या करें, हम तो पकड़े गये। इस रिपोर्ट को तो सदन की मेज पर रख दें और दूसरी कार्यवाहियां हैं,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हिन्दी अनुवाद छपवाना, उसको सदन की मेज पर रखना यह फिर सब करते रहेगें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): कोई ताबड़ तोड़ में काम नहीं किया है।

श्री नत्थीसिंह : सदन के सभी माननीय सदस्यों को रिपोर्ट की एक-एक प्रति दी जाय, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है, इस रिपोर्ट की प्रतियां आप केवल पार्टीज के नाम पर देना चाहते हैं, इसमें आपका क्या मकसद है, आपको काफी समय मिला, आपकी हरकतें बताती हैं कि आपने इस रिपोर्ट को छुपाने की, दबाने की पूरी नाजायज कोशिशें की हैं। अब इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के बाद भी आप चाहते हैं कि यह प्रतियां सदन के सभी माननीय सदस्यों को मिले नहीं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सरकार के रात दिन प्रेस चलते हैं, आप इसको आदेश दें कि होली की छुट्टियों के बाद इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद छंपवा कर सभी माननीय सदस्यों को दिया जाय ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

क़त्ल करें, कातिल बनें, राज करें और रिपोर्ट भी नहीं रखें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मैंने स्पष्टीकरण चाहा था उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी मालूम करा लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बैरी कमीशन द्वारा दे दी गई थी कितनी ही न्यूज एजेन्सीज द्वारा प्रतिष्ठित अखबारों में यह रिपोर्ट छपी है। यह गवर्नमेंट ही छपाती थी या जरनलिस्ट्स का खुद का क्यास था यह अलग प्रश्न है पर कई जिम्मेदार अखबारों में रिपोर्ट छपी है। और मैं समझता हूं रिलायेएबल रिपोर्ट है। जब जब कमीशन की रिपोर्ट आई है तो गवर्नमेंट उस रिपोर्ट की प्रेसी बनाकर अपना हैंड आउट गवर्नमेंट ने दिया है ताकि वास्तविक रूप जनता के सामने आ जाय। पर इस कमिशन की रिपोर्ट आये इतने महीने बीत गये, गवर्नमेंट के पास पब्लिसिटी डिपार्टमेंट होते हुए, और तरह तरह के अखबारों में इस रिपोर्ट के छपने के बाद भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई प्रेसी इस रिपोर्ट की प्रकाशित नहीं की है।

आज हम यह उम्मीद करते थे कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा उस में भी इसके बारे में क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में कुछ दिया जायगा पर उसमें कुछ नहीं दिया गया। ताकि इस बहस में हम इस मुद्दे को नहीं उठा सके। जब तक इस रिपोर्ट को पढ़े तब तक यह बहस समाप्त हो जाय और इस पर हमें बोलने का मौका नहीं मिले; फिर जैसी आदत पड़ी हुई है, हाउस को एडजोर्न कर भाग जाय। यह गवर्नमेंट के लिये उचित नहीं है। चोर चोरी करे, सहजोरी करे और फिर उसके बाद सीनाजोरी करे यह बात कब तक चल सकेगी? यह सोचने की जरूरत है गवर्नमेंट के लिये। आखिर देश में तरह तरह के वातावरण

(श्री रामानंद अग्रवाल)

चल रहे हैं, आप इनके लिए जिम्मेदार हैं जो इस प्रकार के वातावरण पैदा करना चाहते हैं। जनता को मौका नहीं देना चाहते, जनता के सामने सही तथ्यों को रखना नहीं चाहते, आप जो गुनाह करते हैं उनको छुपाना चाहते हैं। यही कारण है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को आपने छुपाया है, अब भी तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते। इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बात का एक्स्प्लेनेशन दें।

जैसे आम तौर पर उनका तरीका है, जो भी इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, उनका सारांश आपने पब्लिसिटी विभाग के जरिये''

(1 म० प०)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह वाद-विवाद का समय नहीं है''''''

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या हम यह मानकर चलें कि जो भी प्रेस में स्टेटमेंट्स इस बारे में आए हैं और वे सरकार ने कान्ट्रेडिक्ट नहीं किए हैं, वे सही हैं? क्या वे स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट इमैनेटेड हैं, आथेंटिक हैं? क्या स्थिति है?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): मैं गृह मंत्री से बाइज्जत सवाल पूछना चाहती हूं कि इसका हमें दुख है कि हमारी गुप्त से गुप्त आफिस की बातें होती हैं वे बाहर चली जाती हैं। बेरी आयोग ने जो रिपोर्ट लिखी, वे बातें भी बाहर पहुंच गई और उसका सबूत माननीय श्री सतीशचन्द्र जी ने बताया। गृहमंत्रीजी बतावें कि वह चीज कैसे लीक आउट हुई?

श्री रामकिसनजी : यह कैबिनेट में विचार हुआ था'''

श्री दामोदरलाल व्यास (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी से) : आप श्री सतीशचन्द्रजी से ही पूछ लेती ना।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी से) : ऐसे आप क्या खफा हो रही हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक्सप्लैनेशन सतीशजी दे दें तो अच्छा है।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : क्या यह प्रति माननीय सदस्यों को बांटी जायेगी?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अब गृह मंत्रीजी ने इस बात के लिए बड़ा रोष दिखाया और सहानुभूति लेनी चाहिए कि उन्होंने उदारतापूर्वक इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा है अगर वह नहीं चाहते तो रिपोर्ट नहीं रख सकते थे लेकिन बात यह है कि जोधपुर मे श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव से कानूनी सलाह ली और दिल्ली में भी खाक छानली लेकिन सरकार को यही सलाह मिली कि यह पब्लिक इन्क्वायरी है और खास तौर से ऐसे मसले पर जांच की गई है जिसमें जयपुर में 9-9 आदमी आपके कहने के अनुसार मारे जायें, 70-70 घायल हो जायें, धारा 144 लगवा दी जाय, बहुमत के अभाव में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियां पैदा करने के लिए, राजस्थान के तात्कालिक कांग्रेस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शासन के पुलिस अधिकारियों के माध्यम से और साजिश करके लोगों को भूनदें लेकिन आप केवल ए० डी० एम० से इन्क्वायरी करवायें। यह तो राष्ट्रपति महोदय ने करवाई। उनसे 15 मार्च को मांग की कि इतने आदमी मर जायं और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय और जुडीशियल इन्क्वायरी न की जाय, यह राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति महोदय ने आश्वासन दिया तब जाकर जुडिश्यल इन्क्वायरी बैठी है। इसकी क्रेडिट राज्य-सरकार नहीं ले सकती। आपने तो सारे मामले को केवल ए०डी०एम० से इन्क्वायरी के योग्य समझा। सारी इन्क्वायरी में राज्य सरकार ने 1100-1100 रु० रोजाना के वकील मुकर्रर किये, एडवोकेट जनरल को रखा, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट लगाया और 15-20 लाख रुपये के बीच में राज्य सरकार ने अपना काला मुंह बचाने के लिए इस कमीशन पर खर्च किया लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट के पेज 905 पर देखें, उनके कन्क्लूजन्स को उठा कर देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस प्रकार....

(घण्टी)

सत्ता प्राप्त करने के लिए, कुर्सियों से चिपकने के लिए बेगुनाह व्यक्तियों और मासूम बच्चों के खून की होली खेली और सदन में रोब जमाना चाहते हैं कि एहसान किया है। इसकी कापी हर सदस्य को देनी चाहिये और अध्यक्ष महोदय, आप तो कानून के जानकार हैं, आप अच्छे क्रिमिनल वकील हैं। मैं पूछता हूं कि अगर किसी की जानकारी में आ जाय कि यह व्यक्ति मरडरर्स है तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं किया जायगा? जब बेरी आयोग की रिपोर्ट आ गई कि जिन लोगों ने जौहरी बाजार में गोली चलाई वे सब मुल्जिमान हैं, मरडरर्स हैं, उनके खिलाफ केसेज रजिस्टर किए जाने चाहिए तो मैं गृहमंत्री से पूछना चाहता हूं कि रिपोर्ट के पढ़ने के बाद उन मरडरर्स के खिलाफ केसेज रजिस्टर करके गिरफ्तारी के आदेश क्यों नहीं जारी किए ?....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उन ओफेन्डर्स को, मरडरर्स को सेल्टर देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आप उनको प्रोमोशन देना चाहते हैं। आप उनके खिलाफ केसेज रजिस्टर करके, प्रोजीक्यूशन के मामले में कार्यवाही करें, उनको गिरफ्तार करें...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको सस्पेंड करें, डिसमीस करें और मैं समझता हूं, यह काम आपको करना होगा, आपको करना चाहिये था। यह जानकारी हम गृह मंत्री से चाहते हैं कि आपने डेढ़ महीने तक इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद क्या कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं और विरोधी दल के नेता मान चुके हैं कि यह सरकार की डिस्क्रेशन थी उस रिपोर्ट को पेश करना। मैंने सबसे पहला मौका लिया इसको सदन में पेश करने का। जिस तरह से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भार्गव

(श्री दामोदरलाल व्यास)

साहब और दिल्ली के प्रेसर से यह रिपोर्ट यहां पेश की, यह गलत है। यह हमारा फैसला है, किसी भी प्रेशर में आकर यह रिपोर्ट पेश नहीं की है। इसलिए मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि हम किसी प्रेशर में नहीं आए हैं। हमने समझा कि कमीशन की रिपोर्ट है, माननीय सदस्यों को जानकारी देना उचित होगा। इसलिए हमने पेश कर दी है।

रहा सवाल कि हिन्दी अनुवाद क्यों नहीं हुआ। सरकार का जो तरीका है उसको ध्यान में रखना चाहिये। यह कोई एक आदमी का काम नहीं है कि रिपोर्ट आई, पढ़ी और छाप दी, निर्णय ले लिया। आखिर आप जानते हैं कि अभी तीन चार दिन पहले गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट पेश हुई है, उससे पहले आफिसर्स ने स्टडी किया है, ला विभाग ने स्टडी किया है और उसके बाद में इस पर निर्णय लेने के लिए मंत्री मंडल को, सरकार को, डिपार्टमेंट को सारी रिपोर्ट ही नहीं बल्कि उसके रिलेवेंट जितने डाक्यूमेंट्स हैं, एवीडेन्स है सब पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कह देना बहुत आसान है कि निर्णय फौरन ले लेना चाहिये था अब तक हिन्दी अनुवाद कर लेना चाहिये था। हिन्दी अनुवाद पहले जब तक ला डिपार्टमेंट····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गलत कह रहे हैं। तीन कापीज पेश हुई हैं। एक कापी मुकुट बिहारी लाल भार्गव के पास है, दो कापीज होम कमिश्नर के पास हैं। आप गलत कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटली इग्जेमिन किया है ला डिपार्टमेंट में। बरकत साहब खड़े होकर कह दें। सदन में आप झूठ बोल रहे हैं कि ला विभाग इग्जेमिन कर रहा है..

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा माननीय सदस्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : झूठ मत बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कहना कि मुकुट बिहारी भार्गव के पास कापी है और यह कहना कि झूठ बोल रहा हूं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूंगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अच्छा तो आप असत्य बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : विधान सभा में जो बात हम कहते हैं वह जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, मैं जो बात कहता हूं हर्फ हर्फ सही है

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या आपके बिना पूछे थानेदार ट्रांसफर हो जाय? लोग मारे जाते हैं हम उनकी बात यहां करें आप आग बबूला हो जायें··· ··· ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : हमारा भी सेन्टीमेंट हैं और आप आघात न पहुंचायें।

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न का स्पष्टीकरण हो रहा हो तो व्यवधान न डालें उसके बाद और मौका ले सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं अर्ज कर रहा था कि मंत्रीमंडल के सामने तीन चार दिन पहले यह रिपोर्ट पेश हुई। मंत्रियों को हर पहलू पर विचार करने का मौका नहीं मिला। इस रिपोर्ट से संबंधित हजारों डाक्यूमेंट्स हैं, एवीडेन्स हैं। उन पर गंभीरता से विचार करके कुछ न कुछ निर्णय लेगी, उसके लिये समय चाहिए। यह कहना कि सरकार को इससे पहले निर्णय लेना चाहिए था यह बिल्कुल सही बात नहीं है और किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है।

रहा सवाल माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को पढ़कर अपने विचार व्यक्त करें, मुझे ऐतराज नहीं। आप जो कुछ कहना चाहें वैधानिक दायरे में कह सकते हैं माननीय सदस्य बारबार इस चीज को दोहराते हैं कि मर्डर हो गया, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रहा सवाल क्या कराया है और सरकार क्या कराना चाहती है जो कुछ सरकार करना चाहती है और जो वाजिब समझती है वह अवश्य ही करेगी।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी दे दीजिये कि आपको और मुख्य मंत्रीजी को मालूम होगा कि नाथद्वारा कमीशन ने जब रिपोर्ट राज्य सरकार को दी तो उसकी रातों रात प्रतियां छपवा कर वितरित करवा दी गयीं जब यह रिपोर्ट आपको काफी दिनों पहले ही मिल गयी थी उसको प्रेस में क्यों नहीं दिया गया और छपवाया गया और मेम्बर्स को डिस्ट्रिब्यूट होगी तो साइक्लोस्टाइल्ड कापी ही कर देते

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हर रिपोर्ट प्रेस को देना सरकार की ओर से यह एक गलत तरीका होगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रेस से मतलब प्रिन्टिंग प्रेस से है

श्री दामोदर लाल व्यास : प्रिन्टिंग प्रेस वगैर से सम्बन्धित नहीं है। प्रेस को देने का जहां तक सवाल है मुझे नहीं मालूम कि उनको यह कैसे मालूम हुआ। न तो हमारे जरिये कहा गया और न ही हमने कहा है।

जयपुर से आये माननीय सदस्य ने बड़े जोश खरोश के साथ इसको उठाकर कहा कि इस प्रकार का षड़यन्त्र करके सत्ता प्राप्त की और शासन कायम किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी आयोग ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि यह बात गलत है कि सरकार ने कोई कोन्सपरेशी करके और यह कार्यवाही करके सत्ता प्राप्त की

श्री सतीश चंद्र अग्रवाल : बाकी तो सब सच है?

श्री दामोदर लाल व्यास : आप तो कहते आये हैं और कहते जावेंगे और इसमें जो कुछ लिखा है उसके खिलाफ भी कहेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं दो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

शब्द कहना चाहूंगा। (विराम)। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से संकेत के रूप में ही जानकारी करना चाहता हूं कि आखिरकार सरकार ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है, सदन की मेज पर रखी उसका कोई कारण होना चाहिये और सामान्य कारण यही है कि रूल्स के अन्तर्गत या तो विरोधी पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार को मजबूर किया जाय कि चर्चा करे क्या यह जान सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में चर्चा करने का मौका देगी और सरकार संक्षिप्त रूप में बीस पच्चीस पेज नोट के रूप में अपने विचार सदन के समक्ष रखने की कृपा करेगी या सदन के समक्ष रखने की इच्छा रखती है? इस सम्बन्ध में उभय पक्ष केबिनेट का निर्णय हुआ है उसके बारे में रखती है नहीं तो कह सकती है कि यह समस्या विचाराधीन है। चूंकि यह रिपोर्ट यहां आयी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है इसीलिये मैं आप से यह जानकारी चाह रहा हूं।

श्री लाभचंद वैद् (सुजानगढ़) : इसकी प्रति सब को बांटी जावेगी या नहीं?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उसके सम्बन्ध में कोई सीक्रेसी मेन्टेन नहीं करना चाहती थी और माननीय सदस्यों की जानकारी में जो भी उसमें कन्टेन्ट्स दिये गये हैं वह आ जाय उसी दृष्टि से इसको यहां रखा गया है। इसके सम्बन्ध में यहां चर्चा हो उस सम्बन्ध मे हमें कतई एतराज नहीं होगा। बल्कि हमें निर्णय पर पहुंचने में माननीय सदस्य यहां जो कुछ कहेंगे उसमें मदद ही मिलेगी।

श्री सतीश चंद्र अग्रवाल : इसके बारे में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जो कुछ यहां चर्चा होगी उससे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री नत्थी सिंह : इसका मतलब यह है कि जब तक सदन चलेगा तब तक फैसला नहीं करेंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान हाई कोर्ट के जिस समय जस्टिस बेरी को नियुक्त किया गया था उससे पूर्व तात्कालीन चीफ जस्टिस श्री दवे थे, उस समय इस कमीशन की नियुक्ति के समय राजस्थान सरकार और मुख्य न्यायाधीश के बीच पत्र व्यवहार हुआ था, उसमें राजस्थान सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि जज की रिपोर्ट को यूं का यों एक्सेप्ट करेंगे?

श्री दामोदर लाल व्यास : जहां तक बेरी कमीशन की नियुक्ति का सवाल है यह राष्ट्रपति शासन में हुआ है। जो पत्र और कागजात उससे सम्बन्धित है उनको मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। उस समय की सरकार ने कोई एश्योरेन्स या कमिटमेन्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमीशन की नियुक्ति के सम्बन्ध में उस वक्त की सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने, होम डिपार्टमेन्ट, ला डिपार्टमेन्ट ने, गवर्नर ने या प्रजेन्ट गवर्नर ने क्या इस प्रकारका कोई एश्योरेन्स चीफ जस्टिस को नहीं दिया था कि इस कमीशन की फाइन्डिंग्स को का यों एक्सैप्ट करेंगे क्या आपका मतलब यही है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जो फाइल इससे सम्बन्धित है उसमें इस प्रकार का कोई एश्योरेन्स नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : दूसरी फाइल में हो तो बतायें।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : केवल मात्र मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं········

श्री दामोदरलाल व्यास : वह नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बारह वर्ष से आपको जानता हूं झूठे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रति नहीं दी जाकर दो तीन प्रतियां इस रिपोर्ट की वितरित की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या रिपोर्ट की प्रतियां वितरित करेंगे ?

(विराम)

स्थगन प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 250 छपवायें।

कई माननीय सदस्य : यह तो मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे विचार जानना चाहते हैं लेकिन रिपोर्ट की कापी नहीं देना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी कतई यह मंशा नहीं है कि इस रिपोर्ट की कापी न मिले।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक एक प्रति पर्याप्त है कम से कम तीन तीन दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बोल रहा हूं। मैं आपके बीच में दखल नहीं देता हूं। आप इतने बड़े आदमी हैं, आप दूसरों के लिये उदाहरण रखिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सौरी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कतई मंशा नहीं है कि कापी से आपको वंचित करें हिन्दी का अनुवाद करवा कर ज्यों ज्यों प्रतियां तैयार होंगी भेजते जावेंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अंग्रेजी की ही दे दीजिये।

श्री नत्थी सिंह : जो व्यक्ति अंग्रेजी की कापियां लेना चाहें तो उनको दे दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो सदन की तौहीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आ रही है कापी।

श्री लादूराम सुलानिया : हिन्दी में करवा कर जल्दी दिलाइये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य यदि इसके बारे में आपत्ति नहीं करें कि हिन्दी की प्रति भी साथ में आनी चाहिये तो अंग्रेजी की प्रति देने के लिए तैयार हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : एक भी कापी आप सदन में नहीं बांटेंगे यह चैलेन्ज है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अंग्रेजी की चाहिये । हिन्दी का अनुवाद बाद में करवा लीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एतराज नहीं होना चाहिये कि हिन्दी की कापी अभी दो ?

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सारे सदस्यों की राय जानना चाहेंगे तो सब ही विधान सभा के सदस्य अंग्रेजी जानने वाले नहीं है । इसलिये हमारी बात सुनना चाहते हैं तो हिन्दी में दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल जयपुर) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य !

मैं स्पष्टीकरण कर दूं । माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि हिन्दी की प्रतियां ज्यों ज्यों छपती जावेंगी माननीय सदस्यों के समक्ष पहुंच जावेंगी ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानिया : छपती जावेंगी कब ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

ज्यों ज्यों का मतलब छपने के प्रोसेस से है। एक इकट्ठी होकर फिर छपें और इकट्ठे होने के पेशतर जितनी छपती रहें । इसमें वह चलती रहे एतराज की बात नहीं है । दूसरा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अंग्रेजी की कापी भी (विराम) दे दी जावेगी । दोनों ही प्रश्न हल होते हैं ।

(1-20 म.प.)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामसिंह कूड़ी, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण, श्री विजयसिंह, मकराना, श्री रामानंद अग्रवाल, श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री आदित्येन्द्र, श्री रामकिशन, श्री केदारनाथ, श्री हीराभाई, श्री मेघराज, श्री चुन्नीलाल इंदलिया तथा श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें अभाव ग्रस्त क्षेत्रों से भू-राजस्व की वसूली को छोड़कर ऋण आदि की सारी वसूलियां करने संबन्धी राज्य सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है । यह मामला इतने अविलंबनीय लोक महत्व का

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाय । किन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय मन्त्री, अकाल सहायता इस विषय पर स्थिति को कल स्पष्ट करने की कृपा करें । मैं इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री रामानंद अग्रवाल व श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सदस्य विधान सभा ने अलवर शहर और तहसील में व्याप्त असुरक्षा की स्थिति और राज्य प्रशासन द्वारा उस पर काबू पाने में असमर्थता पर विचार करने हेतु एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल, सदस्य विधान सभा ने रूपारेल नदी पर पुनः घाटविक अप वीयर को ऊंचा उठाने से भरतपुर जिले की नगर, कामा, डीग एवं भरतपुर तहसीलों में सिंचाई के लिये पानी की कमी हो जाने सम्बन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को शीघ्र सूचित किया जायेगा ।

राजस्थान के राज्य मुद्रणालयों में फेक्टरी एक्ट लागू करने तथा वहां के कर्मचारियों के काम की समयावधि में वृद्धि किये जाने से कर्मचारियों में उत्पन्न असंतोष के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने दी है ।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कोटा जिला में ग्राम कोटड़ी एवं ग्राम अरडाना आदि क्षेत्र में डाकुओं द्वारा लूटपाट करने का उल्लेख किया गया है । यह राज्य में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित है । इन दोनों स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित विषय इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय ।

इसके अतिरिक्त इन विषयों पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाले वाद विवाद के दौरान तथा बजट पर होने वाली बहस तथा अनुदानों की मांगों के दौरान भी संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि कोटा जिले में आये दिन डकैतियां पड़ती हैं । अभी पांच रोज पहले, 7 रोज पहले, कोटा जिले के बारां क्षेत्र के अन्दर जो कि एक सघन क्षेत्र है, कोटड़ी गांव के अन्दर डाका पड़ा है अटरु तहसील के अन्दर भी डाका पड़ा है । इटावा तहसील के अन्दर भी डाका पड़ा है । इस प्रकार इन दस दिनों के अन्दर डकैतियों का जोर बढ़ता जा रहा है । कोटा जिले का जन जीवन असुरक्षित है । वहां के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लोग खतरे में हैं। गांवों को छोड़ छोड़ कर लोग कोटा आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर कोटा के निकट एक गांव है जिसमें अभी अभी डकैती पड़ी है और वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं। गृह मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जनजीवन में सुरक्षा की भावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस प्रश्न पर व्यवस्था दे दी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने मेरे इस स्थगन प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया है।

कोटा जिले के लोगों का जन जीवन सुरक्षित नहीं है। कोटा जिला का मध्यप्रदेश के निकट शाहबाद का इलाका है। वहां पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं है। (घंटी) प्रधान की रिपोर्ट है, अध्यक्ष महोदय, कि उस इलाके के अन्दर जो डाकू हैं, उनके पास पाकिस्तान से आये हुए शस्त्र हैं।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। साथ ही साथ आपके जरिये गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस इलाके के अन्दर जितने भी डाकू हैं उनके पास पाकिस्तान से आये हुए शस्त्र हैं। उनके पास पाकिस्तान से आई हुई राइफलें हैं। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, कोटा के एस. पी. की है।

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इनको बोलने का इस पर अधिकार नहीं है। इनका यह भाषण एक्सपंज होना चाहिये। यह इर्रेलिवेन्ट है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं हो। व्यवस्था दे दी गई है, उस पर भाषण नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के लिए बात कही थी। अकाल की स्थिति पर हम लोगों ने इस सरकार के खिलाफ सभी विरोधी दलों की ओर से एक निंदा का प्रस्ताव दिया है। जब निंदा का प्रस्ताव आगया है तो उस पर धन्यवाद का प्रस्तुत करना बेकार है। इससे पहले निंदा का प्रस्ताव लिया जाना चाहिये। और उस पर वाद-विवाद होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : निंदा का प्रस्ताव कौन सा?

श्री नत्थीसिंह : अकाल की परिस्थितियों पर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : उस पर मेरी व्यवस्था है परम्परागत व्यवस्था है कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होता है। अतः निंदा के प्रस्ताव के लिये यह परम्परा नहीं रहनी चाहिये। यह व्यवस्था मैंने दे दी है इस प्रश्न पर।

Page No 59

श्री नत्थीसिंह: लेकिन ऊपर जो निंदा का प्रस्ताव दे दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के पहले निंदा के प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिये। इसलिये पहले इसे लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन करदूं कि बी. ए. सी. की मीटिंग होगी, मैं इसे उसमें रख कर इस पर निर्णय ले लूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैं आसन के प्रति पूर्ण सम्मान प्रगट करता हूं परन्तु साथ ही मेरा यह अधिकार भी है कि मैं आसन से विनम्र निवेदन करुं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में संबंधित मन्त्री महोदय का स्टेट-मेन्ट अवश्य हो जाना चाहिये। मेरे इस स्थगन प्रस्ताव की कीमत यह कह कर टाल दी कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नही है। यह कह कर इसको टालने की चेष्टा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय मुद्रणालयों में, राजस्थान की तीनों शाखाओं में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके सामने आज स्थिति यह हो रही है कि जो नई वेतन श्रृंखलाएं राज्य सरकार की लागू होने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने कल ही जारी किया हैं और इससे पहले ही उस पर अमल करने के लिये इन कर्मचारियों को वाध्य किया जा रहा है उनसे कहा जा रहा है कि 9 घंटे काम करो राज्य सरकार के बजट मुद्रण का कार्य और कई अन्य कान्फीडेंशल मुद्रण के कार्य की सारी व्यवस्था इन कर्मचारियों के हाथ में है। उनके प्रति (घंटी) वहां के डाइरेक्टर जो हैं, वे इस प्रकार गाली गलोज करते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे कई सम्माननीय व्यक्तियों को आघात पहुंचता है। जैसे वे सम्माननीय व्यक्ति उनको अपनी सेवाएं बेचते हों।

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: इसलिये अध्यक्ष महोदय, कम से कम मन्त्री महोदय को तो कहें कि वे इस पर अपना स्टेटमेंट दें कि मेरे स्थगन प्रस्ताव में सत्यता कितनी है? मैं यही जानना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, अभी हम सब लोगों ने विरोधी पार्टी के सदस्यों ने एक निन्दा का प्रस्ताव अकाल के सम्बन्ध में सरकार की असफलता के बारे में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के सामने आज सबसे प्रबुद्ध समस्या अकाल की है और जिसको सरकार फेश करने में असमर्थ रही है इसको साइट ट्रेक नहीं किया (हल्ला) साइट ट्रेक नहीं किया जाय। राजस्थान की जनता इस तरफ देख रही है कि हम इस पर, इस सदन में इस बात की तरफ कितने सजग हैं, कितनी सजगता बरतते हैं। इस प्रश्न को गवर्नमेंट की तरफ से टालने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो निंदा का प्रस्ताव रखा है, उसमें, उस तमाम अकाल की स्थिति के बारे में हम वे तथ्य इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें हम यह बतलाना चाहते हैं कि राज्य सर-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार ने चाहे वह अकाल की घोषणा के बारे में हों, चाहे अकाल कार्य, राहत कार्य अलग-अलग जिलों में खोलने के बारे में हों, चाहे विभिन्न दलों से सहयोग लेने के बारे में हो, उसके बावजूद ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के इस प्रश्न को मैं समझ गया हूं और मैं इसका निराकरण कर देना चाहता हूं। आप इस प्रस्ताव में, उपरोक्त प्रस्तावों में यह चाहते हैं कि सदन के एजेन्डे में सबसे पहले इसे रखा जाय। यह आपका प्रस्ताव है। मैं इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रख दूंगा और वह इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय करती है। धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रथम में ले या द्वितीय में रखें। चाहे जिस प्रस्ताव को रखे। वहां पार्टिज के सदस्य इस पर निर्णय ले लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तब तक सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : जितना आप इसे महत्वपूर्ण समझते हैं, उतना बी.ए.सी. के माननीय सदस्य भी जो वहां मीट करेंगे, वे भी इसको उतना ही महत्वपूर्ण समझेंगे। एजेन्डे के अन्दर इसको पहले या बाद में ले, इसलिये यह उनके सम्मुख वहां रख दिया है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो निन्दा का प्रस्ताव दिया गया है उसके पहले यदि धन्यवाद का प्रस्ताव ले लिया जाता है तो एक दिक्कत पैदा हो सकती है, उसके लेने के बाद तो राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरु हो जाता है। उसमें अकाल का मुद्दा भी लिया गया है जिस बात पर हम पहले बहस करना चाहते हैं वह बहस हो जायगी। हमारा उद्देश्य प्रस्ताव रखने का एकमात्र यही है कि हम पहले पूरी चर्चा अकाल पर कर लें उसके बाद दूसरा हिस्सा है सरकार की विफलता के बारे में उसके बारे में सुझाव दे सकें। अगर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरु हो जाती है उसमें अकाल का सवाल ले लेंगे वहां अपने आप निन्दा का प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहीं रहेगा।

पहले भी ऐसा हुआ था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस से पहले निन्दा का प्रस्ताव लिया गया था। लोक सभा में भी यही हुआ था। अत: सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करके पहले इस प्रश्न को लेने के लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार कर लिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव से मैं एक हद तक सहमत हूं। अगर विरोधीपक्ष अकाल की स्थिति को विशेष महत्वपूर्ण मानता है तो कम से कम मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको इस संबंध में हमारे अपने जो कुछ विचार हैं उनको सुनना चाहिये। आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की मीटिंग दो बजे बुलाई है अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस प्रारम्भ होती है, प्रस्ताव पर बोलना शुरु कर देते हैं तो इस बारे में हमारी विचारधारा की अवहेलना होती है वह भी केवल मात्र बीस मिनट के लिये। मेरे ख्याल में आपको भी इसको विशेष प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये हमारी तरफ से जो सुझाव विनम्रता पूर्वक दिया जा रहा है कि जहां दो बजे आपने बिजिनेश एडवाईजरी कमेटी को बुलाया है वहां पन्द्रहं मिनट पहले भी बुला सकते हैं तब तक के लिये सदन को स्थगित कर दें। वरना हमको जैसा पहले का कटु अनुभव है गत सत्र में आसन की तरफ से क्या और किस किस प्रकार का व्यवहार किया गया मैं उस पर विशेष प्रकाश डालना नहीं चाहता। उसी पृष्ठभूमि में उन प्लेजेन्ट वीटरनेस कटुता वाद-विवाद में उत्पन्न न हो इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सदन को थोड़े समय के लिए स्थगित करके इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने वायामिडिया निकाल लिया है • • •

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पचास दफा खड़ा हो चुका आपने मुझे समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मैं नया निर्णय लेने जा रहा हूं जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं ••••

(श्री रामचन्द्र आर्य, बोलते ही रहे जो बार बार अध्यक्ष महोदय के आर्डर आर्डर करने के कारण नहीं सुना जा सका)

श्री अध्यक्ष : मैं, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर निर्णय लेने जा रहा हूं आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

यह जो मोशन प्रस्तुत हुआ है वह 11 बजे प्रस्तुत हुआ है इसका सरकुलेशन अवशेष है उसके बाद माननीय सदस्य इसमें संशोधन भी दे सकते हैं। इसके बारे में जो रूल्स हैं उसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते ही हैं मैं उसका हवाला देना नहीं चाहता। फिर भी माननीय विरोधी दल के नेता और अन्य पार्टी के सदस्यों ने और नेताओं ने जो भावना व्यक्त की हैं हालांकि इसमें कई प्रोसीजरल पेचीदगियां हैं फिर भी इसको सुलझाने का मौका मिल जायेगा, प्राथमिकता के प्रश्न पर विचार करने का मौका मिल जायगा इसलिए मैं उचित समझता हूं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय तब तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाय। जो माननीय सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं वे कृपया मेरे चेम्बर में उपस्थित हो जांय ताकि इस प्रश्न पर विचार कर निर्णय लिया जाय। इसलिए सदन की कार्यवाही आधे घण्टे तक या तब तक जब तक इस प्रश्न पर विचार न हो जाय, तब तक के लिए सदन को स्थगित किया जाता है।

(तदनंतर म.प. 1.36 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई)

(म. प. 2.42 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का निर्णय ।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति का 16वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 16वां प्रतिवेदन तो 17 सितम्बर को आ चुका है । 17वां प्रतिवेदन है ।

श्री हरिदेव जोशी : टाइप किया हुआ मेरे पास है, वही मैंने बताया है । 16वां प्रतिवेदन ही है ।

मैं इसे पढ़ दूं ।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1969 को हुई ।

दिनांक 25 फरवरी से 7 मार्च, 1969 तक के लिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि इसके लिये समय का बंटवारा इस प्रकार किया जाय ।

मंगलवार व बुधवार दिनांक 25 व 26 फरवरी 1969	अकाल सहायता के सम्बन्ध में निन्दा प्रस्ताव पर विचार
गुरुवार दिनांक 27 फरवरी तथा बुधवार व गुरुवार दिनांक 5 व 6 मार्च, 1969	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद
गुरुवार दिनांक 7 मार्च	(1) विधायी कार्य (प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक) (2) आय - व्ययक 1969-70 का उपस्थापन (अपरान्ह 4.30 बजे)

विधायी कार्य तथा आय-व्यय के उपस्थापन के बीच आधे घन्टे का अवकाश)

उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष . प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव के मूवर महोदय ।

(2.43 म. प.)

अकाल सहायता के संबंध में निन्दा प्रस्ताव पर विचार

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्न निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"इस वर्ष राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में, भीषण अकाल से लाखों पशु तथा सैकड़ों मनुष्य काल के ग्रास बने हैं । राज्य सरकार इस अकाल का सामना करने में पूर्णतः विफल रही है । अकाल निवारण के निमित्त जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें मानवता की भावना के बजाय दलगत स्वार्थ को ध्यान में रखा गया है ।

स्थिति पर काबू पाने के लिये प्रयत्न करने के बजाय राज्य सरकार पशुओं व

(श्री रामकिशन)

मनुष्यों के मरने के समाचारों का खंडन करने मात्र में ही अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझ रही है।

अकाल का सफलता पूर्वक मुकाबला न कर सकने के कारण यह सदन राज्य सरकार की निन्दा करता है।''

राजस्थान सरकार 20 वर्षों से मानवता के हनन का अपराध कर रही है और उन अपराधों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले कर किसी न किसी तरह कुदरत पर वह जिम्मेदारी डालने की कोशिश करती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि राजस्थान में राजाओं के राज्य में अकाल पड़ सकते थे और उस समय अकाल पड़ने का कारण हो सकता था क्योंकि उस समय अर्थ व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, केन्द्र में अंग्रेजों की सरकार और साधनों का अभाव यह कारण थे जिनसे राजस्थान में अकाल उस समय पड़ते थे, यह तो मेरी समझ में आता है कि उस समय में इन कारणों से अकाल पड़ते थे पर आज हिन्दुस्तान में 20 वर्ष की आजादी के बाद राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ते हैं और अकाल भी ऐसे भयंकर पड़ते हैं, जब पिछली बार सदन शुरू हुआ था तो हमने अकाल की चर्चा की, उस समय अकाल सहायता मंत्री ने कहा था कि यदि बरसात शुरू हो गई तो अकाल की संभावना नहीं है।

(2.44 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन उस समय का उनका बयान इस बात का प्रतीक है, गवाह है कि बरसात मदद करेगी तो अकाल से राहत मिलेगी, सरकार के किसी प्रकार के प्रयास से अकाल से राहत नहीं मिलेगी, सरकार निरन्तर उपेक्षा बरतती रही, अकाल से लाखों प्राणियों को हर वर्ष कष्ट उठाने पड़े। कहीं कहीं छोटे मोटे कार्य शुरू करने के बाद सरकार ने समझ लिया कि हमारे काम की इति श्री हो गई, कहीं कहीं रास्तों पर मिट्टी डलवा कर, छोटी मोटी सड़कों पर कुछ कार्य करवा कर, एक दो कुओं या तालाबों की मरम्मत करवा कर सरकार ने समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया। सरकार का यह सारा दृष्टिकोण 20 वर्ष बाद इकट्ठा होकर आज हमारे सामने आया तो सरकार की तरफ से आज कहा जा रहा है कि ऐसा अकाल जैसा इस साल राजस्थान में पड़ा ऐसा 100 सालों में नहीं पड़ा, यह सरकार के मंत्रियों के बयान हैं।

आज से पौने छः महीने पहले सरकार ने कहा था कि अकाल नहीं पड़ेगा, हमने अकाल पर काबू पा लिया है। एक महीने बाद ही दूसरा बयान देना शुरू कर दिया, दो महीने बाद तीसरा बयान दे दिया राजस्थान के मुख्य मंत्री ने और और मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि इतना भयंकर अकाल राजस्थान में कभी नही पड़ा मैं मुख्य मंत्री और अकाल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अकाल पर विजय पाने के उपाय आज संसार में नहीं निकाल लिये गये हैं? आज चन्द्रलोक में लोग जा रहे हैं तो यह हंसी की और चिन्ता की बात है कि हमारे यहां कुछ लोग बगैर पानी के मर जायं,

(श्री रामकिशन)

बगैर भोजन के और अपौष्टिक भोजन के फलस्वरूप हजारों आदमी मर जायें, इससे बढ़ कर लज्जा की और कोई बात सरकार के लिये नहीं हो सकती।

आज जिस तरह की दलीलें दे कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करना चाहती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कुदरत पर विजय नहीं पा सकते थे ? क्या यह राजस्थान की ही समस्या है ? आज हमारी ही तरह के दुनियां के दूसरे देश हैं, हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्त हैं वहां यह क्या होता है ? अकाल का सवाल केवल राजस्थान का ही सवाल नहीं है, यह हिन्दुस्तान के आयोजनों की असफलता का, योजनाओं की असफलता का फल है। जब सारी दुनियां सुन रही है कि हिन्दुस्तान में योजनाएं भी चल रही हैं, उसके साथ साथ आयोजनों के साथ साथ भुखमरी भी चले, बेरोजगारी भी चले तो अर्थ शास्त्री मानते हैं कि चाहे पूंजीवादी योजना होती, चाहे समाजवादी योजना होती सरकार अपने पुराने ढर्रे में कोई परिवर्तन नहीं करे इससे बढ़कर राजस्थान की सरकार के लिये और केन्द्र सरकार के लिए और कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती।

20 वर्षों में आजादी के बाद कोई ऐसा साल नहीं रहा जब राजस्थान में अकाल नहीं पडे हों और इनके लिये सरकार का एक ही रटा रटाया जवाब है कि बरसात नहीं हुई, भगवान नाराज हो गये। जो हिन्दू संस्कृति में विश्वास रखते हैं उनसे मैं क्षमा याचना कर लेता हूं, कुछ सरकारी लोगों ने सरकारी आयोजनों की मार्फत हवन कराने शुरू कर दिये हैं कि हवन हो जायेंगे तो अकाल खत्म हो जायगा। जो सरकार जनता को इस प्रकार के अन्ध विश्वास पर, भगवान पर, भाग्य पर रखना चाहती है, उसके पीछे षड्यन्त्र है, विशेष प्रकार का इरादा है। सरकार का इरादा यह है कि हिन्दुस्तान के लोगों के अन्ध विश्वास का फायदा उठा कर यह कह दें कि हमने हवन करवाये, प्रार्थनाएं करवाईं, मस्जिदों में दुआएं करवाईं, फला मन्त्री ने मस्जिद में जाकर दुआएं कीं ......

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार ने किस जगह ऐसे हवन करवाये हैं ?

श्री रामकिशन : आप सुनेंगे जब, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ? पहले सुन लीजिये, सरकार के सहयोग से हवन करवाये हैं, आपके मंत्री तो अनुष्ठान कराते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपके मुख्य मंत्री के बंगले पर हमेशा अनुष्ठान होते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ का हवन और अनुष्ठानों में ज्यादा विश्वास है।

श्री रामकिशन : इस प्रकार सरकार अंध विश्वासों का फायदा उठा कर अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्त्तव्यों से बचना चाहती है।

आखिर इन अकालों के पड़ने के कारण क्या हैं, अकाल हिन्दुस्तान में ही क्यों पड़ते हैं ? हमारे जैसी जलवायु के दूसरे मुल्क हैं, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया, बर्मा, और

(श्री रामकिशन)

अरब देश हैं, इजराइल है, वहां तो अकाल नहीं पड़ते। आजादी के बाद राजस्थान में 13 अकाल और हिन्दुस्तान में 7 अकाल पड़े हैं। दूसरी जगह यह स्थिति क्यों नहीं आई ? इसके पीछे कारण क्या हैं ? इस हिन्दुस्तान की सरकार ने पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं पर 2.18 खरब रुपयों का खर्चा किया है ? इतना खर्चा करने के बाद क्या कोई देश बेरोजगारी से, अकाल से, भुखमरी से कष्ट पा सकता है। इतना खर्चा योजनाओं पर किया, भीमसेनजी से तो हिसाब भी नहीं लगेगा कि 218 खरब रुपया कितना होता है। फिर भी हमारे यहां भुखमरी, बेरोजगारी और अकाल की स्थिति होती है तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन योजनाओं का तात्पर्य क्या है ? योजनाओं का तात्पर्य यह है कि हमारे पास साधन कम हैं, समस्याएं ज्यादा हैं। इसलिए हम प्राथमिकतायें तय करें, उनके अनुसार अपने नियोजन या आधार बनाएं लेकिन राजस्थान में और हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 2 खरब 18 अरब में से भारत सरकार ने मल्टीपरपज रीवर स्कीम्स पर 2,200 करोड़, सिंचाई साधनों पर 1,200, बाढ़ नियंत्रण पर 2 अरब रुपए खर्च किए। तो इसका मतलब बाढ़ नियंत्रण, पानी, बिजली ले लेते हैं तो भारत सरकार ने, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, केवल 36 अरब खर्च किए हैं। इससे साफ हो जायगा कि भारत सरकार ने जान बूझकर इस देश को भूखा मारने का षड़यंत्र किया है। उसके पीछे उसकी भावना है कि अगर हिन्दुस्तान का नौजवान, हिन्दुस्तान का गरीब अकाल से छुटकारा पा गया तो कांग्रेस इस देश में जीत नहीं सकेगी। कांग्रेस वालों का दिमाग क्या है ? उनको खुशी तब होती है जब मंत्री, जैसे भीखाभाई, दौरे पर जाते हैं तो लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा एरिया अकाल-पीड़ित घोषित करवा दो। अगर अकाल का काम नहीं है तो उनसे मिलने कोई नहीं आयगा। उनके केवल तीन काम होते हैं : एक अकाल के काम, बेरोजगार लड़के नौकरी के लिए फिरते रहें और तीसरे हमारा ट्रांसफर करवा दो। अगर ये तीन काम हो जायं तो कांग्रेस के किसी आदमी का मुंह देखने को लोग तैयार नहीं। आप अपने मन में सोचें आपकी आर्थिक नीतियां क्या हैं ? सामाजिक नीतियां क्या हैं ? राजस्थान का निर्माण कैसे होगा ? इन बातों से, लोग जानते हैं, आपका कोई सरोकार नहीं। इस तरह योजना आयोग और राजस्थान के योजना मंडलों ने षड़यंत्र किया कि देश में निरंतर अकाल की स्थिति बनी रहे। अकाल समाप्त हो जायगा तो कांग्रेस मर जायगी। इसलिए जब तक कांग्रेस को नहीं मारेंगे तब तक अकाल नहीं मिट सकता। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जो लोग अकाल से पीड़ित हैं वे कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश करें।

मैं बांसवाड़ा गया था और डूंगरपुर भीखा भाई के इलाके में भी गया था। भीखा भाई सागवाड़ा में रात को ठहरे थे। मैं दिन को ठहरा था। मैंने लोगों से पूछा क्या तकलीफ है ? आखिर आपको भीखाभाई की जरूरत क्यों पड़ रही है ? यहां 20 वर्ष से अकाल पड़ा है। डूंगरपुर,

(श्री रामकिशन)

बांसवाड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर में पड़ा है और अब 25 जिलों में पड़ा है। इन 20 वर्षों में आपने अकाल निवारण के लिए क्या योजना रखी ? सड़कों पर मिट्टी डालने से अकाल नहीं मिटेगा। अकाल इस देश में इसलिए आया है कि पानी की कमी है। पानी की उपलब्धि का प्रबंध किया जाता तो सड़कें बन जातीं। सड़कों पर मिट्टी डलवाई उसके बाद भील का लड़का, आदिवासी का लड़का और हरिजन के लड़के घूमने शुरू कर देते हैं। ओवरसीयर से कहते हैं कि हमने 15 गड्ढे खोद दिए हैं आपने 10 कैसे लिखे ? उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, स्वाभिमान नष्ट आदमी निरन्तर कांग्रेस के पास चक्कर लगाने की कोशिश करता है।

सरकार ने बिजली और पानी का क्यों नही प्रबंध किया ? अगर नेहरू, लाल बहादुर और इन्द्राजी के बजाय और राजस्थान में सुखाड़ियाजी और व्यासजी के बजाय, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के बजाय साधारण लोग गद्दी पर बैठते तो वे जितना पैसा योजनाओं में आता है उसका आधा पानी और बिजली में खर्च करते और 20 वर्षों में अगर ऐसा किया जाता तो अकाल तो पड़ सकता था, इंद्र की गैरंटी नहीं थी लेकिन अकाल की व्यापकता इतनी नहीं होती जितनी आज है। राजस्थान में खाली जमीन है, हमारे साधन हैं। अमरीका और रूस से कर्जा ले रहे हैं, दुनियां का कोई देश कोरा हमने नहीं छोड़ा, 55 देश हैं उनसे भी और जापान से भी कर्जा लिया, वह बिजली और पानी पर खर्च न करके ठाटबाट पर खर्च करने के बाद जब अकाल पड़ता है तो इन्द्र पर जिम्मेदारी डालते हैं।

हर वक्त बयान आते रहते हैं कि 100 आदमी मर गए, 150 आदमी मर गए, कांग्रेस के संसद सदस्य कहते हैं कि मर गए लेकिन सरकारी घोषणा होती है कि कोई नहीं मरा। मंत्रियों के भाषणों से कुछ नहीं होना है, आप विचार करें कि अकाल क्यों पड़ता है ? यदि हमारे पास पैसे का अभाव होता, इंजीनियरों का अभाव होता तो मैं मान सकता था कि हमारा बस नहीं है। भारत सरकार ने 20 वर्षों में करीब 18 अरब रुपये लगाए हैं उसमें से राजस्थान ने 5 अरब रुपये खर्च किए हैं। इसमें से छोटे कामों पर कितना खर्च किया है, सड़कों पर कितना और पानी और बिजली पर कितना ? अगर पानी और बिजली पर ढाई अरब रुपये भी खर्च कर देते तो बाड़मेर छोड़कर लोग गुजरात नहीं जाते, जैसलमेर छोड़कर घर घर के भिखारी नहीं बनते। हमें बहुत दर्द होता है। जो मारवाड़ से चुनकर आए हैं, उनको स्वाभिमान नहीं, उनका मन मर गया है। मैं नहीं कह सकता कि इसका इलाज क्या है ? लेकिन आपका मन मर चुका है, आप इसको बरदाश्त करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि एक तरफ प्रकृति आप पर नाराज है तो पाकिस्तान, बर्मा और इंडोनेशिया पर क्यों नही नाराज है ? लेकिन आपको ट्रांसफर्स से फुरसत नहीं। आपने किताब पढ़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने क्या कहा है केन्द्रीय सरकार से ? किसी मंत्री ने नहीं पढ़ी होगी। आप मंत्री किस

(श्री रामकिशन)

लिए बनना चहाते हैं। आप भंडी वाली मोटर लेना चाहते हैं तो आपके दिन पूरे हो गए, पुनः जन्म के लिए आप चाहे न रहें। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के लोगों के जब प्राण निकलते हैं तो हमें वेदना होती है। गांव तो आप के हैं लेकिन राजस्थानी की हैसियत से हमें वेदना होती है। आपके दिमाग में इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाय, इसके लिए कोई रास्ता नहीं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रकृति के प्रकोप के कारण राजस्थान अकाल से पीड़ित है। राजस्थान इंद्र की वजह से नहीं इंद्रा की वजह से पीड़ित है।

अभी अमेरिका वालों ने विदेशी कर्ज की किताब निकाली है। खेतसिंहजी को ज्यादा समय नहीं, बिजली का लट्ठा लगवा दिया वही काफी है। अमेरिका ने कर्जा दिया है। उसको इस बात का अधिकार नहीं कि वह कहे कि पैसे कहां खर्च करे लेकिन उसने दबी जबान में कहा है, निक्शन ने कहा है कि सन् 1975 में एशिया और अफ्रीका के देशों में अकाल पड़ेगा तो अमेरीका फैसला करेगा कि किस को हम जिंदा रखे और मारें। क्या यह पढ़के आपका खून उबला? लेकिन आपके दिमाग पर असर नहीं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि एशियाई सब मरेंगे लेकिन कौन बचाया जाय इसका फैसला अमरीका करेगा।

(3 म०प०)

इस स्टेटमेंट के पीछे उनकी भावना क्या है? उनका कहना यह है कि जितना पैसा दिया है हमने, उन्होंने एक किताब निकाली है विस्तार में, एशियाई अफ्रीकी लोगों ने आयोजन के नाम पर उसको बर्बाद किया है। खेती पानी और बिजली पर उसको खर्च करते तो बढ़ती हुई जनसंख्या होने पर भी भुखमरी नहीं होती। उन्होंने लिखा है हिन्दुस्तान की सरकार ने कर्जा लिया, बांधों पर खर्च किया उसका उन्होंने हिसाब दे दिया, किस पर उन्होंने खर्च किया? सड़कों को चौड़ी करने में खर्च किया, रेलों के स्टेशनों को बढ़ाने में खर्च कर दिया और बाकी का रुपया केवल फैशन पर खर्च किया। आखिर इसलिए अकाल पड़ते हैं। यदि विदेशी कर्ज का एक बड़ा अंश भी इस ओर खर्च किया जाता तो अकाल नहीं पड़ते और यह भुखमरी नहीं फैलती। "विदेशी कर्ज और अमेरिका" यह पुस्तक मेरी अटेची में है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: अंग्रेजी में है।

श्री रामकिशन: विदेशी लेखकों की अंग्रेजी मैं पढ़ता हूं। लेकिन आप जैसे नक्कालों की नहीं पढ़ता। मैं समझता हूं नकल करता है बन्दर और बन्दरों से मुझे मोहब्बत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपके बुजुर्ग उन्हीं में से निकले हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: ये तो सुखाड़ियाजी के पालतू बन्दर हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप तो रामकिशनजी की पालतू बिल्ली हैं।

Page No 68

श्री रामकिशन : अमेरिका की चेतावनी हो सकती है और एशियाई मुल्कों को डराने के लिये एक षड़यन्त्र भी हो सकता है। चौथा कारण मैंने समझा-है वह यह है कि निश्चित तौर पर अकाल की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार पर है। उन्होंने पैसे का गलत उपयोग करके इस सारी स्थिति को पैदा किया है। राजस्थान में अकाल पड़ते रहे, सरकार सजग नहीं हुई। मुख्य मंत्री के भाषण आते रहे कि अकाल की साइकिल चलती रहती है। मुख्य मंत्रीजी बयान देते हैं कि साइकिल चलती है तो मैं समझता हूं कि उनको इसका ज्ञान तो है। मैं यह नहीं कहता कि उनको इसका ज्ञान नहीं। यदि उनको इसका ज्ञान है तो क्या उनके पास अकाल निवारण के लिये कोई योजना है? सड़कें या सोइल कन्जर्वेशन से दो चार मेड़ बन्दी करने के अलावा और क्या काम किया? 65 करोड़ रुपया आपने खर्च किया। 21 करोड़ रुपया आपने इस वर्ष के लिये कहा है, उसको छोड़ दें। जितना पानी राजस्थान में उपलब्ध है उसका सोलहवां हिस्सा भी छोटे २ इलाकों में उपयोग कर लेते तो अकाल की भीषणता कम हो सकती थी। जैसलमेर, बाड़मेर में पानी न हो, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हर जगह कहीं न कहीं पानी बहता है, काफी पानी है। 64 में अकाल नहीं था। चुनावों में अकाल था। आपने इन दो इलाकों में खर्च किया। पानी पर कितना खर्च किया? यह आपको जानकारी होगी तो ताज्जुब होगा कि केवल बांधों पर 13-14 लाख खर्च किया, बाकी सब सड़कें डाल दी। अकाल सड़कों की वजह से नहीं आया है लेकिन अकाल पानी के कारण आया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर इलाके में 13-14 लाख खर्च करके या तो आप चाहते हैं कि वे लोग अकाल पीड़ित रहें और आप लोगों से दबे रहें और उनका स्वाभिमान जागे नहीं। इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर महोदय यहां नहीं हैं। वे उस इलाके से चुन कर आते हैं। कांग्रेस की नीति क्या है, क्या किया-उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा। जो आदमी आता है वह उनको कहता है कि अकाल का कैम्प खोल दो। वे कहते हैं पहले लाल टोपी उतार आओ और सफेद टोपी पहन आओ फिर कैम्प खुलेगा। सारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इलाका तैयार है यदि सफेद टोपी से अकाल नहीं पड़ता हो? लेकिन राजस्थान में तो अकाल पड़ता ही इस सफेद टोपी के कारण है। मैं तुलसीदासजी की मान्यताओं की बात नहीं कह रहा हूं। मैं धार्मिक भावनाओं को नहीं उठाना चाहता हूं। मैं काफी कह चुका हूं कि अकाल किस राज्य में पड़ता है, हत्याएं किस राज्य में होती हैं और डकैती किस राज्य में होती है। जो तुलसीदासजी ने कहा है उसको यदि मैं कहूंगा तो आपको अत्यधिक दुःख होगा, आप का हृदय रोने लगेगा और आप गड़बड़ा जावेंगे। मैं तुलसीदासजी की व्यवस्थाओं से भिन्न राय रखता हूं। मैं इसको धार्मिक भावना से जोड़ना नहीं चाहता हूं क्या किसी मंत्री के लिए यह उचित है कि अकाल की राजनीति चला कर दलगत राजनीति को चलाये? वे सरपंचों को और पंचों को बुला कर कहते हैं कि तुम्हारे गांवों में तब तक अकाल का काम नहीं होगा जब तक कि तुम समाजवादी हो। अकाल का दण्ड आप नहीं भुगतेंगे लेकिन उसको पार्टीज के बीच में जोड़ देंगे जब अकाल पड़ेगा।

(श्री रा किशन)

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा सारी सरकार का मंत्रि मण्डल इस दृष्टि से काम करता है। एक बार अकाल की अनो-पचारिक चर्चा हुई थी। हमने यह फैसला किया, सब शामिल थे. हम अकाल की चर्चा जिन इलाकों में अकाल नहीं है उनके बारे में यहां नहीं करेंगे। इसलिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में ज्यादा पीड़ित लोग हैं उनको सहायता अधिक प्राप्त हो सके। जब अकाल की घोषणा हुई तो सारे कांग्रेस के लोग चक्कर लगाने लगे। भीलवाड़ा के सारे बांध पानी से भर गये-यह समाचार आये और दूसरी बार यह समाचार छपने लगे कि वहां तो अकाल पड़ गया है। जो पैसा बांस-वाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में लगना चाहिये था, कोलायत में लगना चाहिये था उसको केवल हमारे यहां कांग्रेस मजबूत रहे इस दृष्टि से कांग्रेस के लोग खर्च करवा रहे हैं। क्या आपके मन में कोई लज्जा भी है कि हम क्या करने जा रहे हैं? भरतपुर में भी अकाल है। जिस प्रकार की चर्चा की है, जिला परिषद् और पंचायत समितियों ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। पांच वर्ष में एक तिहाई भी वहां खर्च नहीं हुआ। हम मानवता के पुजारी हैं। यदि भरतपुर भी जोर लगाता तो इस ओर साधन चले जाते लेकिन हमने कहा कि जिनको पहले जरूरत है उनको वह मिले। लेकिन कांग्रेस के लोगों में इतनी गम्भीरता कहां, इतना धैर्य कहां? जब दक्षिणा अकाल की बंटने लगी तो दूसरे क्षेत्र भी क्यों वंचित रह जायं। यदि 21 करोड़ के बजाय 81 करोड़ भी खर्च करेंगे तो अकाल मिटने वाला नहीं है। सरकार इन मान्यताओं से ऊंची उठे और जिन क्षेत्रों में ज्यादा तकलीफ है उन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनायें बनायें। तीन चार काम इस क्षेत्र में करने हैं। सर-कार से जानकारी चाहूंगा कि क्या सरकार अकाल राहत कार्य चालू रहें इसमें दिलचस्पी रखती है। या अकाल राहत कार्य मिट जायं इसमें दिलचस्पी रखती है? अकाल हमेशा के लिए समाप्त हो जायं तो उसके लिए सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान के जिले खासकर पश्चिमी जिले जहां आकाश का पानी उपलब्ध नहीं है, पाताल का पानी निकालने के लिए सारे साधनों को लगा दिया जाय। एक दो ट्यूब वैल स्टार्ट करना और उसका प्रचार करना काफी नहीं है। इसके लिए योजना बनानी होगी। इसके लिए आप केन्द्रीय सरकार के पास जायं। 22 अरब का अनाज आप विदेशों से मंगा चुके हैं। आप उनको जाकर कहें कि हमें पानी दे दो हम आपको अनाज दे देंगे। यदि आप विदेशी दासता और भूखमरी को मिटाना चाहते हैं तो आप यह सुझाव दे सकते हैं। लेकिन आप तो इसमें विश्वास करते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति से मिले और राज्यपाल का राज्य घोषित करा लें। दूसरे प्रदेशों ने केन्द्रीय योजनाओं में कितना धन लिया महा-राष्ट्र, गुजरात, मद्रास और उत्तर प्रदेश ने कितना लिया और आपको क्या मिला? आप ने कोई एक आध कारखाना खोल दिया हो इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमारे विस्तृत भू-भाग में पानी के साधन हैं। जितने पानी की तलाश हो रही है सतह के नीचे मीठा और बढ़िया पानी हमारे यहां मिल सकता है।

(श्री रामकिशन)

इस बढ़िया पानी के उपयोग के लिये आप एक योजना बनावें । जो कमेटी बैठी है, उस कमेटी की रिपोर्ट में इसको प्राथमिकता दें तो सारे क्षेत्र में नहरी पानी उपलब्ध हो सकता है । अगर सारे क्षेत्र में नहरी पानी उपलब्ध नहीं हो सकता हो तो पाताल तोड़ कुएं खोदने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये । मिश्र ने, छोटे से मुल्क सऊदी अरब ने अपने एरिया में, उपाध्यक्ष महोदय, जो इतना छोटा सा देश है और उसकी हैसियत कितनी सी है, यह काम कर दिखाया है । आप नकल करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के मन्त्री नकल करने में होशियार हैं । मैं उत्तर प्रदेश में गया । एक मन्त्री की नकल करने की बात है । खेती को सुधारने की आप बात करें, पानी निकालने की नकल आप करें, परन्तु दूसरी नकल न करें । आगरा में एक मन्त्री गये राजस्थान से, यहां से । वह खुद ही समझ जायेंगे कि मन्त्री कौनसे हैं । वह मन्त्री जाकर जहां चिपक नाच में शामिल हो गया । कहते हैं ऊपर से कि हम इतने सभ्य हो गये हैं । परन्तु इसकी नकल करने की आपको क्या जरूरत है । यह चिपकना और नाचना क्या अच्छा है । पेट भरा हुआ है तो नाच अच्छा है लेकिन भूखे देश का मन्त्री, अकाल पीड़ित क्षेत्र के मन्त्री के चिपक नाच पर मुझे शर्म आई । उपाध्यक्ष महोदय, आपके मन्त्री तो वहां वोट मांगने गये थे किन्तु वे वहां जाकर क्लब में शामिल हो गये ।

श्री वृद्धिचंद्र जैन : यह गलत है । ऐसा कौन है ? बतावें ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहते हैं ....

श्री वृद्धिचंद्र जैन : मैं नाम मालूम करना चाहता हूं ।

श्री रामकिशन : वह खुद ही शर्मिन्दा हो जायेंगे । वे खुद ही समझ जायेंगे । आप क्यों पूछते हैं ? आप फिर पूछ लेना । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने आखिर इन बीस सालों में अकाल के लिये क्या किया है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल पड़ता है और उसके बाद एक घोषणा राज्य सरकार की ओर से निकाल दी जाती है । उसके बाद आप क्या करते हैं ? बाड़मेर से आने वाले सदस्य ने एक बयान दिया है कि अपौष्टिक भोजन से हमारे यहां इतने लोग मरे हैं । यह समाचार निकलता है उसके दूसरे दिन श्री परसरामजी मदेरणा का, मैं मानता हूं कि वे होशियार मन्त्री हैं, यह स्टेटमेंट आ जाता है कि हमने जांच की है और जांच करने पर इस तरह से कोई मरा हुआ नहीं पाया गया है । उनका यह कहना कहां तक उचित है ? पर मेरे पास उनका औचित्य नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी को मैंने चिट्ठी लिखी, इस बात के लिये कि मथुरा के पालियामेन्ट के सदस्य, आगरा के पालियामेन्ट के सदस्य और वहां के जिलाधीश से मैंने बात की है और वे आपको दस लाख मन चारा फ्री देना चाहते हैं । आप इसमें पैसा बर्बाद न करें । मथुरा और आगरा के लोग गाय के महत्व को समझते हैं । वे इसके ज्यादा नजदीक हैं, यह आप नहीं समझ पायेंगे । वहां के पालियामेन्ट के मेम्बरों ने मुझे चिट्ठी लिखी

(श्री रामकिशन)

और मैंने मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी भेजी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है। वहां के जिलाधीश को गवर्नर साहब के यहां से या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी चली जाये और उनसे सहयोग मांगें। परन्तु खेद है कि मुख्य मन्त्रीजी ने उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया। मेरे चिट्ठी लिखने के बावजूद यह हाल था। अगर उत्तरप्रदेश में लोकप्रिय शासन होता, गैर कांग्रेसी शासन होता तो मैं खुद ही यह काम कर लेता। जब मुख्य मन्त्रीजी से सहायता लेने के लिए कहा जाता है तो वे योजना कमीशन की बैठक में दिल्ली चले जाते हैं और रात को हवाई जहाज से कलकत्ता चले जाते हैं। कहते हैं कि वहां से रजाई लेने जा रहे हैं क्यों सेठों में आकर्षण है? उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सेठों में कितना आकर्षण है, आप उधर से ही आये हैं। उनका आकर्षण मधुर और लोकप्रिय होता है। परन्तु उनसे क्या मिला? आपको आज तक उनसे 18 लाख रुपये दान मिला है गैर सरकारी संस्थाओं से। मथुरा और आगरा के लोग दस लाख मन चारा और पांच लाख मन अनाज दे देते और उसकी कीमत ४० लाख रुपया होती। इससे उत्तरप्रदेश से रिश्ता जुड़ता, एक संस्कार जुड़ता, उनका दुःख और हमारा दुःख एक समान होता। परन्तु आप बम्बई, कलकत्ता जाते हैं। चमक मन्त्री बम्बई जाते हैं और कुल 18 लाख रुपया मिला है इन सेठों से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अकेले भरतपुर के लोगों ने एक लाख रुपया नगद इकट्ठा करके दिया है और वहां मन्त्री लोग जाते हैं और कहते हैं कि 17 लाख सेठों से कलकत्ता जाने से मिला है। इससे आपको क्या मिला है इन सेठों से या तो चुनावों के लिये चन्दा ले लो या दान ले लो। दोनों चीजें साथ नहीं चलती इनके पास। आप बम्बई, कलकत्ता जाते हैं इसके बजाय आप मथुरा और वृंदावन जाते, गोकुल और गोवर्धन जाते और कहते कि हे गोकुल, कृष्ण के वासियों तुम्हारे इलाके की गायें बाड़मेर में मर रही हैं। तीस लाख का चारा और अनाज वहां से आ सकता था। राज्यपाल महोदय ने कहा कि इसमें आप हमको सहयोग करिये। इसके लिये आपको धन्यवाद है। परन्तु मैं पूछता हूं कि आपने सहयोग लिया है। आप वाणी के दरिद्र हैं, कर्म के दरिद्र तो हैं ही। आप कम से कम सराहना तो करते तो क्या बिगड़ता। अभिभाषण के एक पैरा में इसका जिक्र कर देते।

मैं और मा० आदित्येन्द्रजी बाड़मेर, जैसलमेर गये। वहां के निवासियों से मिले और उनके दुःख को देखा। वहां से आने के बाद हमने भरतपुर जिले से 50 हजार मन चारा और 1,250 मन अनाज फ्री भेजने का आन्दोलन चलाया। वहां से आने के बाद यह आन्दोलन शुरू किया। यह हमने सोशिलिस्ट पार्टी की तरफ से शुरू किया। भरतपुर के जिलाधीश समझदार हैं। उन्होंने कहा कि हम यह मिल जुल कर ही करें तो कैसा रहे। भरतपुर से हमने एक लाख दस हजार मन चारा पांच हजार और मन अनाज फ्री भेजा। परन्तु राज्यपाल के भाषण पैरा में इसकी कहीं चर्चा नहीं की। अगर इसकी भी चर्चा करते तो वहां के लोगों का मनोबल बढ़ता। परन्तु आप तो इसके मनोबल को और तोड़

(श्री रामकिशन)

रहे है। सहयोग की चिट्टी लिखी तो उसका भी जवाब नहीं है। मथुरा के एम० पी० ने चिट्ठी लिखी किन्तु उसका भी जवाब नदारद। आपकी मंशा तो यह है कि अकाल की मार्फत राजनीति चलावें। एक मन्त्रीजी कोटा में भाषण दे रहे थे मैं भी वहां भाषण दे रहा था। मुख्य मंत्री, राज्य के मुख्य मन्त्री भी वहां गये और उन्होंने भाषण दिया कि गाय की राजनीति वाले, जनसंघ वाले इस वक्त कहां गये ? कहां गायब हो गये। मुख्य मन्त्रीजी ने यह भाषण दे दिया। मैं उनसे पूछता हूं कि कांग्रेस ने, उसकी सरकार की तरफ से क्या काम किया है? आप दूसरों की आंख में खराबी देखते हैं। आपने क्या किया है इस मामले में, सरकार ने क्या प्रयत्न किया है? लेकिन सारे भाषणों में, उत्तर प्रदेश में गये, फरीदाबाद में गये, वहां हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने भाषण किये कि गाय की राजनीति चलाने वाले बाड़मेर से यहां भाग आये। आप फरीदाबाद में गये। आप सेवा कर सकते थे, इससे तो दूर, आप इन भाषणों के जरिये देश को तोड़ रहे है। आपने फरीदाबाद में जाकर मारवाड़ी और गैर-मारवाड़ियों के सवाल को खड़ा कर दिया। उसका क्या नतीजा हुआ ? वहां वह आदमी जीता जो गैर-मारवाड़ी है। आप बम्बई, कलकत्ता जहां भी जायेंगे मारवाड़ियों के यहां भोजन करेंगे और उनके जरिये कांग्रेस का प्रचार करेंगे और जनसंघ वालों की गाय की चर्चा करेंगे अच्छा होता आप इसका राजनैतिक जवाब देते। इस तरह आप राजनैतिक पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सुखाड़िया साहब ने राजस्थान के अकाल के लिए 21 करोड़ रुपया अपने घर से ही खर्च किया है। ठीक है, तो इन्कम टैक्स वाले आपसे हिसाब मांगेंगे कि आप कहां से लाये हैं। यह तो राजस्थान सरकार खर्च कर रही है। आप राजनीति को इस तरह से दूषित न बनावें। राजनीति मनुष्य के कल्याण का अमोघ अस्त्र है। जो वास्तविकता थी, उसके अनुसार काम करते तो मैं समझता हूं कि सारी स्थिति से, अकाल से अच्छी तरह से निपट सकते। राजस्थान की उपहास की स्थिति नहीं होती। हम लोगों ने देख लिया। राज्यपाल महोदय से कई बार हम लोग मिले थे और कई सुझाव दिये थे। उनकी अवहेलना की गई है। मैं आप से पूछना चहता हूं आप कहते है कि सहयोग दें। क्या आप सहयोग लेते हैं। मैं मानता हूं कि हमारी क्षमता कम है, हम बड़ी पार्टी नहीं हैं। फिर भी मन के संस्कारों से, दिल से राजस्थान के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तीन तीन पत्रों का, उत्तरप्रदेश का, मध्यप्रदेश का और भरतपुर का जवाब मुख्य मन्त्री ने नहीं दिया। इसके विपरीत राजस्थान के मन्त्रियों में इलाका बांट दिया जाता है कि वे इस इलाके में जाकर सहायता इकट्ठा करें। आपने पिछले अकाल के समय, चीन की लड़ाई के समय सोने की गड़बड़ की थी इसलिए आपको अब दान देने वाला कौन है ? मन्त्री भेज दिये हैं, क्या किया उन्होंने ? भरतपुर में पांच हजार मन अनाज इकट्ठा किया हुआ पड़ा है उसे कोई उठाने वाला नहीं है। 1,250 मन का वायदा किया था, चारा पड़ा हुआ है। और सारे मन्त्रियों के लिये इलाके बांट दिये गये हैं। इसके पहले भी भरतपुर की जनता अनाज इकट्ठा कर चुकी थी। भरतपुर में मन्त्रियों

(श्री रामकिशन)

के भाषण हो रहे थे। उसमें मैं भी था प्रमुख की हैसियत से। मैंने उनको रोका भी इशारों से। भाषण में बाधा नहीं दी। आप इसकी चर्चा नहीं करें कि आपने क्या क्या किया है। आप चाहते है तो मेरी गैरहाजरी में कर लें। बुरा काम किसी के सामने करने में मनुष्य को शर्म होती है। पर्दे में करो। परन्तु ये तो सामने ही करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन सब की चर्चा करते हैं। उनके लिये क्या प्रावधान है, उनके लिये क्या कोई योजना है? उनके लिये क्या योजना है? उस योजना के बारे में कहें, उन योजनाओं का जिक्र करें। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमने सात लाख मजदूरों को काम पर लगा दिया है। आज इस अकाल से 1 करोड़ 32 लाख जनता पीड़ित है। उसके अलावा आपने हर जिले के लिये संख्या निर्धारित कर दी है। बांसवाड़ा में बीस हजार होंगे इससे ज्यादा नहीं आयेंगे, इतने लोगों को ही काम देंगे इससे ज्यादा आने वालों को काम नहीं दिया जायगा। आप इस तरह से मनुष्य जीवन के साथ उपहास करना छोड़ें। आज के जमाने में किसी मजदूर को बीस, तीस या चालीस पैसे की तनख्वाह दो जाय क्या आप इसको पर्याप्त समझते हैं? इतने पैसे का धान देने की बजाय उनको आप इतने पैसे का जहर दे देते हैं तो मैं समझता हूं उससे आपको पुण्य होगा क्योंकि हिंदुस्तान में दो दृष्टि से हम इस पर सोचते हैं एक तो निरापद और दूसरा स्वपद। अगर आपके जहर देने से वे लोग जीवन मुक्त हो जायेंगे, तो वे एक प्रकार से आपका गुणगान करेंगे।

हमने मजदूरी की दर बढ़ाने के लिये एक आन्दोलन का ऐलान किया है और आन्दोलन भी किया उस पर सरकार ने घोषणा की कि हम प्रत्येक मजदूर को डेढ़ रुपया दे रहे हैं। आपने डेढ़ रुपये का ऐलान कर दिया लेकिन उसके साथ साथ आपने यह लागू कर दिया कि इतने वेतन के लिये इतनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में हरेक मजदूर को दस मील दूर मजदूरी के लिये जाना पड़ता है, उसको सुबह चल कर वहां जाना पड़ता है और रात को वापस अपने घर आना पड़ता है आप क्या उससे यह आशा कर सकते हैं कि इस बीच के समय में क्या वह उतनी मिट्टी खोद पायगा? इस तरह से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी मजदूर को डेढ़ रुपया नहीं मिलता है। आपको इस प्रकार का मापदंड निर्धारित करते समय मानवता का दृष्टिकोण भी ध्यान में रखना चाहिये लेकिन वह आपका दृष्टिकोण न होकर यह अकाल तो आपके लिये एक तरह से खेल हो गया, छः महीने के लिये काम मिल गया। आज के मंत्रियों का उपयोग क्या है? आज उनका केवल एकमात्र उपयोग है। मंत्रीजी को दोस्ती के नाते जब कभी टेलीफोन करते हैं कि मंत्रीजी कहां पर गये तो जवाब मिलता है अपने इलाके में घूमने के लिए गये हुए हैं। आज इनके पास, यही काम है अपने अपने इलाकों में घूमते रहना और अपने अपने लोगों से सम्पर्क स्थापित करना। अकाल सहायता इकट्ठा करने के लिये नहीं, लोकतन्त्र की भावना जागृत करने के लिये

(श्री रामकिशन)

नहीं, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिये नहीं घूमते, वे इस बात के लिये घूमते हैं; लोगों से वहां जाकर कहते हैं आप मेरे पास आ जाना मैं आपके यहां कैम्प खुलवा दूंगा। कैम्प तो सरकार द्वारा खुलवायेंगे ताकि अगले चुनाव में उनको वोट मिल जायं। इस तरह से वोट मिल जाते तो मद्रास का मंत्रि-मण्डल कभी का नष्ट होगया होता, इस बार के चुनाव में बंगाल और बिहार में आपकी हालत क्या हुई-आप इससे सबक लीजिये बंगाल में दिल्ली के सेठों ने, बंगाल के सेठों ने अनाप-शनाप पैसा खर्च कर दिया लेकिन आपकी क्या दुर्गति हुई, बिहार में क्या दुर्गति हुई, उत्तर प्रदेश में भी आपने 9 सीटें खो दीं आपके पहले के मुकाबले 82 सीटें घट गई। आप रावण की भांति निश्चित थे लेकिन रावण की तरह आप अब भी विवेक की तौर से काम लें। आप इस तरह से इस अकाल की स्थिति का राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो यह कोई आगे आपका मददगार नहीं होने वाला है। भरतपुर में वहां के अधिकारियों ने और कांग्रेस के लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया। वहां पर चारा इकट्ठा होना शुरू हो गया। लड्ढा साहब जब वहां आये हमने उनसे कहा हमने जो चारा दान में दिया है उसको आपने बेचना शुरू कर दिया, आपको यह चारा मुफ्त में उचित स्थान पर पहुंचाना चाहिये। उस समय तो उन्होंने वादा किया लेकिन सरकार ने उस चारे को बेचना शुरू कर दिया। अगर आपको बेचने की ही इच्छा थी तो हमें कह देते उनका यह मानना था कि अगर भरतपुर के इलाके से इकट्ठा किया हुआ चारा मुफ्त में हम बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के लोगों को देंगे तो समाजवाद वहां फैल जायगा। आपकी यह जो दुर्बल भावना है उससे आप ऊपर उठिये। आपको जो कुछ इस संबन्ध में काम करना हो वह सच्चाई और ईमानदारी से करिये।

अकाल में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके बारे में शिव तहसील में मूलचन्दजी डागा भी गये। उनके सामने वहां के सरपंच ने बयान दिये। कांग्रेस वालों का ही मैं पहले नाम लेता हूं इसमें भी अच्छे लोग हैं जो सच बोलते हैं, साल में चार पांच से ज्यादा झूठ नहीं बोलते। संसद सदस्य श्री अमृत नाहटा के सामने यह बयान दिया कि 55 आदमी केवल शिव तहसील में अकाल में मर गये। इसी प्रकार श्री वृद्धिचन्द्रजी भी जिनका अन्तर्द्वन्द्व बड़ा व्यापक है वे सरकार में रहते हुए भी सरकार की गलतियां निकालते हैं लेकिन जब कभी यहां बोलते हैं मथुरादास जी की ज्यों ही आंख दिखाई दी वे उन से डर जाते हैं। ये भी होस्टल में रहते हैं हम इनको रात दिन तैयार करते हैं लेकिन जब यहां आकर मथुरादासजी की नमकदार आंखें देखते हैं तो उनसे डरने लग जाते हैं। बाड़मेर में कितने व्यक्ति मरे उन्होंने भी इस बारे में वक्तव्य दिये हैं। उनके यहां के इतने आदमी मर जाने के बाद भी वे अपने आप को इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी मानते हैं। यह निन्दा प्रस्ताव पास हो या फैल हो लेकिन मेरी मंत्रिमण्डल से यह मांग है कि केवल इसी मृत्यु की बात पर उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिये। बाहरी देशों में तो एक व्यक्ति की मृत्यु पर मंत्रियों ने इस्तीफे दिये हैं लेकिन हिन्दुस्तान

Page No 75

(श्री रामकिशन)

ऐसा देश है जो बहुत ही विलक्षण देश है जहां पराजित प्रधान मंत्री सोने से तोले जाते हैं और जो पराजित मुख्य मंत्री होते है वे चान्दी से तोले जाते हैं। यहां के पराजित प्रधान मंत्री गंगानगर में सोने से तोले जाते हैं कर्नल नासिर पराजित हुए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया लेकिन यहां के प्रधान मंत्री चीन से पराजित हुए तो उनको सोने से तोला गया है सउदी अरेबिया में मंत्रि परिषद एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण इस्तीफा दे देती है लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में सैकड़ों लोग अकाल से मर गये लेकिन इस्तीफा देने का नाम नहीं। आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस का शासन नहीं होता तो इस अकाल का निवारण कभी का हो गया होता। आपकी योजनाओं की सफलता कहां गई। आज यदि योजना की सफलता होती तो राजस्थान की जनता अपनी पुरातन संस्कृति छोड़कर नवीन संस्कृति की तरफ जाती लेकिन आज हमारे यहां 1 करोड़ 32 लाख जनता अकाल से ग्रसित है। हम अकाल के बारे में कहते रहते हैं, मंत्रीजी उत्तर देते रहते हैं। मेरे इस संबन्ध में चार सुझाव हैं। पहला सुझाव बीकानेर क्षेत्र के लिये है जहां लिफ्ट से पानी नहीं आने वाला है, कोलायत तहसील में कोई बड़ी योजना नहीं आने वाली है, वहां कुए खुदवाने से लाभ हो सकता है और इसी से स्थायित्व आ सकता है और इसमें पूंजी भी कम लगेगी। इससे कोई यह न समझे कि हम बड़े वैज्ञानिक युग में चले गये हैं। कुओं की समस्या राजकीय समस्या नहीं। इन्हीं कुओं पर हमारी जीवन प्रणाली आश्रित है, राजस्थान की जीवन प्रणाली ये कुए हैं। आपने बीस साल में जितना भी सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया है उसमें कुओं से सिंचित इलाका ही ज्यादा है। राजस्थान बना उस समय बीस लाख एकड़ में सिंचाई होती थी अब चालीस लाख एकड़ में सिंचाई होती है उसमें से पच्चीस लाख एकड़ सिंचाई कुओं से होती है। बीकानेर क्षेत्र के जो कुए हैं उनको गहरा करें और उनसे सिंचाई के कार्यक्रम चालू करें। आप इसके लिये सम्पूर्ण राजस्थान को दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक तो वे क्षेत्र जहां पर निरन्तर अकाल पड़ता रहता है, दूसरा वह क्षेत्र है जहां अकाल तो नहीं पड़ता लेकिन लोग ज्यादा बेकार रहते हैं। इसमें भरतपुर का इलाका आ सकता है।

क्योंकि आबादी ज्यादा है, जमीन कम है। इसलिये काम धन्धों और उद्योगों का विकास उन इलाकों में होना चाहिये जहां खाली हाथ ज्यादा हैं। खेती वहां ज्यादा होनी चाहिये जहां जमीन ज्यादा है। अकाल में दोनों प्राथमिकताओं को अलग अलग कर देना चाहिये। अगर इस तरह से काम करने का मन्त्री वायदा करें तो अगले तीन वर्षों में, चार वर्षों में अकाल की व्यापकता ज्यादा नहीं होगी। अकाल पड़ सकते हैं, बरसात की गारन्टी नहीं होने से। पर ऐसा करने से उसका मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, और अकाल के कारण मवेशी और मनुष्य न मर सकें, इसकी गारन्टी दी जा सकती है केवल यहां बयानों से और कुछ कह देने से यह रुकने वाला नहीं है। इसकी आप कोई योजना प्रस्तुत करें। सदन आपको इसमें पूरा सहयोग देने को तैयार है, साधन जुटाने को तैयार है सुझाव देने को तैयार हैं। पर सरकार यह कुछ नहीं करके वोट प्राप्त करने

(श्री रामकिशन)

के लिये हरिजनों आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में सड़कों का काम चलाती रहे तो इससे काम अब नहीं बनेगा ।

विरोधी दल के सदस्य कोशिश करेंगे मेरा मन तो दृढ़ है और मेरे दल का मन भी दृढ़ है, पर मैं दूसरे दल वालों से भी कहूंगा कि जनता के कष्टों के निवारण के लिये वे इस सरकार को हटाएं और इसके लिये जनता को विद्रोह के लिये तैयार करें। राजस्थान की जनता को विद्रोह के लिये तैयार करें। इसके बिना यह सरकार खत्म नहीं होगी। मुझे इस सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। पर इस सरकार के कारण यह अकाल की भीषणता मार रही है, इसका दुःख है। इस से छुटकारा पाने के लिये राजस्थान की जनता इस सरकार के विरुद्ध विद्रोह करें और तभी उसे अकाल से राहत मिल सकती है ।

आज आप देखिये, इस देश में पाकिस्तान से कई गुना धन आया, योजनाओं में अनापशनाप धन आया, इण्डोनेशिया से आठ गुना धन आया, जापान से 13 गुना। पर इस सबका नतीजा शून्य रहा । इनकी सारी योजनाएं व्यर्थ में गई । इन योजनाओं का पैसा गलत रास्तों से खर्च किया। नतीजा यह है कि राजस्थान के लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता । अनाज नहीं मिलता राजस्थान के लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता, यह सुनकर देश के लोगों को अन्य राज्यों की जनता को हंसी आती है कि पीने को पानी नहीं मिलता यह कैसे हो सकता है। तो आपने अपने राज्य की यह हालत कर रखी है। आप कुए भी खोदते हैं, पर अबकी साल खोदेंगे, अगली साल बन्द हो जावेंगे। आप चुनाव के दिनों पर उन पर बिजली भी लगा देंगे, पर बाद में खम्भे भी उखाड़ कर ले जावेंगे। आप इस अन्तर्द्वन्द्व से बाहर निकलें। आपएक ठोस कार्यक्रम बनावे और उस पर ईमानदारी से चलें ।

राजस्थान कैनाल से कब तक आप आंख मिचौनी खेलेंगे ? आप कहते हैं आपके पास उतनी पूंजी नहीं हैं। पूंजी तो आपने बरबाद करदी। अब अगर नहीं है तो इसे अब भी केन्द्रीय योजना के तहत दे दो। आपका नेतृत्व इसके लिये अब भी तैयार है तो घोषणा कर दें। इस घोषणा में विरोधी दल आपके साथ है। आपके पास साधन नहीं है तो अमेरिकी अनाज मंगाने के बजाय और 75 में उनकी फिर अधिक से अधिक खुशामद करने के बजाय 75 तक आप अपनी राजस्थान नहर योजना पूरी कर लें। इस पर आप अपने सारे साधन और सारा धन लगा दें। राजस्थान सरकार तो अब इसके लिये साधन जुटा नहीं सकती, जो साधन इसके पास थे वे तो इसने बरबाद कर दिये, पिछली योजनाओं का नतीजा आया नहीं। उसका पैसा आपने ऐश आराम में बरबाद कर दिया। दूसरे कामों में खर्च कर दिया। अब तक की योजनाओं का जो रिटर्न आपको मिलना चाहिये वह नहीं मिला। उसका फल मिले ऐसे काम आपने किये नहीं और इसके बिना साधनों के अभाव में, धनाभाव में आपकी राजस्थान नहर योजना अधूरी पड़ी है और इसकी वजह से संकट है यह। इसके लिये सुझाव है कि अबकी साल मुख्य मंत्री फैसला कर लें और केन्द्रीय वित्त मन्त्रीजी से बात करके उसे सौंप दें ।

(श्री रामकिशन)

और कह दें कि केन्द्रीय सरकार इसको पूरा करे।

अब इस पर लोगों के बसाने का सवाल है। कौन बसें कौन नहीं बसें। इसमें हिन्दुस्तान सारा एक ही देश है। अगर पांच पचास लोग पंजाब से, आसाम से, तमिल से आकर वहां बसते हैं तो इसमें हमें ऐतराज नहीं। संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिलन होने दो, मन और वाणी को मिलने दो, भावात्मक एकता इससे होगी। पर इस डर की वजह से काम ही नहीं करेंगे राजस्थान नहर ही पूरी नहीं करेंगे तो यह खतरनाक है। इसका नतीजा यह होगा कि हम प्यासे और भूखों मरेंगे। आपके पास साधन हैं नहीं।

इस सरकार के अनुमान भी कितने गलत हैं। चर्चा अकाल की शुरू की। बीकानेर में बयान दिये आपने पच्चीस करोड़ का प्रावधान करना चाहिये इसके लिये राजस्थान सरकार को। यह अखबारों में छपा। अकाल सहायता मन्त्रीजी का बयान है। सुखाड़िया साहब का बयान नहीं है। पर आपकी तरफ से क्या बयान गया है। हमने दो करोड़ केन्द्र से मांगे हैं। उधर पच्चीस की बात करते हैं, इधर दो मांगते हैं बीकानेर में जिलाधीश से मिला। व्यक्तिगत रूप से वह अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे ज्यादा जानकारी इसकी नहीं है। फेमिन कोड की आड़ लेकर बैठ गये थे ऐसे जैसे पांच हजार वर्ष पहले ब्राह्मण ऋगवेद को लेकर बैठ गये थे। मैंने चर्चा की। बीकानेर की हालत यह है, कोलायत की यह है। विदेशी मिशनरी ने कैम्प लगाये हैं, आप भी इन इलाकों को अकालग्रस्त घोषित करो और राहत के काम चालू करो। तो कहते हैं फेमिन कोड में तारीख लिखी है, उससे पहले कैसे कर सकता हूं। नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे सरकार के संचालक बैठे हैं। वे इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। धीरे धीरे फैसला कर रहे हैं। घोषणा इसलिये नहीं हुई कि शायद 15 सितम्बर नहीं आया है। 15 सितम्बर जिस दिन आवेगा उस दिन घोषणा करेंगे वे तो। अब उससे पहले कोई मरेगा तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मरने की तारीख भी सुखाड़िया साहब ने तय कर दी है। फलां तारीख से पहले मर गया तो अपनी जिम्मेदारी पर मरोगे। ऐसे कर्मचारियों को आप ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग किसी प्रशासन की नहीं देनी है। मानवता की ट्रेनिंग दो। हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है, अकाल पीड़ित की सहायता करना। अब उसके लिये फेमिन कोड कोई कानून नहीं है। सामान्य नियम हैं कि अकाल में कैसे काम किया जाय। उसका मुकाबला हमें जैसे सुविधा हो, वैसे करना चाहिये। तो इन सब मामलों में आपने एक के बाद एक जानबूझ कर अपराध किये हैं। राजस्थान की जनता आपको क्षमा नहीं कर सकती। सदन में तो आप अपने बहुमत के जोर से भले ही इस निन्दा प्रस्ताव को गिरा दें। पर जो मैं कह रहा हूं वह सब अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लोगों के मन की भावना है। मैं उन्हीं की वाणी बोल रहा हूं। शरीर मेरा है, वाणी उनकी है। शरीर उनका निष्प्राण सा है। शरीर, मन और वाणी अलग है। तो मैं सभी विधायक महोदयों से और कांग्रेस के पक्ष वालों से

Page No 78

(श्री रामकिशन)

भी कहता हूं कि वे सब अपने मन, शरीर और वाणी तीनों को मिलावें। तीनों अलग अलग रहे तो वाणी का अंज समाप्त हो जावेगा, शरीर सड़ जावेगा, और मन सूख जावेगा। फिर मतदाता नहीं रहेगा तो चुनाव भी आप नहीं जीत सकेंगे।

आपको शायद यह डर हो कि ये नाराज हो जावेंगे सही बात कहने पर तो सुखाड़िया जी टिकट नहीं देंगे। तो वह गया जमाना जब टिकटों की कोई कीमत थी इनकी। सुखाड़ियाजी ने मिलकर बंगाल में तीन हजार टिकट बांटे। जैसलमेर की रेत जितनी भी उनकी कीमत नहीं रही। टिकटों की कीमत गिर गई है। आप अपना मन बड़ा करे। सरकार तुम्हारी बदौलत चलती है, सुखाड़ियाजी आपके भरोसे चलते हैं। वे आपके मालिक नहीं हैं। उनको आपने बनाया है। पर आप में कमजोरी आई हुई है। हम यह सब कहते रहे, आप सुनते समझते रहे, जानते भी है सब सही है, पर हंसते रहे और बैठे रहें। आप देखते हैं शाम को जावेंगे उनके पास, खुशामद भिन्नत करेंगे और अपने यहां एक पोखर के लिये कुछ रुपया मिल जावेगा। तो रुपया कोई सुखाड़ियाजी का नहीं है। जनता का ही है, आपका ही है। तो इन कामों से आपका मन थोड़ा भले ही प्रसन्न हो जावे। पर गरीबों का पेट इससे भरने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की एक चीज की निन्दा और करना चाहता हूं। भरतपुर ने मांग नहीं की कि उसे अभावग्रस्त घोषित किया जाय। पर क्या आपका कर्त्तव्य नहीं था कि उस तरफ भी आप देखते। पिछले साल उधर बाढ़ आई। काफी इलाका बरबाद हो गया। इस साल पानी नहीं पड़ा। पैदावार घट गई। हमने फैसला किया, इसमें सभी कांग्रेस के लोग भी शामिल थे कि भरतपुर के अकाल की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो सरकार का ध्यान दूसरी तरफ के भीषण अकाल की तरफ से हटेगा। मैं भरतपुर वाले कांग्रेस के लोगों की तारीफ भी करूंगा कि वे भी फैसले में बन्धे रहे। पर सामान्यतौर पर भी जो मदद दूसरों को दे पा रहे है व भी भरतपुर को नहीं दे पा रहे हैं। कलेक्टरों ने 25 जिलों में घोषणा करदी। 26 वे में घोषणा की क्योंकि हम काम नहीं चाहते। दो दो फसलों से बरसात नहीं होने से पैदावार गिरती जा रही है, कर्जा किसान पर बढ़ता जा रहा है। भरतपुर के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है। फिर भरतपुर के साथ अपना व्यवहार आप अच्छा करें भी तो क्या दे देंगे। आपके मन में आज यह बैठा हुआ है कि हम ईश्वर हैं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर छोड़ कर आप मनुष्य भी नहीं हैं। शायद राक्षस भी नहीं बन सकते आप। राक्षसों में भी हिम्मत की जरूरत होती है, वह भी आप में नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं हैं! मैं पूछना चाहता हूं कि भरतपुर ने जो योगदान दिया, निरन्तर सहायता दी तो आप अपने विवेक से कुछ नहीं कर सकते थे, अगर हमने कुछ नहीं कहा तो। हमने ध्यान इसलिये नहीं खींचा कि आपका ध्यान उधर से बंटेगा पर क्या आपका कर्त्तव्य नहीं था। हमारे लोग भी संकट में आ गये हैं तो इस दिशा

(श्री रामकिशन)

में भी थोड़ा ध्यान दिया करें। क्षेत्रीय राजनीति की दृष्टि से ही न सोचें।

सरकार की निन्दा सारा सदन करता हैं। मन्त्री भी निन्दा करते हैं। परसरामजी भी करते हैं। सारे कांग्रेस के लोग भी करते हैं पर वे सोते हुए करते हैं। जानते हुए नहीं करते। जागते हुए करें तो सरकार में विवेक जगेगा और कल से जनता को पूछा करेंगे। ऐसी आशाएं तो हैं। पर खरीद फरोख्त में वे पारंगत हैं। खरीद फरोख्त के वे बड़े व्यापारी हैं। खरीद लेनें की उनमें क्षमता बहुत ज्यादा है। उन्होंने बड़े लोगों के चरित्रों का हनन किया है। आज उनकी यह हालत है कि वे अपने इलाकों में बोल नहीं सकते। अलवर पड़ौस में है हमारे वहां चारा इकट्ठा नहीं हुआ। मन्त्री अब वहां जाते हैं तो निष्ठा नहीं हैं उनमें लोगों की। कभी किधर से मिल गया, कभी किधर से।

डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर): एक लाख दस हजार मन तो आ चुका।

श्री रामकिशन : मैं कह रहा हूं साहब. मंत्रीजी से पूछ लीजिये····

डा० हरिप्रसाद शर्मा : कितना है ?

श्री रामकिशन : 500 वेगन है। एक वेगन में 70 मन आता है। आप हिसाब लगा लें आप तो पढ़े लिखे हैं- डाक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे हैं हिसाब लगा लें।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : आप जरा सी जानकारी रखते हैं। अलवर में अभाव की स्थिति है, उस अभाव की स्थिति में भी हमने 500 वेगन और 60-65 हजार की ···

श्री रामकिशन : मैं तारीफ कर रहा हूं, आप शायद बात को समझे ही नहीं, आप तो चक्कर में पड़ गये हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके मंत्रियों का चरित्र हनन किया गया है, दल बदल किया गया है। अलवर में ज्यादा कर सकते थे हमारे यहां नहीं हो पाया। मुझे हंसी आती है राजस्थान की जनता से दान मांगा जा रहा है, आज कभी कलकत्ता दान लेने के लिये जाते हैं, कभी जोधपुर जाते हैं, कभी बीकानेर जाते हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री उनके आगे सिर नाक रखते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्य मंत्री अकाल के समय मंत्रियों की नियुक्ति करते जा रहे हैं। किसी से कहते हैं 10 रु० दे दो, किसी से कहते है 20-20 सेर अनाज दे दो. 5-5 किलो आटा दे दो। ऐसे अकाल के समय मंत्रियों की नियुक्ति क्यों? आज राजस्थान की जनता साहस तोड़ रही है। मुख्य मंत्रीजी षडयंत्र रच रहे हैं। एक मंत्री जी थे शिवचरणजी, उन पर कुछ आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उनकी प्रशंसा हुई। मेरे दल वाले कहने लगे कि यह प्रशंसा क्यों हुई। तो बड़ी बहादुरी से कहा कि एक मंत्री थे, उन पर आरोप आये उन्होंने स्तीफा दे दिया। मैंने एस०एम० जोशी थे उनको बताया बूढ़े मंत्री नहीं हैं नौजवान मंत्री हैं, मेरे साथ पढ़े लिखे हैं इसलिये उनके ऐसे संस्कार हैं। मुख्य मंत्रीजी उनकी प्रशंसा को नहीं चाहते थे। मैं तो कहता हूं आप सब लोग गावदू मंत्रि-मण्डल में बैठे हुए हैं। आप में न कोई

Page No 80

(श्री रामकिशन)

तरक्की है, न कोई तेज है और न कोई बुद्धिमता है। शिवचरणजी को मुख्य मंत्री ने कोई नौकरी नहीं दी, कोई जीवन नहीं दिया है यह तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद फैसला हो जायगा। उनकी प्रशंसा बढ़ रही थी, अब उनकी प्रतिष्ठा को कैसे गिराया जाय तो उन्होंने अकाल के समय में उनकी नियुक्ति कर दी ताकि उनकी निन्दा हो जाय। श्री एस०एम० जोशी ने मुझ से पूछा क्या ये वे ही मंत्री हैं जिन्होंने स्तीफा दिया था और अब फिर वापिस आ गये। मुझे इसको सुन कर बड़ा दर्द हुआ, उनको कहा कोठी मत छोड़ो, बंगला मत छोड़ो इसलिये कि उनको समाज में अप्रतिष्ठित करना है। एक ऐसे खानदान से आये थे लेकिन जमीन में गिरे, प्रतिष्ठा गिरी इसलिये मैं निन्दा करता हूं और बीच में ही ये सरदारजी मिल गये इनकी नियुक्ति कर दी इनका कौनसा शौक चल रहा था। मैं कहता हूं राजस्थान में मन्त्रियों की क्या कीमत है। राजस्थान में मंत्रियों की वह कीमत है जो फरूखाबाद में आलुओं की आलुओं के बराबर की कीमत है। इनके पास न कोई काम है और न इनकी कोई प्रतिष्ठा है। मैं कहता हूं अकाल के समय में इनकी नियुक्ति क्यों की गई? फिर राजस्थान में हमारी सरकार कहती है राजस्थान की जनता मदद करें। जब आपके ये आचरण हैं तो आपको सहायता कैसे मिल सकती है। आपको 10 गुनी सहायता मिलती, हर तरफ से सहयोग मिलता लेकिन आप तो सहयोग के इच्छुक ही नहीं है। जनता का साहस तोड़ा अकाल ने और इधर मुख्य मंत्रीजी ने और भी तोड़ दिया नये मंत्रियों को लेकर। इसकी वजह से मैं निन्दा करता हूं। अकाल के दिनों में इन मन्त्रियों को नियुक्त किया गया है। मैं कहता हूं आप और नये तरीके से विचार कर लें क्योंकि मेरी आदत कुछ ऐसे तरीके की है। हिसाब से हर तरीके को समझा जाता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? सरदारजी आप तो गंगानगर से आये हैं आपको ऐसी कौनसी दिक्कत आ रही थी जिससे मंत्री बनना पड़ा मंत्रियों की बाढ़ आ रही है मैं बहुत से मंत्रियों को आज जानता ही नहीं हूं, इनके काम क्या है इसको जानने की जरूरत ही नहीं है मैं तो बहुत से मंत्रियों की शक्ल तक नहीं जानता हूं। आपके चूरू में अकाल है, अच्छी बरसात हो जाती, अच्छी फसल हो जाती राजस्थान में तभी मंत्री बन जाते। तीन साल में क्या मिलता है? लेकिन राजस्थान में मंत्रियों को तीन साल में उतना मिल जाता है जितना इंगलैण्ड में 7 साल में लेकिन कोई कहता है चुनाव जीतने के लिये करना है, कोई कहता है सरकार ने यह सब कुछ किया है। आपने राजस्थान के मन को तोड़ा है, साहस को गिराया है-जो सहयोग के रास्ते हैं, उनको बंद किया है। सहयोग के रास्ते बन्द होने की वजह से राजस्थान में भुखमरी, अकाल की भीषणता बढ़ी है। मैं पूरे मन से तन से निन्दा करता हूं। और अपेक्षा करता हूं उन विवेकशील कांग्रेसी माननीय सदस्यों से, हरिजनों से और महिलाओं से खासतौर से निवेदन करूंगा कि अब आप जरा इस सरकार का पल्ला छोड़ दें। पीछे बैठने की की बजाय आगे बैठें और अकाल निवारण के लिये सेवा करें और अगर आप इसीलिये आये है कि आपको सुखाड़ियाजी माथुर साहब

(श्री रामकिशन)

का यशोगान करना है तो करिये । अगर आपको विवेक शील बनना है, दार्शनिक बनना है, जनता का सच्चा सेवक बनना है तो इधर आयें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ निन्दा करता हूं और निन्दा के साथ साथ अपेक्षा करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य समर्थन करें ।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ।

(अनुपस्थित)

श्री दौलत राम सारण ।

श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़) : प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, निन्दा करना कोई अच्छा कार्य नहीं है लेकिन हमारी निन्दा निन्दा नहीं है मूल चन्दजी सोये हुए हैं उनको जगाने का प्रयास है । हम यह चाहते हैं गान्धीजी का नारा लगाने वाले, गान्धीजी के दृष्टिकोण से चलने वाले कांग्रेसी बन्धु जरा इस बात की सोचें तो हमें तो उनका हृदय परिवर्तन करना है । हम केवल उनके हृदय परिवर्तन के प्रयासे कर रहे हैं । मुझे इसलिए कोई संशय नहीं है मेरे दिमाग में कोई संशय नहीं है कि चिकने घड़े पर कितना ही पानी पड़े वह ठहरता नहीं है इसी प्रकार ये हो गये हैं । गान्धीजी के जो अनुयायी हैं उनसे कहना है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचिन—मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोअस्तवकर्मणि हम तो इसमें विश्वास करते हैं इसलिए प्रयास पूर्वक निष्ठा के साथ हृदय परिवर्तन के लिए यह प्रस्ताव लाए हैं । मै इस प्रस्ताव के संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं इससे पहले मैं यह बताऊं कि क्या निन्दनीय है । यह अकाल का कार्य जो सरकार ने किया जो राजस्थान में अकाल की स्थिति हुई उस संदर्भ में निन्दा की क्यों आवश्यकता पड़ी इस पर आने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान एक लगातार भयंकर अकाल से क्यों पीड़ित है । राजस्थान में अकाल क्यों होने लगे हैं । अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही है । इसका कारण यह है कि राजस्थान की अदूरदर्शिता, अविवेकपूर्ण कार्य बिल्कुल आंख बन्दकर चलने की प्रक्रिया है अगर राजस्थान सरकार समझ बूझ कर चलती तो राजस्थान के दो तिहाई हिस्से में इतनी भीषणता नजर नहीं आती लेकिन अफसोस है कि न तो यह सरकार अक्ल रखती है और न कोई सुझाव ही मानती है । राजस्थान में अकाल की भीषणता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है जिस प्रकार राजस्थान में मंत्रिमंडल बढ़ता जा रहा है उसी के अनुपात में अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही है । ये आंख बन्द करके काम करते हैं । इस सरकार से पहले के इतिहास को देखें तो पता लगेगा कि कुछ परम्पराएं थीं, कुछ मर्यादाएं थीं जहां अकाल दिखता था वहां कुएं, जोहड़, बीड़ रखे जाते थे और दूसरे धार्मिक दृष्टि से नाम रखे जाते थे लेकिन सरकार ने इस सबको भंग कर दिया है आज तो अलाटमेंट का नारा है अलाटमेंट के नाम से सारे वृक्ष काट डाले वृक्ष काट काट कर बाजार के हवाले कर दिए जिससे अकाल की भीषणता नजर आ रही है ।

(श्री दौलतराम सारण)

आज वर्षा का बादल ऊपर से उड़ता नजर आ रहा है उसको आकर्षित करने के लिए कोई वैज्ञानिक सहारा उस क्षेत्र में नहीं रह गया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहूंगा कि राजस्थान में जो घने जंगल वाले क्षेत्र हैं उनमें कटाई के कारण वर्षाभाव हो गया है इसलिए मैं राजस्थान सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं जरा विचारपूर्वक सोचो कि अकाल के क्या कारण हैं। अकाल के कारण राज्य की अदूरदर्शिता है, अविवेकपूर्ण नीतियां हैं, अकाल के कारणों में से एक कारण राज्य की गैरजिम्मेदारपूर्ण कार्यक्रम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन सारी बातों को देखें कि किस प्रकार से रेगिस्तान रोका जा सकता है, किस प्रकार से कुए बनाये जा सकते हैं, किस प्रकार से पीने के पानी के लिए तालाब बनाये जा सकते हैं। अकाल का स्थाई हल क्या हो सकता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि आपने, मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस राज्य सरकार को सुझाव दिये थे कि हमें इस ओर प्रोग्रेस करनी चाहिए लेकिन सरकार को 70 करोड़ रुपया लगाना मन्जूर हैं लेकिन अकाल के लिए स्थाई प्रयास करना मन्जूर नहीं है। हमने चूरू जिले की एक एक गांव की लिस्ट बना कर दी थी कि वहां पर क्या-क्या काम करने चाहिए, क्या-क्या उत्पादन के कार्य करने हैं और क्या क्या निर्माण के कार्य करने हैं--इसकी एक लिस्ट हमने बाकायदा बनाकर दी थी कि इस इस प्रकार से काम करायें। लेकिन वह मंजूर नहीं है इसलिए मंजूर नहीं कि राज्य सरकार अकाल का स्थाई हल नहीं चाहती है। राज्य सरकार केवल अपनी शेखी बघारना चाहती है। मंत्रीगण जाते हैं तो कहते हैं कि यह काम हमने किया है, कांग्रेस ने किया है। कोई राज्य का प्रतिनिधि यह कहता है डेमोक्रसी में कि यह काम हमने किया है या कांग्रेस ने किया है तो वह संविधान के विरुद्ध आचरण करता है। इस सरकार का मुख्य मंत्री जहां भी जाता है वहां इस प्रकार की शेखी बघारता है कि यह काम हमने किया है मैं पूछना चाहता हूं कि श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया यह क्या आप यहां अपने बाप दादों की सम्पत्ति लगा रहे हो अकाल सहायता में निर्माण और विकास के कार्यों में ? यह राज्य के 2 करोड़ 19 लाख जनता के पसीने की और खून की कमाई है जिसके लिए विकास और सुविधा के अवसर देने पड़ेंगे और देने चाहिए। क्योंकि यह आपका दायित्व है और यह आपने जबरदस्ती लिया है इसलिए और भी अधिक आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जिस से सोचती है, जिस तरीके से अपना ढोल है तरीका अवैधानिक है और वह गैर--जिम्मेदाराना है और वह लोकतंत्र के खिलाफ है इसलिए मेरा निवेदन है कि जरा मेहरबानी करके लोकतांत्रिक परम्पराओं को देखो। प्रशासन में राजनैतिक तरीके मत अपनाओ। इधर काम चालू कर दिया और इधर बन्द कर दिया यह तो मैं खैर आगे बताऊंगा लेकिन मैं कहना चाहता था कि यह अकाल कृत्रिम है, यह अकाल प्रकृति संजाल नहीं है बल्कि यह अकाल मनुष्य संजाल है। यह अकाल मनुष्यों द्वारा पैदा किया जा रहा है इसलिए इसको रोकने के लिए आप इस प्रकार का प्रयत्न करो कि जिससे भविष्य में

(श्री दौलतराम सारण)

अकाल न पड़े, उसका स्थाई हल खोजो और इसके लिये मैंने पहले भी सुझाव दिये थे और आज सुझाव देना चाहता हूं। जो निर्माण और सुझाव के कार्य हैं उनको आप तरीके से करो जिसके कोई परिणाम निकलें।

आप सड़कें बनाते हैं। आप की कितनी सड़कें बनीं आप देखें तो सही – कोई सड़क जो अकाल में बनाई वह बची क्या ? छः छः और सात सात अकाल निकल गये आपकी एक भी सड़क जो अकाल में बनाई वह बची क्या ? लाखों रुपया बरबाद हो गया सड़क का कहीं नाम नहीं। किसानों की जमीन कब्जे में कर लेते हैं बीस-बीस वर्ष से सड़क बन रही है, वहां पर पत्थर इकट्ठे पड़े हैं लेकिन किसानों से लगान लिया जा रहा है। उनको कोई मुआवजा नहीं। उसकी जमीन सरकार ने एक्वायर नहीं की लेकिन कानून का राज्य करने वाले और रूल ऑफ ला का नारा लगाने वाले जबरदस्ती किसानों की जमीन को कब्जे में करके जमीन का लगान ले रहे हैं मुआवजा देना तो दूर रहा। यह आपकी संवैधानिक मान्यता है ? इस प्रकार से आप जगह जगह रेत बिखेरते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं है।

आप फेमिन कोड की दुहाई देते हैं लेकिन मैं उस फेमिन कोड के प्रावधानों के अनुसार ही पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वह प्रावधान लागू किये ? आप पी.डब्लू.डी. की शिड्यूल के माफिक मिट्टी निकालते हैं और कोई काम नाप कर नहीं देते हैं और न काम करने के बाद ही नापते हैं। और जब मस्टर रोल जाते हैं तो वहां 50 परसेन्ट, 70%, 80 परसेन्ट की कटौती कर दी जाती है। वह कटौती क्यों है ? मैं यह पूछना चाहता हूं जो भूखा रोटी मांगता है, जिसका कोई रोटी का जरिया नहीं, जिसके पास कोई दाना नहीं है उसको दिनभर मिट्टी खोदने के के बाद, वह हमले वाली औरतें, पेट में बच्चों वाली औरतें दिन भर मिट्टी खोदती हैं, वह बिलबिलाते बच्चे जिनके मासूम चेहरों पर मासूमियत नहीं बल्कि अकाल की छाया वह दिनभर मिट्टी खोदते हैं और उसके बाद आप मजदूरी 7 दिन में नहीं देते। आपका हफ्ता 15 दिन का है। हफ्ता तो हमने 7 दिन का पढ़ा था और आप 15 दिन की मजदूरी 38 दिनों में, 50 दिनों में और $1\frac{1}{2}$ महीने के बाद चुकाते हैं और वह भी 5 आना, 10 आना, कहीं 7 आना और कहीं 12 आना देते हैं। आप कहीं $1\frac{1}{2}$ रुपया, $1\frac{1}{4}$ रुपया या दो रुपया मजदूरी नहीं देते हैं, यह क्यों ? यही आपके अकाल की व्यवस्था है ? अगर आपने मानवीय दृष्टि-कोण भुला दिया तो कम से कम प्रशासनिक और वैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात करो। आप एक तरफ तो कहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी और जो नहीं देगा उसका चालान करके दो महीने की कैद की सजा दी जायेगी और दूसरी तरफ भूखा रोटी मांगता है तो उसको $1\frac{1}{2}$ रुपया देने को कहते हैं और वह भी देते नहीं हैं। कहते हैं कि काम कम किया, नाप करा नहीं लेकिन यों ही मनमाने तरीके से काम कम कह कर मजदूरी काट लेते हैं। यह मजदूरी एक दो जगह काटते तो समझ में भी आता लेकिन सब जगह पर मनमाने तरीके से सारे राजस्थान में यह कटौती चलती है। बीका-

(श्री दौलतराम सारण)

नेर में कहूं तो बीकानेर के अन्दर अनेक कैम्पस में यह जांगलू, पांचू, देसलसर, झझू, किसनासर, ढींगसरी, बामलू और कितने ही गांव ऐसे हैं जिनमें मजदूरी काटी गई है। चूरू के अन्दर भी लिखमीसर आदि कई गांवों में मजदूरी काटी गई। हां, यह मजदूरी आप वहां नहीं काटते जहां से कोई एक-एक या दो-दो रुपया इकट्ठा करके आपके अधिकारियों को दे दे, या कांग्रेस के बीच के दलालों को दे दे तो मजदूरी पूरी मिल जाती है नहीं तो काम कम हुआ कह कर मजदूरी काट दी जाती है।

सड़कें कहां खोलते हैं परसराम जी आपको पता नहीं। आपके बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है लेकिन आप जरा देखो नीचे जाकर सड़कें वहां खोलते हैं जहां हिम्मतसर के पास 1 रुपया, 1½ रुपया मजदूरी से काट कर 1500 रुपया वसूल किया जाता है जिसमें से 400 रुपया खर्च में लग गया और एक हजार रुपया खुलाने वाले को दिया गया। इसी तरह से सड़कें वहां खुलती हैं जहां दो हजार रुपया इकट्ठा किया जाये। 500 रु० खर्च में और 1500 रु० दिया जाय। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता था कि यह अकाल की स्थिति बहुत ही भयावह है और यह राज्य सरकार भी कहती है कि अकाल की स्थिति भयावह है लेकिन उसके लिए राज्य सरकार ने किया क्या ? अकाल की घोषणा नहीं की बल्कि अभाव की स्थिति की घोषणा की। अकाल नहीं है, अभाव है। जरा आप हमको भी तो समझा दें कि अभाव क्या है और अकाल क्या है ? अकाल की स्थिति आप कब घोषित करेंगे जब सब लोग मर जायेंगे, सब पशु मर जायेंगे या बिल्कुल सारा इलाका उजड़ जायेगा तब अकाल घोषित करेंगे ? नहीं, तो जहां 7-7 वर्ष अकाल पड़े, 6-6 वर्ष अकाल पड़े और चाहे एक बूंद भी पानी नहीं हो तब भी अभाव की स्थिति रहती है मैं पूछना चाहता हूं कि अकाल क्यों नहीं घोषित किया अकाल की भयंकरता को स्वीकार करने के बावजूद भी ?

(5 म० प०)

यह मै जानना चाहूंगा।

इसके बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि जब आपने अभाव की स्थिति की घोषणा कर दी तो घोषणा करने के बाद आपने राहत कार्य समय पर क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्यों ही प्रारभं किया आज भी ऐसे इलाके हैं जो अभावग्रस्त घोषित हैं, लेकिन उनमें राज्य सरकार ने अकाल सहायता कार्य अभी तक चालू नहीं किये। ऐसे भी इलाके हैं जहां राज्य सरकार एक तरफ कहती है कि पांच वर्ग मील के क्षेत्र में हरेक को काम देंगे, किसी को भूखों नहीं मरने देंगे, लेकिन एक तरफ 30-30, 50-50 मील के अन्दर कोई काम नहीं है। एक तरफ ऐसी स्थिति है कि जहां 5-5 वर्ष से अकाल है लेकिन उन इलाकों में आज तक कोई काम नहीं खुला है। ऐसी स्थिति राजस्थान के एक नहीं अनेकों इलाकों की है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह भेदभाव क्यों है ? एक जगह काम सबसे पहले खोल दिया गया जहां पर ऐसी स्थिति है कि मजदूर नहीं आते हैं और दूसरी तरफ जहां पर कि मांग है वहां पर काम खोले नहीं है। आखिर इसमें राज क्या है ? राज कुछ नहीं है। राज यह है कि अकाल के कार्य से वोट प्राप्त करने की चेष्टा

(श्री दौलतराम सारण)

की जाती हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि अगर हमें तुम चाहो अगर हमारा समर्थन दो तो इतना काम मंजूर करा दें। लेकिन मैं मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से उनकी पीड़ा का नाजायज लाभ लेकर आप उनका सहयोग और समर्थन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर इस तरह से आपने किया तो वह गरीब हां तो भर देंगे, लेकिन जिस दिन अवसर आयेगा उस दिन पूरा ब्याज सहित बदला लेंगे। इसको आप भूल न जायं, ध्यान में रखें। मैं उदाहरण बता सकता हूं इस तरह के प्रशासन का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर क्या गुजरी है। प्रशासन का दुरुपयोग करके पार्टी के पक्ष को प्रबल करने से कभी कोई राजनैतिक पार्टी नहीं पनप सकती है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की जो भावना है उसको दूर करने की चेष्टा करें। मैं यह मानता हूं कि परसरामजी काम करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन परसराम जी, आपके बस के बाहर की बात है। कहीं माथुर साहब का जेक आ जाता है और सुखाड़ियाजी का डंडा तो हमेशा रहता ही है। वे प्रयास करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। और यह भी स्थिति है कि अकाल सहायता विभाग बिल्कुल निकम्मा विभाग है। उसका कोई काम करने का तरीका नहीं है। सेंक्शन गवर्नमेंट की मिलने के बाद भी सेंक्शन समय पर कलेक्टर को नहीं भेजते हैं, और कलेक्टर बार बार लिखता है उसके बाद भी उत्तर नहीं देते हैं। यही नहीं, उस विभाग की तो यहां तक स्थिति है कि स्वीकृत काम की जानकारी मांगे तो बिना गवर्नमेंट की स्वीकृति के देने को तैयार नहीं। वे कहते हैं कि उनकी आज्ञा लेकर ही हम जानकारी दे सकेंगे। ऐसा नियम और कानून इस विभाग के लोगों ने बना रखे हैं। यह स्थिति इस विभाग की है। ऐसे निकम्मे इस विभाग के अधिकारी हैं जिनका दिमाग काम करने का नहीं होता है। जो अकाल की सीरियसनेस को नहीं समझते हैं। उसके अफसरों के दिमाग में उन पीड़ितों के प्रति कोई रंज नहीं है, कोई सहानुभूति या प्रेम नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को उनके यहां भेजा जो कि गांवों से मेरे पास आये थे, लेकिन उन्होंने काम की उनको कोई जानकारी नहीं दी। मुझे खुद को उन्होंने कहा कि अगर आप जानकारी चाहते हैं तो दरख्वास्त भेज दें। राज्य सरकार जो है वह आदेश देगी तो हम आपको जानकारी दे सकेंगे। ऐसा तो इनका यह विभाग है। मैंने मंत्री, मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। मुझे खेद है कि मंत्रीजी ने बहुत दिनों के बाद मुझे पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि आपकी बात औचित्यपूर्ण नहीं है। मेरी बात तो औचित्यपूर्ण नहीं है और आफिसरों की बात औचित्यपूर्ण है जो कि धूर्त और शरारत पूर्ण है। न तो वे कोई गरीब और जरूरतमन्द की बात को सुन सकते हैं और न ही उसके अनुसार कार्यवाही करवाते हैं।

मैं यह कह रहा था कि अकाल सहायता कार्य खोलने के अन्दर न्याय नहीं, अकाल कार्य चालू करने में न्याय नहीं। दो हजार मजदूर एक कैम्प में हो जाते हैं तो उस कैम्प को बन्द करके 15 मील की दूरी पर दूसरे काम खोल दिये जाते हैं। वहां मजदूर

(श्री दौलतराम सारण)

बढ़ते हैं तो उसको बन्द करके 20 मील की दूरी पर दूसरा कैम्प खोल दिया जाता है। इस तरह के कई उदाहरण बीकानेर जिले में हुए हैं। उसके बारे में बारम्बार सूचित किया गया है, लेकिन फिर भी वह प्रक्रिया चालू है।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अभाव की स्थिति घोषित करने के बाद, 5 वर्गमील के क्षेत्र में कार्य देने की घोषणा करने के बाद, किसी को भूख से नहीं मरने दिया जायगा इसकी घोषणा करने बाद आज तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है और न कोई काम 5 वर्ग-मील के क्षेत्र में दिया गया और न काम देने की व्यवस्था हुई है। सीलिंग फिक्स कर रखा है कि इतने हजार से अधिक मजदूर नहीं लगाये जायं। काम की मांग की जाती है तो अफसर कहते हैं कि हम क्या करें सीलिंग फिक्स कर रखी है कि इतने से अधिक मजदूर नहीं लगाये जायं। सीलिंग है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अधिकारी इस तरह की बात कहते हैं तो या तो वे आपको बदनाम करने के लिए कहते होंगे या वे लोग सही बात कहते होंगे। काम के लिए मजदूर जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता है और कैम्प्स से निकाल दिये जाते हैं। यहीं नहीं, कैम्प में काम करने वाले लोगों को औजार तक नहीं देते हैं। औजार नहीं होने की स्थिति में मजदूर पूरा काम नहीं कर पाता है यह स्थिति आज भी आपके स्वीकृत काम में बहुत सी जगहों पर है। कई जगहों पर कैम्प्स नहीं खोले गये हैं और नहीं खोलने का कारण पूछते हैं तो पी० डब्लू० डी० विभाग हमें यह बतलाता है कि हमारे पास औजार नहीं है हमारे पास सामान नहीं है, इस लिए काम नहीं खुला पा रहे है। कलेक्टर लिखता है तो कलेक्टर के आर्डर की कोई परवाह नहीं। उनको तो परवाह है एक बात की कि किसी तरह से नकद-नारा आये, किसी तरह से पैसा आना चाहिए।

सड़क का एलाटमेन्ट होता है तो रात को इधर से, दोपहरी को उधर से और दूसरे दिन सुबह इधर से, चारों तरफ धूनी मांड देते हैं, बढ़े सो पाये। जो पैसा ज्यादा देता है उधर से सड़क नहीं निकाली जाती है और दूसरी तरफ कम पैसा देने वालों की तरफ से निकाल दी जाती है। एलाटमेन्ट का यह हाल है भ्रष्टाचार रग-रग में व्याप्त है। इतना ही होता तो यह समझ लेते कि यह एलाटमेन्ट तक ही सीमित है। काम खोलने में भ्रष्टाचार, मजदूरी चुकाने में भ्रष्टाचार, मेटपानी वाले ऊंट, सुपरवाइजर इनके एपाइंटमैंट में भ्रष्टाचार। रोज रेट बढ़ जाती है। बढ़े सो पाये। जो कीमत बढ़ाता है उसकी नियुक्ति और जो कीमत कम दिलाता है उसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह से पानी के ऊंट के मेरे इलाके में 25 रुपये लिये जाते हैं। 25 रुपये लेकर टंकी वाले को लगाते हैं। यह बात मंत्रीजी को कही, कलेक्टर को कही तो कलेक्टर ने कहा कि हम इसमें असमर्थ हैं। तो समर्थ कौन हैं? मैंने कहा कि भ्रष्टाचार हर रोज दिन-दहाड़े बढ़ रहा है। हमने कलेक्टर को लिखित में शिकायतें की तो उसकी कोई एन्क्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं। कहां जायें? किसको कहें, किस प्रकार से यह कार्यवाही होगी? उसको हम समझने में असमर्थ हैं।

Page No 87

(श्री दौलतराम सारण)

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो अव्यवस्था है कि मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जाय, उनको औजार नहीं दिये जायं, काम नाप कर दिया नहीं और काम करने के बाद काम को नापा नहीं और फिर मस्टर रोल पेमेन्ट के लिए चुकारे के लिए बिल बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर काम कम हुआ कहकर पैसा काट दिया जाता है। यह क्यों है ? परसरामजी, यह भी सुनलें कि यह इसलिए है कि गत वर्ष मुझे बीकानेर के प्रश्न के बारे में आपने यह कहा था कि काम कम किया। मुझे कहा था कि यह बात नहीं है। मजदूर डेढ़ हजार लगे हुए हैं वहां मस्टर रोल में मजदूर ढाई हजार लिखे हुए हैं तो डेढ़ हजार का काम ढाई हजार में फैलाते हैं, इसलिए मजदूरों का काम कम आता है। यह कारण है जिसकी वजह से काम कम होने का बहाना बनाकर मजदूरी काटी जाती है। इसके उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये हैं, उन जगहों का मैं नहीं कह कर सिर्फ बीकानेर का उदाहरण देना चाहता हूं कि कितने मस्टर रोल पकड़े गये हैं यह आप मालूम करेंगे और पकड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई यह आप मालूम करें। एक किसनासर का केस होता तो मुझे सब्र हो जाती, लेकिन यहां तो हर काम में किसनासर है। यहां तो हर कैम्प पर जाली मस्टररोल है। हर कैम्प पर टंकी वाले से, मेट से, सुपरवाइजर से पैसा लिया जाता है। सामूहिक कलेक्शन किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को तल्लीनता से देखिये। आप क्या करेंगे ? आपकी तड़फ आपकी मर्यादा मैं समझता हूं। आप हुक्म देंगे कलेक्टर को। कलेक्टर हुक्म नहीं मानेगा। आपने बीकानेर की शिकायत पर हुक्म दिया था। कलेक्टर ने क्या किया था ? पांच पैसे, दस पैसे, पन्द्रह पैसे मजदूरों को चुकाये गये थे। उस पर क्या कार्यवाही हुई ? इस सदन को कोई जानकारी नहीं है। कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शायद हुई होगी। मेरे ख्याल में नहीं हुई है। जांच तब हो सकती है जब बादशाह अकबर चाहे। अकबर नहीं चाहे तो नहीं होती है। कलेक्टर कहता है कि मुख्य मन्त्री का क्या हुक्म है। मुख्य-मन्त्री इसलिए जांच नहीं करवाना चाहते हैं कि उनको चुनाव में सीटें चाहिए। रातोंरात दो लाख रुपया कलेक्शन करके वह देते हैं। दो लाख के बजाय 4 लाख वसूल कर लें तो वह गुनहगार नहीं है। वह जांच तब तक नहीं हो सकती हैं जब तक कैबिनेट में इस तरह के मन्त्री नहीं हो सकें। इस तरह का प्रयास करते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आप यह देखते हैं, इसमें कंट्रोल किया जाये। लेकिन आप का प्रयत्न आपकी चेष्टा बेकार हो जाती है। इसलिए कि इस राज्य का सारा केन्द्रीकरण एक व्यक्ति की इच्छा पर है। इतना आप में साहस नहीं है कि इस राज्य की कुर्सी के ठोकर मार दें। इसीलिए आप की हिम्मत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सलाम कौन करे फिर !

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा, विधान की अवज्ञा, कानून की अवज्ञा, और स्त्री पुरुषों में भी भेद। आदमी को मिलेगा डेढ़ रुपया, महिला को मिलेगा सवा रुपया।

(श्री दौलतराम सारण)

परसरामजी कहेंगे ऐसा नहीं है। कहने वालों से पूछिए। मस्टररोल चैक कीजिये। कोई एक भी महिला का नाम है खोदने वालों में? ढोने वाले खोदते भी हैं ढोते भी हैं। मजदूरी में भेद करना समानता के खिलाफ ही नहीं मानवता और भारतीय पराम्परा के भी खिलाफ है। इसलिए स्त्री पुरुषों की मजदूरी में भेद नहीं करना चाहिए। मस्टररोल में कोई एड्रेस नहीं देते हैं। नाम बदल देते हैं। गेंग तोड़ देते है। चौथे को पांचवा गेंग बना देते हैं। बड़ी जादूगरी से काम होता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसा कहां पर होता है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हर जगह होता हैं।

श्री जयनारायण खालोदिया : आप के यहां पर भी होता है।

श्री नत्थीसिंह : प्रवाह इस तरह नहीं टूटेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम तोड़ना भी नहीं चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : एक मजदूर 8 किलो अनाज पर एक महीने तक कैसे काम कर सकता है ? आठ किलो पर वह कैसे रह सकता है ? आप भी नहीं रह सकते हैं। उसे वह आठ किलो भी उपलब्ध नहीं होता है। मजदूर भूखा रहता है। भूख से सड़ते सड़ते वह मर जाता है। तब आप कहते हैं कि भूख से नहीं मरा। रोग से मरा है। भूख से मरना आप कैसे मानेंगे ? आप जानते हैं, जैसे गोली लगने से पट से मर जाय, तब आप मानेंगे कि वह भूख से मरा। आपकी सड़ी गली ज्वार, अस्वास्थ्यकर अनाज खाने से, अपौष्टिक भोजन की वजह से गांव के अकाल पीड़ित आदमी धीरे धीरे मर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। आप उनको रोग से मरना कहिये। कई तरह की नई नई बीमारियां आपके अनाज की कृपा से मिलीं। 15 आदमी डूंगरगढ़ तहसील में मर गये हैं। पशुओं की तो गिनती ही नहीं है। अनाज ढुलाई 5 पाई घास ढुलाई 17 पैसे। घास भरतपुर अलवर से जाता है। अलवर, भरतपुर से घास हैड क्वार्टर पर जाती हैं। फिर कहीं भेजते हैं। डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। इसलिए नहीं भेजते हैं कि इस प्रकार भेजने में फायदा है। 75 क्विण्टल जाती है तो एग्रीमेंट में 100 क्विंटल हो जाती है। घास एक जगह जल गयी। अगर जांच कराने की बात आप करेंगे तो जगह २ घास जलने लगेगी। एक रिपोर्ट में आया है कि घास में गैस पैदा हो गई है, इसलिए जल गई है। ऐसी पहले भी जली। और भी जलेगी। कई तरह के उपाय लोग निकाल रहे हैं। इन पर रोक लगाइये। मैं कह रहा था ऐसे कार्यों का क्या होगा ? सवा 12 कुओं का प्रावधान किया है। 60-70 पुरस का कुआं चलाने में कितने आदमी कितने ऊंट लगते हैं ? 50 रु० में तो आप सारी जुड़ा दो तो मैं आपको धन्यवाद दूं। कहां साढ़े 12 रु० प्रतिदिन आप देते हैं। साढ़े 12 रु० का भी चुकारा नहीं होता है। पानी की कोई व्यवस्था मुकम्मिल तरीके की कहीं नहीं हैं। आवास नाम की कोई चीज नहीं है। न सरकी है न टीन है। हां, माथुर साहब ! रजाइयां बांटने जरूर जाते हैं। भिखारी बनाते हैं उनको। स्वाभिमान गिराने का तरीका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : शेम शेम।

श्री दौलतराम सारण: न ठीक तरह से चिकित्सा का इन्तजाम हुआ। न ठीक तरह से आवास की व्यवस्था है। न ठीक तरह से असहाय लोगों को सहायता देने की व्यवस्था हैं मैंने एक प्रश्न पूछा था। आपने सारे आंकड़े दिये हैं लेकिन हमने पूछा था कि सहायता कब कब दी जाती है ? आपने कहा था कि यथा समय दी जाती है लेकिन मालूम करना चाहिये था आपको कि यथासमय कितना लम्बा है, यथासमय कितने महिने का होता है। सांड और भोटे के लिए आपने सहायता मंजूर की। आप मालूम करते तो मालूम होता कि सांड और भोटे का पैसा दिया गया है वह नसली सांड और भोटे के लिए दिया गया है क्या ? सांड और भैंसे तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं और आपकी तरफ से इन्तजाम नहीं किया गया है। इस तरफ की खामी और कमियां हैं व्यवस्था में मात्रा में भाव में और क्वालिटी में। अनाज और बीज के मामले में गड़बड़ी है। हम आपको कहें तो आप प्रयास भी करें लेकिन आपके प्रयास को माने कौन ? आपके हुकम की परवाह कौन करें ? यह स्थिति है कि जिनका हुकम चलता है वह इस सदन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सदन में बैठने की उन्हें फुर्सत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय आसन से इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस सदन में बैठकर अपने कानों से बहस सुने मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री। लेकिन मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री सदन में बहस को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सदन की कार्यवाही में वह भाग लेने को तैयार नहीं हैं। कभी वह सदन में हाजिर नहीं रहते हैं। कभी एक दो मिनट के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं। उन्हें सदन की परवाह नहीं है। सदन में अकाल पर बहस हो रही है उसकी परवाह नहीं है। सदन में जो बजट पर बहस होगी उसकी उन्हें परवाह नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी उसकी उन्हें परवाह नहीं है। यह है सदन के प्रति भावना मुख्य मंत्री की। मुख्य मंत्री जानते हैं कि उन्हें इस सदन की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वह देखते हैं कि हर प्रश्न पर हाथ इधर से उठ जायेंगे। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि इधर वाले हाथ हमेशा नहीं उठायेंगे क्योंकि इनके अन्दर भी जजबात हैं, इनके अन्दर भी मानवता है, इनके अन्दर भी सत्य निष्ठा है और गांधी की कांग्रेस की बैंचों पर कोई ऐसे भी होंगे ...

श्री नत्थी सिंह—नहीं हैं। नहीं हैं।

श्री प्रेमसिंह : इनके पास हृदय नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : रामनारायण जी हंस रहे हैं। इनको परवाह नहीं है। फिर भी वृद्धिचन्द्र जी हैं, जिनके दिल में धुकधुकी होती है। अरे, मोहनलाल सुखाड़िया के अनुष्ठान की जो राख आपके ऊपर गिरी हुई है, उस राख को आप फेंक दें और फिर देखें क्या क्या रंग खिलते हैं .....

श्री गिरधारीलाल व्यास : धन्य है।

श्री दौलतराम सारण : वह भोंपू गिरधारीलाल जी का बोला। इनको ऐसा भोंपू पकड़ा दिया है ... ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके भोंपू प्रेमसिंह हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने जो पकड़ा है वह मालूम है। आपने जो किया है वह बहुत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके प्रेमसिंह जी कम नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : विश्नोईजी भी कोशिश कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रेमसिंह जी कम नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको बहुत उत्पीड़न है।

श्री दौलतराम सारण : गिरधारी लाल जी मोटर और बंगले की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक सेंक्शन नहीं दी। आप भी सहयोग कर सकें तो अच्छा रहे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं उसके लिए।

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर रहा था, इसमें मैंने इन्सानों की स्थिति बताई अब मैं पशुओं की स्थिति बताऊं कि राजस्थान आने वाले दस साल तक भी पशुओं के मामले में नहीं उठ सकेगा। राजस्थान का वह क्षेत्र, जिसकी सारी इकानामी पशुओं पर निर्भर थी, जिसकी सारी आर्थिक स्थिति पशुओं पर निर्भर है, बरबाद हो गया है। वहां लाखों की संख्या में बढ़िया नस्ल के पशु खत्म हो गये हैं। आज पशुओं में भयंकर रोग और भयंकर महामारी फैली हुई है। शीतला और चेचक फैली हुई है। धड़ाधड़ पशु मर रहे हैं। मैंने कृषि मंत्रीजी को लिखा था, आप महरबानी करके इसके लिए कुछ इन्तजाम करें। 30 नवम्बर को जिला सहायता समिति, चूरू में मैंने कहा था कि अकाल में महावारी से पशु मर रहे हैं, लेकिन जिला चिकित्सा अधिकारी ने कोई परवाह नहीं की। अब आपने गाड़ियां भेजी हैं जब कि बहुत से पशु मर गये हैं। अब भी जो कुछ बने उसके लिए प्रयास किया जाय तो अच्छा है लेकिन इस सम्बन्ध में समय पर चेष्टा की जानी चाहिए थी। ऐसे मामले में आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी कि अकाल में महामारी का प्रकोप होगा तो पशुओं में बीमारी से मुकाबला करने की क्षमता नहीं रहेगी, इसलिए व्यवस्था समय पर करनी चाहिए, जो आपने नहीं की। घास के लिए बीकानेर में केम्प खोल रखा है। मैं वहां होकर आया हूं। केम्प घास के नाम से खोला है, लेकिन वहां घास का तिनका तक नहीं है। केम्प पर घास नहीं है, और कहीं हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो यह घास की स्थिति है। घास की, मजदूरी के चुकारे की यह सब बातें मैंने आपको बतलाई। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों की तरफ राज्य सरकार ने जरूरत नहीं समझी ध्यान देने की। जैसे कि एक मजदूर के परिवार में एक स्त्री और एक पुरुष कमाने वाला होता है लेकिन सात आठ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन सबका दो व्यक्तियों की कमाई से पेट नहीं पल सकता। ऐसे अतिरिक्त बच्चों को कानून के मुताबिक मजदूरी पर नहीं लगा सकते, क्योंकि आप तेरह साल के नीचे के बच्चों को नहीं लगा सकते। तो वह क्या खायें ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री जी को।

श्री दौलतराम सारण : कहां जायें, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे अतिरिक्त बच्चों के लिये आपको कुछ सहायता देनी चाहिए। पहले अकाल के वक्त में इस प्रकार की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी थी लेकिन इस बार कोई सहायता नहीं दी जा रही है। लाखों गांवों के किसानों के बच्चे आज स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं। लेकिन अकाल की वजह से आज मारे-2 फिरते हैं, क्योंकि उनके पास फीस के लिए पैसा नहीं है, रोटी कपड़े के लिए पैसा नहीं है, इस लिए मजबूरन पढ़ाई से उनको विमुख होना पड़ रहा है। आपने उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं की है। इससे साबित होता है कि आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जहां अकाल को भयंकरता मौजूद है वहां पर आपने अकाल की घोषणा न करके अभाव की घोषणा की है। उसमें भी आपकी व्यवस्था कैसी है उनकी दशा भी खराब है। इसके बारे में मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि कुछ गांवों में अभाव की स्थिति घोषित करने के बाद लगान तो आपने बन्द कर दिया, लगान वसूली रोक दी लेकिन बाकी राज्य की जो बकाया है, उसके लिए कुर्कियां करके और नोटिस देकर वसूली हो रही है। कुर्कियां हो रही हैं और सख्ती के साथ में वसूली हो रही है। यह बड़ा अजीब नजारा है...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मानवता का नमूना है।

श्री दौलतराम सारण : अकाल से पीड़ित है नागरिक, किसान है वह दुःखी है, उनके पास में लगान देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन राज्य से लिये हुए कर्ज, सहकारी समिति के कर्जे, तकावी और दूसरी बकाया, कुए का ऋण, कैटल ब्रीडिंग फार्म का ऋण, दूसरे ऋण को देने के लिए राज्य सरकार उनको समर्थ मानकर कड़ाई से उनसे वसूली कर रही है। जो पटवारी वसूली नहीं करे, उसकी तनख्वाह बन्द। जो तहसीलदार वसूली नहीं करे, उसकी तनख्वाह बन्द। उसकी उन्नति रोक दी जाती है। इस प्रकार का राज्य का नजरिया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप किस आधार पर इस प्रकार की वसूलियां कर रहे हैं? क्या यह किसी भी नैतिकता या किसी भी मानवता के दृष्टिकोण से, किसी भी इन्सानियत के एंगल से सही है? या कोई आज इसको सही मानता है? तो मतलब यह हुआ कि आप अकाल की भयंकरता का अहसास नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं कि आज अकाल पीड़ित आदमियों की किस प्रकार की माली हालत है। आज उसके पशुओं की, चारपाई की कुर्की हो, और सामान की कुर्की हो, और उसको मजबूर किया जाय बकाया को चुकाने के लिए। यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस प्रकार की वसुलियां तुरन्त रोक दी जानी चाहिए ऐसे अभाव की स्थिति के घोषित गांवों के किसानों से। यह नहीं कर सकेंगे तो मतलब साफ है कि आप उन लोगों की मुसीबत को समझ नहीं रहे हैं और उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन लोगों को इस प्रकार दबा देना चाहते हैं कि वर्षों तक वह उठ नहीं सकें, बल्कि बिल्कुल मिट्टी में मिल जायं, बिल्कुल नष्ट हो जायं। यह दृष्टिकोण हो सकता

(श्री दौलतराम सारण)

है। मैं चाहूंगा, आप अपने जवाब में इस बात को अवश्य कहें। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज नल कूप की बड़ी दुहाई दी जाती है। नल कूप लगे लगभग डेढ़ सौ, 153 के लगभग खोल दिये गये हैं, डेढ़ सौ नल कूप चालू किये गये हैं, उस पर क्या कार्यवाही की गई है अब तक राज्य सरकार एक बड़ी रकम देने के लिए बता रही है, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी काफी बड़ा प्रावधान करने की बात कहते हैं, लगभग 30 करोड़, लेकिन यह प्रावधान है, यह किस काम के लिए है? यह पाइप स्कीम गांवों में बनाते हैं, जिस गांव में मीठा पानी है, वहां पाइप स्कीम के लिए व्यवस्था करते हैं। हमें पाइप स्कीम नहीं चाहिए हमें पानी चाहिए पहले। पानी नहीं मिलता है कई गांवों में और जहां पानी है वहाँ लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक कुएं पर जहां डेढ़ दो लाख पाइप स्कीम पर खर्च करते हैं, उसके बजाय क्यों नहीं एक जगह दस पांच कुए बना देते हैं, क्यों नहीं तालाब बनाते हैं. क्यों नहीं पाइप स्कीम ऐसी जगह बनाते हैं, जहां से कई गांवों में नल द्वारा पानी पहुंचाया जा सके। ऐसी योजना आपकी नहीं है। आप व्यापक स्तर पर बोरिंग करने की व्यवस्था नहीं कर सकते। पंचायत की मांग है, पंचायत समिति की मांग है, व्यक्तियों की मांग है, लेकिन आप कहेंगे कि आपके पास मशीन नहीं हैं। आज बीस वर्ष के बाद भी बोरिंग की मशीन नहीं हैं। पंजाब मे गांव गांव में बोरिंग कर दिया गया है लेकिन हमारे यहां एक जगह भी व्यवस्था नहीं की गई है।

आज पंचायत समितियों में हुए और कुंड हजारों की तादाद में अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा कराने के लिये फेमीन के मद में आपका फेमीन कोड आपको अनुमति नहीं दे सकता, उनको पूरा कराने के लिये आप फेमिन के मद से रुपया नहीं दे सकते क्योंकि लाखों रुपया जनता का उन पर लगा हुआ है वह कहीं काम में नहीं आ जाये। आप उनको पूरा कराने के लिये प्रावधान नहीं कर सकते। आप कहां खर्च कर रहे हैं? रास्तों पर मिट्टी डलवाने में जो पहले भी आपने डलवाई थी और गर्मी के दिनों में हवा में उड़ गई अब जो मिट्टी डलवा रहे हैं वह भी हवा में उड़ जायगी। अकाल की समस्या के स्थाई हल के लिये हम आपको सिंचाई के कुएं बनाने का कहते हैं, हम आपको सुझाव देते हैं कि बीस साला किश्तों पर सिंचाई के कुओं के लिये ऋण दे दीजिये, 20 हजार रुपये एक कुए के लिये देते हैं तो उसमें पांच छः हजार रुपया सहायता के रूप में दे दीजिये और बाकी 15 हजार रुपया 20 साला किश्तों पर ऋण दे दीजिये। इस प्रकार ऋण और सहायता दे कर यदि आप कुएं बनवायें तो एक कुएं पर उन गांवों के बीस व्यक्ति 6 महिने तक काम कर सकते हैं, एक एक गांव में बीस कुएं हो तो चार चार सौ आदमियों को महीनों काम मिल सकता है। इससे उन गांवों के लोगों को मजदूरी भी मिल सकती है और अकाल की समस्या का इस प्रकार स्थाई हल भी किया जा सकता है।

जहां आबादी नहीं, जहां लोग आसानी से जा नहीं सकते वहां कुएं खुदवाते हैं और ट्यूब वैल खुदवाने के बाद पैसा देने की व्यवस्था आप नहीं करते। 10 वर्ष के लिये

(श्री दौलतराम सारण)

ट्यूब वेल बनाये बिना लगान भूमि देने हेतु आप पोद्दारजी का आह्वान कर सकते हैं पर कुओं के लिये लोगों को सहायता देने के लिये आप तैयार नहीं है, आप अकाल से लोगों को राहत दिलाने के लिये स्थाई व्यवस्था करने को तैयार नहीं हैं। चूरू पूरे जिले की एक योजना बना कर आपको दी थी पर, उपाध्यक्ष महोदय, एक कौड़ी भी नहीं मिली। उत्पादक कार्यों में जहां कुओं से सिंचाई का काम लिया जाय वहां इसके साथ साथ ऊन की कताई और बुनाई का काम चालू किया जाय यह हमने आपको सुझाव दिया, यह पुश्तैनी धंधा वहां के लोगों का है, इस सुझाव को यदि अमल में लाया जाता तो करोड़ों रुपयों का कच्चा माल इस्तेमाल हो सकता था। आपकी पुलिस, फौज, बोर्डर पुलिस, हॉस्पिटल्स और दूसरे डिपार्टमेंट को इससे कम्बल मिल सकते थे पर उसके लिये आप पैसा देने को तैयार नहीं। आज बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी करने के लिये नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनमें पर्दा–प्रथा है। यदि आप ऐसा काम शुरू करते तो वे इस धंधे से अपना पालन पोषण कर सकती थीं। इस कार्य के लिये यदि आप 7 करोड़ रुपया भी लगाते तो आधे से ज्यादा रुपया तो आपको जिन्स के रूप में मिल जाता और बाकी पैसे का सदुपयोग होता, पर आपने यह नहीं किया। यह काम हमने आपको अकाल के स्थाई हल के लिये सुझाया था पर आपने अकाल के स्थाई निवारण का कार्य नहीं किया। समय पर नहीं किया। वहां पानी के स्रोत हैं, पानी के बैल्ट हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था कुओं से की जा सकती है पर वह कार्य आपने नहीं किया। बार बार लूणकरणसर की लिफ्ट केनाल की आप दोहाई देते हैं पर आज उसका हाल क्या है मजदूर वहां काम करने के लिये जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहां इतने ही मजदूरों की व्यवस्था है और अधिक मजदूर हम यहां पर नहीं रख सकते, महाजन जाओ या दूसरी जगह जाओ। इसके अलावा इसका यह हाल है कि यह 25 करोड़ की योजना थी, 7 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करने की योजना थी वहां केवल डेढ़ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की योजना आपने स्वीकार की है जो 8 करोड़ की योजना है, इससे अकाल की समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकता। यह उपेक्षा की है आपने इस इलाके की। जहां 20-20 कोस तक पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां हमारे देश का बढ़िया से बढ़िया किस्म का पशु धन है, गायें हैं बढ़िया से बढ़िया किस्म के ऊंट हैं वहां उस क्षेत्र के कीमती पशुधन को बचाने के लिये, उस इलाके के लोगों को अकाल से बचाने के लिये कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। जो इसके लिये प्रावधान रखा है, वह साधारण कार्यों के लिये है। 20 हजार में एक कुआं नहीं बनता, गहरा कुआं बनाने में 50 या 55 हजार रुपया लगाया है वहां आप चार हजार रुपये ही देते हैं अब बहुत प्रयत्न करने के बाद 10 हजार रुपये का प्रावधान स्वीकार किया है। इस कार्य के लिये आपकी कोई स्थाई एजेंसी नहीं है, आप एक जगह पर नहीं टिकते हैं। कभी निगम की मार्फत आप बात करते हैं तो कभी किसी दूसरी एजेंसी की बात करते हैं, पंचायती

Page No 94

(श्री दौलतराम सारण)

राज की मार्फत काम कराने की आवाज बुलन्द की तो पंचायतों को पंगू बना दिया। पंगू पंचायतों की मार्फत काम कराने वाली बात गायब अब दूसरी एजेंसीज शुरू हो गई। कुछ शोभारामजी ने ले ली, कुछ का निगम के नाम प्रावधान किया जा रहा है। एक जगह निष्ठा रख कर आप गांवों के लोगों में विश्वास नहीं जमा पाते हैं, इसलिये गांवों का सहयोग आपको नहीं मिलता है। उस इलाके से रेगिस्तान को हटाने के लिये, वहां के लोगों को अकाल से स्थाई राहत दिलाने के लिये, वहां के लोगों को स्थाई रोजगार देने के लिये आप ऐसे काम कीजिये जो स्थाई हों, जिनसे कि वहां के लोगों को स्थाई रोजगार दे सकें। सड़कों के काम को इस कार्य के लिये हम आवश्यक मानते हैं पर सड़कें बनायें तो पूरी करें, यदि पूरी नहीं बना सकें और यदि आप एक मील सड़क बनायें तो उस एक मील सड़क को पूरा करें, 5 मील सड़क बनाये तो 5 मील सड़क को पूरा करें। पर इसके विपरीत आप केवल रेता डलवाते हैं इसलिये गर्मी में वह रेता उड़ जाता है। इस प्रकार की आपकी व्यवस्था है।

मैं आपको सुझाव दे रहा था कि वहां जोहड़ खुदवाइये, तालाब खुदवाइये। आप कहते हैं कि जोहड़ों का पानी, तालाबों का पानी साइन्टिफिक नहीं है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, आपकी इस स्वास्थ्य की दृष्टि में उन लोगों के जोहड़ उड़ जाते हैं। वे पानी की मांग करते हैं आप उनके लिये जोहड़, तालाब खुदवा कर पानी की व्यवस्था कीजिये, आप फिक्र मत करिये, वहां का रेता फिल्टर का काम करता है, उस पानी से उनके स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं आयेगी पर आपने तो मुमानियत कर दी कि जोहड़े और तालाब खुदवाना फेमीन कोड अलाउ नहीं करता। फेमीन कोड क्या ब्रह्माजी से बड़ा आ गया है, लोगों के फायदे के कामों में यदि कोई भी कोड बाधक बन कर आता है तो उसको हटा दीजिये और जनता की जरूरतों की, हित की चीजें देख कर कार्य कीजिये। पर आज आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपके इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यदि आपने इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया तो अकाल पड़ते जायेंगे, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा और मोहनलालजी सुखाड़िया राजस्थान का उसके जरिये शोषण करते जायेंगे। आज भाग कर जाते हैं कलकत्ता, कहीं से घास आता है, अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिये कहीं से अनाज आता है, कहीं से कपड़ा आता है। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये जो लोग मुफ्त में घास देते हैं, उसका उन अकाल पीड़ित लोगों से पैसा लिया जा रहा है, यह नजरिया है राजस्थान की सरकार का, यही नजरिया रहा तो जनता का सहयोग कैसे मिल सकेगा ?

इन अकाल राहत कार्यों में आप प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कीजिये, आपने पी० डब्लू० डी० को काम कराने का और चुकारे का काम दे रखा है। चोर को आपने चौकीदारी सौंप दी है। वह चोरी और चौकीदारी दोनों ही मजे के साथ कर रहा है। किसी दूसरी एजेंसी की मार्फत आप पेमेंट की व्यवस्था करवाइये नहीं तो आप इस व्यवस्था में फेल होंगे और भ्रष्टाचर नहीं रुक सकता। आज की हालत में कड़ाई के

(श्री दौलतराम सारण)

साथ दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिये जिससे सडन चैकिंग से इसमें सुधार किया जा सके । पर मुझे खेद है कि इस प्रकार की आज कोई व्यवस्था नहीं ।

क्या मैं अपेक्षा करूं कि आप किसी ऐसी व्यवस्था पर गौर करेंगे ? मैं कह रहा था कि आपने अकाल में जितनी व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं में फैली हुई कुछ कमियां मैंने बताई हैं । यह लम्बा चौड़ा मामला है, रोजाना अकाल पड़ते हैं, अकाल की भयंकरता बढ़ती जा रही है, यह क्यों ? इसके लिए एक बहुत अच्छा नीति वाक्य है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयाः वमानिताः । ततस्त्रीणि प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं, मरणं, भयम् । जहां अपूजनीय लोगों की पूजा होती है, जहां पूज्य लोगों की उपेक्षा होती है, वहां तीन चीजें आती है—दुर्भिक्ष, मौत और भय आज यही स्थिति राजस्थान में है । ऐसे लोग जो समाज में दुर्गुणों से भरे हुए हैं, जो समाज में अनैतिक पैसे के बल पर सत्ता पर हावी हैं, अनैतिक आचरण वाले लोगों के हाथ में शासन की सत्ता होने की वजह से आज प्रकृति की तरफ से प्रकोप हैं । आज इसलिए राजस्थान में भयंकर अकाल है । मैं राजस्थान की जनता को इस सदन के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर ये अपूजनीय लोग इसी प्रकार पूज्य रहे और हावी रहे तो अकाल से पिंड छुड़ाना मुश्किल है । अकाल, बाढ़, महामारी और इस तरह के भय और संकट दिनों दिन मंडराते रहेंगे । इसका इलाज यह है कि अपूज्य लोगों की पूजा से विमुख होकर अच्छी स्थिति राजस्थान में बनाने का प्रयास किया जाय, तब जा कर राजस्थान ठीक होगा नहीं तो इनके पापों के कारण, दुष-चरित्रता के और इनके अनैतिक और अमानवीय और अप्रजातांत्रिक कार्यों से राजस्थान बरबाद हो रहा है, शोषित हो रहा है राजस्थान संकट, भय और चिंता से ग्रस्त हो रहा है । इसलिए यदि विधायक चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, नैतिकता कायम हो, मानवीय भावना पैदा हो, इन्सानियत पनपे तो उनको उच्च स्तर पर जा कर सोचना चाहिए और जो आज पक्षपात, राजनैतिक दल बंदी की भावना, भ्रष्टाचार बेईमानी इस तरह की जो चीजें हैं, उनको मिटाने के लिए कटिबद्ध हों ।

वृद्धिचन्द जी बाड़मेर से कहते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु होती है तो उधर से आंख दिखाते हैं, चुप हो जाते हैं । नाहटाजी स्टेटमेंट देते हैं कि इतने मर गए तो दिल्ली वाले आंख दिखाते हैं चुप हो जाते हैं । अगर कोई भूख से मर गया हो या भूख से मरने की स्थिति पैदा हो जाय तो डंके की चोट कहें, विधान सभा में कहें, जनता के सामने कहें कि इतने मर गए हैं । आप इन्क्वायरी करें हमारा चैलेंज है, जितनी बातें हमने कही हैं वह मैंने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कही हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार यह कहती है कि ये सब बात सही नहीं हैं, तथ्यहीन हैं, तो आप किसी कमीशन को नियुक्त करें, आप समिति नियुक्त करें या सदन की कमेटी बनायें चाहे हाई कोर्ट जज नियुक्त करें । हम इन सब बातों को साबित करेंगे और वेरी कमीशन की तरह यह कमीशन भी आपके काले कारनामों को

(श्री दौलतराम सारण)

प्रकट करेगा। इसलिए निंदनीय हरकतें करने में हम सरकार को असमर्थित करें। भयंकर स्थिति होते हुए भी अकाल की घोषणा न करना, जरूरतमंदों को जरूरत के अनुसार काम और अनाज और मजदूरी नहीं देने के कारण और पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीके बरतने के कारण मैं शासन और सरकार की निंदा करता हूं और इस प्रस्ताव का इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं निंदा प्रस्ताव पर निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

(1) पैरा संख्या 1 में शब्द 'विफल' के स्थान पर शब्द 'सफल' प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) पैरा संख्या 1 में 'शब्द के बजाय दलगत स्वार्थ' विलोपित किये जावें।

(3) पैरा संख्या 2 विलोपित किया जाय।

(4) पैरा संख्या 3 में शब्द 'न' विलोपित किया जावे और शब्द 'निंदा' के स्थान पर शब्द 'प्रशंसा' प्रतिस्थापित किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय जब लोहा गरम हो हथोड़ा ठंडा होना चाहिए। माननीय सदस्य जब आप इतने गर्म होते हैं और आकाश में टकराने वाली तेज बाते कहते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि आप समस्या की गम्भीरता को समझ पाये हैं या नहीं, यह एक प्रश्न है। हम मानते हैं कि भयंकर अकाल है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अकाल के लिए भी इसके अन्दर पूरी तरह से वादविवाद किया जा सकता था लेकिन तीन दिन और आपने ले लिये उन अकाल पीड़ितों के लिए तीन दिन का काम और बढ़ा दिया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आप क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं। एक ओर कह रहे हैं कि घिसी पीटी बातें कहने से काम नहीं होगा ......

श्री विजयसिंह : आपके मक्खन लगाने से आप मंत्री नहीं बनेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : साढ़े सात लाख मजदूर काम करते हैं। 96 लघु सिंचाई योजनायें काम करती हैं। मजदूरों से जाकर पूछें, अकाल के समय जो काम हो रहा है, जो राहत मिल रही है उस समय राजा और रानियों का जो राजस्थान रहा है, वहां जब अकाल पड़ता था तो लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाते थे। लेकिन समय आगया है कि जब 7-8 लाख मजदूर अपने घरों के पास ही काम करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं और प्रकृति के प्रकोप का मुकाबला करते हैं और ताज्जुब की बात है कि राजस्थान का एक भी भिखारी जयपुर और जोधपुर में अकाल से पीड़ित हुआ नजर नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : गुजरात और मध्यप्रदेश को कितने गए ?

श्री मूलचन्द डागा : एक तरफ केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ राजस्थान में 7 लाख मजदूर अपने घरों के पास, गांवों के पास लघु सिंचाई

Page No 97

(श्री मूलचन्द डागा)

योजनाओं में, कुओं में, खेती में, खलियानों में काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप ऐसी बातें करके उनका मनोबल कैसे ऊंचा करेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : खलियानों में काम हो रहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : हंसो मत, यह गम्भीर बात है। आज सॉइल कन्जर्वेशन का काम होता है। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ा होगा जिसमें लिखा है कि कम से कम 96 लघु सिंचाई योजनाओं पर अकाल के समय काम हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : कहां हो रहा है, पाली में ?

श्री मूलचन्द डागा : हां पाली में हो रहा है, योजनाओं पर हजारों मजदूर काम करते हैं।

श्री बिट्ठल भाई : आप 7 लाख मजदूरों की बात करते हैं ? लेकिन कितने प्रभाव ग्रस्त लोग हैं ? एक करोड़ 36 लाख। तो 1 करोड़ और कुछ लोगों का क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हंसराज आर्य : उनको आप अपनी बात कहने दें, सहनशक्ति से काम लें। हम आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री नत्थीसिंह : ज्यादा मक्खन लगाने से यह हो जाता है।

श्री मूलचंद डागा : मैं जो बात कह रहा हूं वह अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जो तथ्य हैं वह मेरे सामने हैं। जिन्होंने निन्दा प्रस्ताव रखा और जिन्होंने उसका समर्थन किया उन्होंने कोई ऐसे आंकड़े या स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं रखे कि जिससे यह मालूम हो सके कि किस प्रकार की घटना घटी है। केवल वेग एलीगेशन्स लगा देना, दोषारोपण कर देना यह उचित नहीं है। यह बड़े अफसोस की भी बात है। वे मंत्रियों पर हमले, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार की निन्दा ही इस प्रकार से इसके द्वारा करना चाहते थे। उनको इस बात की चिन्ता नहीं थी कि अकाल राहत कार्य कहां होने चाहिये और कहां काम कराये जाने चाहिये। उनको केवल चिन्ता यह थी कि कांग्रेस को हटाओ। जब अविश्वास का प्रस्ताव या निन्दा प्रस्ताव लाया जाता है आपके द्वारा तो केवल आपको एक ही चिन्ता है कि किस प्रकार से इनको कुर्सियों पर से हटाया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मूलचंद डागा : लेकिन जनता ने इस पार्टी में विश्वास किया है और इसका ताजा ही उदाहरण जालौर के चुनाव हैं जहां जनता ने यह दिखा दिया कि उसका बहुमत किसके साथ है और किसमें उसका विश्वास है।

श्री नत्थीसिंह : वह अकाल की सबसे बड़ी देन थी।

श्री आईदान सिंह : उसको आप ढका ही रहने दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत अकाल की बात कर रहे हैं ? चुनाव की बात न करके अकाल की ही बात करो।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुख्य प्रस्तावक महोदय का यह था।

श्री रामकिशन : अकालीरामजी क्या कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में प्रकृति का जब प्रकोप होता है। एक जमाना था जब राजाओं ने अपने राज्यों के समय सारे राज्य के तालाब और बांधों को अपनी झोंपड़ी में बना रखा था, लेकिन जब राजस्थान बना और कानून आया तो उसके बाद राजस्थान और रेगिस्तान की धरती पर नहरें बनीं और बांध बने। लेकिन आप चाहते हैं कि एक दिन में या कुछ ही सालों में यह सब हो जाय और राजस्थान का रेगिस्तान समाप्त हो जाय। यह निश्चित है कि उसकी कुछ अंशों में तो कमी हो ही जानी चाहिये। लेकिन जिन जगहों पर काम हुए हैं और हो रहे हैं, जिन योजनाओं के द्वारा राजस्थान का विकास हुआ है, जवाई का बांध न होता, हेमावास का बांध न होता तो क्या जोधपुर को पानी मिलता, सुमेरपुर को पानी मिलता ? उन बांधों के कारण ही आज अकाल के समय में हजारों गांवों को पानी दिया जा रहा है। राजस्थान की सरकार जिस मजबूती के साथ काम कर रही है और गांवों में पानी पहुंचाने, ट्रकों और रेलों से पानी पहुंचाने का जो कार्य कर रही है, वह प्रशंसनीय है। उस समय हम उसकी तारीफ करते हैं। हम तारीफ नहीं कराना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि मानवता का जो प्रश्न है, इन्सानियत का जो प्रश्न है उसको राजनीति से अलग रखा जाय। इसको मानवता के साथ सोचा जाय। ऐसे मुसीबत के समय जबकि राजस्थान की 1 करोड़ 30 हजार की जनता अकाल से पीड़ित है तो सारे लोग सोच रहे हैं। क्या सरकार और क्या केन्द्रीय सरकार, सब ही सोच रहे हैं, और विधान सभा में आप बहस कर रहे हैं। अकाल राहत के प्रति आपकी सहानुभूति है तो जिस प्रकार के शब्द आप निकाल रहे हैं आपको उसके लिए सोचना चाहिये। एक तरफ तो आप गम्भीरता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप राजनीति की बात करते हैं। एक तरफ तुलसीदास जी के दोहे पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप संस्कृत की कवितायें पढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने काम किये हैं। आपने बहुत ही कृपा की, हमें मालूम है। चाहे किसी राज्य ने कितना ही दान दिया हो हम जानते हैं कि क्या काम हुए हैं। लेकिन गिनाते नहीं हैं। जो आदमी अच्छे काम करके गिनाता है ... ...

श्री नत्थीसिंह : क्या इसलिए राज्यपाल महोदय का भाषण नहीं पढ़ा जाना चाहिये ?

श्री मूलचन्द डागा : जिन्होंने जो दिया उसके लिए आप चाहते हैं कि प्रशंसा करें। जो घास आपने भेजा उसकी जैसलमेर में पहुंचने पर क्या कीमत होती ?

श्री रामकिशन : हमारा ऑफर था कि मजदूर भी भेज देते।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हमने भेजा बारह आने मन में और आपने बेचा आठ रुपये क्विन्टल में।

श्री मूलचंद डागा : ट्रकों के द्वारा भेजा उसका किराया कितना हुआ ? सात रुपये का घाटा खाकर सरकार दे रही है।

श्री दौलतराम सारण : यह जवाब तो आप मंत्रीजी पर ही छोड़ दें। आप तो अपने दिल की बात कहें।

श्री हीराभाई : राजस्थान में अकाल के समय में मुख्य मंत्रीजी उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव दौरा कर रहे थे। राजस्थान की जनता किस प्रकार इसको वर्दाश्त कर रही है यह बड़े गजब की बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप सुनिये तो सही।

श्री हंसराज आर्य : ऐसी बात रही तो हम भी एक को भी उधर से नहीं बोलने देंगे।

श्री मुकुंद बिहारी लाल गोयल : ये तीन दफा चुनौती दे चुके हैं। हम स्वीकार करते हैं।

श्री प्रेमचंद सिंघवी : विरोधी दल का आप इन धमकियों से कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : राज्य सरकार ने एक उपसमिति का निर्माण किया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

बैठक का समय समाप्त हो रहा है। सदन की अनुमति से बैठक का समय दस मिनिट और बढ़ाया जाता है। कृपया इस सीमा में ही अपनी बात कह दें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय अकाल के लिये, राजस्थान में आने वाले भविष्य के लिये, अकाल को हटाने के लिये राजस्थान सरकार ने सिंचाई योजना, नल कूप की व्यवस्था की है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास का कार्य नहीं हो पाया है फिर भी गांव का विकास बराबर हो रहा है। यहां यह बात कह देना कि सड़कें क्यों बनाई जाती हैं उचित नहीं है। कुछ काम एसे हैं जिनको करना पड़ता है। कुछ ग्राम ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं हैं। जहां जहां साधन नहीं हैं, उन गांवों के लोगों के लिये 20 मील की दूरी पर किसी जगह पर राजस्थान सरकार ने कुछ काम खोले हैं। राजस्थान में कुछ ग्राम ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों का काम करना जरूरी है। राजस्थान के लिए यह गौरव की बात है कि राजस्थान का व्यक्ति भीख नहीं मांग कर मजदूरी करे ? मजदूरी करके अपना भरण पोषण करे। राजस्थान सरकार को इसके लिये कई जगहों पर सड़क निर्माण का काम करना पड़ा, जो पहले नहीं होता था। सड़क–निर्माण के पहले सिंचाई योजना को प्राथमिकता दी गई है, इसके पहले लघु सिंचाई को, इसके बाद कुओं को और खेती को सुधारने का काम भी किया है। ये सब काम आपके सामने मौजूद हैं। यह बात नहीं होती तो लघु सिंचाई योजना का काम राजस्थान के कोने कोने में नहीं होता। इस बात को कहना कि अकाल से निपटने के सरकार उपाय नहीं सोचती है, यह गलत तरीका है। आप यहां कहते हैं उन बेचारों का स्वाभिमान नष्ट कर दिया। वे सर्दी से मरते और उनको रजाईयां दे दी तो उनका स्वाभिमान कैसे नष्ट हो गया ? क्या भाषण है आपका ?

श्री उपाध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य द्वारा व्यवधान डालने पर) : आर्डर प्लीज ;

श्री मूलचन्द डागा : जिनके पास पूरे वस्त्र नहीं हैं, अगर सरकार ने उनको रजाई देने की व्यवस्था कर दी और उनको मौत से बचाया तो विरोधी कहते हैं कि उनका स्वाभिमान नष्ट हो गया, स्वाभिमान नष्ट कर दिया ।

श्री दौलतराम सारण : यह गलत बात है। आप इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं ।

श्री मूलचंद डागा : मैंने सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इन इलाकों का दौरा किया है । मैंने अपनी आंखों से वहां देखा है ।

श्री भवरणलाल (हिन्डौन सु०) : भत्ता कितना मिला है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन को सम्बोधित करके ही अपना भाषण दें ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि रजाईयां देने का जो प्रश्न था, उससे स्वाभिमान नष्ट होने की बात कह रहा था कि राजस्थान के लोगों ने अपनी भूख को मिटाने के लिये सड़कों पर मजदूरी का काम किया । राजस्थान के आठ लाख लोग मजदूरी करने जाते हैं । इसका निराकरण राजस्थान सरकार ने किया है । दूसरी बात यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार का ध्यान स्थायी काम करने की ओर नहीं है जिससे आने वाले जीवन में अकाल की भीषणता कम हो । इसके लिये राजस्थान सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसकी सराहना हम करना चाहते हैं । सिर्फ निन्दा का प्रस्ताव ही नहीं रखें । इसके लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाय यह आप बताते । यहां तो केवल निंदा करने के लिये ही निन्दा की जाती है । उनका काम है गालियां देने का । गालियां सुनने का हमारा कर्तव्य है । काम करने वाले लोगों को गालियां ही मिलेंगी । लेकिन आप काम बतावें कि सरकार राहत का कौनसा ऐसा काम शुरू करे । कौनसा काम घर पर ऐसा कराना है ? श्री रामकिशन जी ने यहां...

श्री उपाध्यक्ष : नाम से नहीं कहें ।

श्री मूलचंद डागा : वे हमको बताते कि हमने कौनसा ऐसा काम किया है । उनके पास कुछ नहीं है । वे गांवों के अन्दर नहीं गये । काम पर नहीं गये हैं । राजस्थान कैसा प्रदेश था, यह आप हम सब जानते हैं । 20 सालों में राजस्थान जिस तरह से आगे बढ़ा है तो हमारी योजनाओं के कारण । जो प्रगति आप चाहते थे, वह प्रगति उतनी नहीं हुई फिर भी यह नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार इस ओर नहीं बढ़ रही है । नल कूप के बारे में, ट्यूब वैल्स के बारे में यहां कहा है । जैसलमेर में, जालौर में मैंने अपनी आंखों से इन ट्यूबवेल्स को देखा है ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, काम करते हुए नहीं देखा होगा ।

श्री मूलचंद डागा : मैंने काम करते हुए देखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : जालौर का प्रश्न नहीं है ।

श्री मूलचंद डागा : आप लघु सिंचाई योजना के बारे में सुझाव देते तो अच्छा होता । जो इनमें महिलाएं हैं, वे 40 हजार की संख्या में हैं। उनको सहायता दे रहे हैं। 15 रुपये माहवार, 20 रुपये माहवार उनको दिये जाते हैं। बच्चों को दूध दिया जाता है। इस प्रकार की बात कहने में हमको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। मैं पूछता हूं आपने कितनी दरख्वास्तें पेश कीं ? आप किस गांव में गये ? किसी वृद्ध, अपाहिज का नाम आपने लिखाया हो और उसको सहायता नहीं मिली हो, आप एक भी उदाहरण दें। यहां पर आपकी बात कहने का जो तरीका है, वह बुरा है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने जितनी बातें कही हैं, वे सब लिखित में दी हैं। सत्य हैं। आपकी बातें गैरजिम्मेदाराना हैं।

श्री मूलचंद डागा : मुझे वे बतावें। कौनसी दरख्वास्तें पेश कीं। वृद्धों की, अपाहिजों की और जिनको सहायता नहीं मिली वह बताने का कष्ट करें। आपने दरख्वास्तें ही पेश नहीं की हैं। आप डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी में नहीं जावें, कमेटी जो बनी है, उसमें नहीं बैठें, घर पर ही बैठे रहें और यहां आकर निंदा करें। फेमीन की जो कमेटी बनती है, उसमें आप भाग नहीं लेते हैं। हर जिले में रिलीफ कमेटी है। एस. डी. ओ. कमेटी को बुलाता है आप उसमें जावें नहीं और कमेटियों को आप कहें कि वे निर्जीव हैं, यह कैसे हो सकता है। आप गांव और घर में ही बैठे रहें और बैठे बैठे ही अनर्गल बातें करें, यह हमने सुना है और आपने सीखा है।

श्री दौलतराम सारण : यह अनर्गल बेसिर पैर की बातें आप न कहें। मैं गांवों में गया हूं। टैम्पों से सब जगह गया हूं। एक दो बातों की शिकायत भी की है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : जो टैम्पो में गये हैं, वे मेहरबानी करके बतावें कि उन्होंने कितनी शिकायत कलक्टर के पास कीं, एस. डी. ओ. के पास कीं, तहसीलदार को कीं, एक्स. ई. एन. को कीं और इसके बीच में उन पर कार्यवाही नहीं की है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे। इस प्रकार की बात यहां कहने में कोई तथ्य नहीं है। वे कहते हैं, सारण साहब, कहते हैं कि मदेरणा साहब आपके प्रयत्नों के बारे में हम कुछ नहीं कहते आपके प्रयत्न सही हैं। आपके आदेश सही हैं, जब आदेश सही हैं, प्रयत्न सही हैं और आप खुद यहां कहते हैं कि गावों में आपने क्या कदम उठाये आपने कौनसी सतर्कता का परिचय दिया कि इस गांव में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि आप यह प्रति सदन की मेज पर रखें ताकि मैं भी उसे पढ़ लूं।

तो श्रीमान जहां लाखों आदमी काम करते हों, वहां पर कुछ शिकायतें हो सकती हैं। .....

श्री दौलतराम सारण : मैंने परसरामजी को निवेदन किया है, उनके खुद के गांव में।

श्री मूलचंद डागा: आप दलगत भावना को भूल जाइये। परसरामजी अपने खुद के गांव को नहीं देखते। उनमें यह भावना है ही नहीं। इससे ज्यादा कांग्रेस की क्या जांच हो सकती है कि एक कांग्रेस का मंत्री अपने गांव की परवाह न करके राजस्थान के दूसरे गांव

(श्री मूलचन्द डागा)

की परवाह करता है। आप यह कह सकते हैं, जालौर जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ·········

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री मूलचंद डागा: एक मिनट का सवाल नहीं है। निंदा करने वालों को समय मिलना चाहिये। निंदा करने वालो के लिए समय है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो·······

श्री उपाध्यक्ष: निन्दक नियरे राखिये,यह बात तो है।

श्री माननीय सदस्य: यह चापलूसी है।

श्री मूलचंद डागा : यह चापलूसी की बात नहीं हैं।

राम किशन जी ने कहा कि 18 लाख रुपये ही दान में मिले हैं महरबानी करके आंकड़े तो सही बतलाइये। राजस्थान में हो रहे अकाल के काम को देखकर जगह जगह के कैम्पों को देखकर राजस्थान सरकार के काम को देखकर 25 लाख रुपया तो केवल एक जालौर के सेठ ने दिये हैं। कालेज के विद्यार्थियों ने लाखों रुपया चन्दा करके दिये हैं। सरकार ने जगह जगह राहत कार्य किये हैं। यही सरकार थी जिसने इस भयंकर अकाल में इतनी मुस्तैदी से काम किया। जिन्होंने परिवारों की परवाह नहीं की, अकाल निवारण के लिये जगह जगह गये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय पांच मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : आज यही सरकार थी जो इस भयंकर अकाल में भी स्थिर रही जिन्होंने अकाल राहत पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। मवेशियों के लिये जगह जगह पर घास के डिपो खुलवाये जहां पर काफी मात्रा में घास उपलब्ध हो रही है।

श्री दौलतराम सारण : व्यवस्था के साथ साथ आपने सब लोगों को महुआ भेज दिया।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। लोगो के मरने की बात वे कहते हैं लेकिन उनके चेहरे देखिये जिनसे कभी यह नहीं झलकता कि वे मरने वालों की बात कहेंगे। हजारों की तादाद में मवेशियों को बाहर भेजा गया अच्छे अच्छे कैम्प लगाये गये उन कैम्पों को हमने देखा है जहां गायों को चारा दिया जाता है, दाना दिया जाता है फालतू केटल्स के लिये रक्षा की व्यवस्था कर रखी है। गवर्नमेन्ट ने यह भी एलान किया कि हम पचास प्रतिशत मदद देंगे पाली जिले में सुमेरपुर और अन्य क्षेत्रों में हमने देखा है हजारों की संख्या में पशु पल रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि लोग चिकित्सा के अभाव में मर गये। कम से कम जिस अकाल राहत कार्य की दुनियां प्रशंसा कर रही है राजस्थान के ही लोग उसकी निन्दा कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास: नमक हराम हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह निन्दा प्रस्ताव बेकार का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.15 बजे बुधवार दिनांक 26-2-69 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट--1

(ता. प्र. संख्या 1 की सूची)

फौजमल सरपंच, पंचायत, ककोड़ के विरुद्ध आरोप पत्र

1. श्री फौजमल, सरपंच पंचायत, ककोड़, ने दि० 15-4-66 को तहसील, उनियारा से 600) रु० प्राप्त किये परन्तु पंचायत की कैश बुक में दिनांक 4-5-66 को जमा किया इस प्रकार 19 दिन तक सरपंच की रकम अपने पास रोक कर दुरुपयोग किया है।

2. श्री फौजमल सरपंच ने कूप-कल्याण के निमित्त प्राप्त राशि 300) रु० के व्यय में निम्न त्रुटियां बरती हैं:—

(1) इस हिसाब को समस्त पंचों की मीटिंग में न बतलाया गया और न पंचायत की पूर्व स्वीकृति ही प्राप्त की।

3. श्री फौजमल सरपंच ने बालाजी के कुए पर किये गये कार्य में निम्न त्रुटियां बरती हैं—

(1) हिसाब में 27 व्यक्तियों के भुगतान में से एक भी भुगतान सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं है।

(2) रसीद नं० 97 से 25 व्यक्तियों द्वारा कुए पर काम करना पाया जाता है। 12) रु० प्रत्येक के हिसाब से श्रमदान करवाया है क्योंकि 300)रु० श्रमदान के पेटे रोकड़ में जमा किये हैं परन्तु श्रमदान का अलग से रजिस्टर नहीं खोला और न व्यक्तिगत 25 ही व्यक्तियों की रसीद ही जारी की बल्कि रसीद 300) रु० की इकठ्ठी काटी गई परन्तु उपरोक्त 25 व्यक्तियों में से किसको राशि दी गई कोई स्वीकार नहीं करता है।

(3) अकाल कार्यों की दर 1.50 पै० प्रति व्यक्ति है जबकि सरपंच ने अदायगी इस दर से की है।

(4) श्री छोगा एक वर्ष से कोटा रहता है परन्तु केश बुक में पृष्ट संख्या 34 वाउचर सं० 93(3) द्वारा भुगतान करना बताया गया है।

(5) हिसाब रजिस्टर में नम्बर 4-7-15 पर स्पष्ट ओवरराईटिंग कर रखी है।

(6) मस्टर रॉल के कालम नम्बर 14 पर श्री पृथ्वीसिंह को 2.50 पै० का भुगतान बताया गया है लेकिन श्री पृथ्वीसिंह राजकीय कर्मचारी, वन विभाग का है। इस प्रकार सरपंच ने फर्जी चुकारा बताया है।

(7) सरपंच ने अपने सगे भाई रणजीत को भी 6 दिन के 15) रु० का भुगतान के रूप में चुकारा किया जबकि रणजीत दुकानदारी का कार्य करता है।

(8) मस्टररोल में मजदूरों की सूची में 11 नम्बर पर समुन्द्रसिंह पुत्र जुवारसिंह दि० 1-7-66 से 8-7-66 तक 8 दिन कार्य करने का भुगतान किया समुन्द्रसिंह एक कान्सटेबिल है और उसने मस्टररॉल पर अपने हस्ताक्षर नहीं न रकम ही लेना स्वीकार किया है।

इस प्रकार सरपंच ने 600) रु० का फर्जी हिसाब बनाया है।

4. श्री फौजमल सरपंच ने गलत तथ्य बतलाते हुए दो सांडों हेतु तहसील अलीगढ़ से दिनांक 16-8-66 को फेमीन मद से 120) रु० प्राप्त किये जिसका इन्द्राज नायब तहसीलदार की जाँच दिनांक 1-7-67 तक केश बुक में नहीं किया। और दोनों सांडों का 120) रु० के खर्च का हिसाब कतई फरर्जी बनाकर पेश किया जबकि पंचायत में एक ही सांड था इसमें से एक सांड का 60) रु० दिनांक 23-8-67 को शिकायत होने के बाद तहसील में जमा करवाया है। इस प्रकार 1 वर्ष 7 दिन तक उक्त 60) रु० की राशि का दुरुपयोग किया है।

5. श्री फौजमल, सरपंच ने सन् 1965-66 में प्राप्त खाद बीज कीमती 3071.98 पै० का हिसाब नहीं रखा और न अब तक काश्तकारों से शेष राशि 1428.11 पै० की वसूली ही की गई है।

6. श्री फौजमल सरपंच द्वारा रेडियो सार्वजनिक स्थान पर न बजाया जाकर अपने मकान पर बजाया जाता है जिस पर माईक आदि भी नहीं खरीदे गये हैं।

7. श्री फौजमल सरपंच ने दिनांक 1-3-66 से अब तक अपने पास 100) रु० से अधिक की राशि रख कर दुरुपयोग किया है।

8. श्री फौजमल सरपंच ने एक पेड़ इमली बिना नीलाम किये ही 19) रु० में बेच कर अवैधानिकता बरती है।

9. श्री फौजमल सरपंच ने पंचायत के काईन हाउस पर नियुक्त चपरासी पर नियन्त्रण नहीं रखा जिसके कारण चपरासी ने अनियमितताएँ बरतीं।

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. संख्या 7 की सूची)

ANNEXURE II

Agreement Between Rajasthan and Gujarat for the Exploitation of Mahi River (March, 1966)

KADANA DAM

1. Kadana Dam should be built to FRL 419.00. The entire cost and benefits of this Project will be borne by Gujarat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the dam for such use. The exact proportions will be fixed at the time when such releases become available.

BANSWARA DAM

2. Banswara Dam across Mahi, located in Rajasthan, will be built to FRL 921.00. Out of the total cost of the Dam, portion will be allocated for power which Rajasthan will develop from the waters of this reservoir. This will be at the rate of Rs. 1,250/-per KW firm power. If the total cost of the dam increases beyond Rs. 14 crores, the allocated cost per KW taken above will also be increased proportionately.

3. The cost of the dam for FRL 915.00 should be shared between Gujarat and Rajasthan in the ratio of 40:9 as the utilisation of the waters for irrigation inclusive of evaporation losses are 40 TMC in Gujarat and 9 TMC in Rajasthan.

4. Building the dam upto FRL 921.00 will give an additional storage of 7 TMC which will be useful in lean years for ensuring firming of power generation. In view of this, Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building Dam between FRL 921.00 and FRL 915.00.

5. At a later date when Narmada development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and the Mahi waters at Banswara are released for use in Rajasthan, Rajasthan should reimburse the cost of the Banswara Project paid by Gujarat.

Sd/-Nathu Ram Mirdha,
Minister for Agriculture,
Food and Agriculture,
Rajasthan, Jaipur.

Sd/-Vijaykumar Trivedi,
Minister for Public
Works Ports and Civil
Supplies.

——

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. संख्या की सूची)

दिनांक 27-9-68 को ज्वार, बाजरा व मक्का के भाव

क्र.सं.	नाम मंडी	ज्वार	बाजरा	मक्का
		रु० पैसे०	रु० पैसे०	रु० पैसे०
1.	अजमेर	84-28	87-20	76-23
2.	बान्दी कुई	—	83-00	—
3.	ब्यावर	84-00	88-00	78-00
4.	जयपुर	82-00	90-55	70-00
5.	केकड़ी	77-25	—	71-05
6.	टोंक	76-00	80-25 (28-9-68)	67-50
7.	बीकानेर	—	96-00	
8.	जोधपुर	94-50 (20-9-68)	93-00	—
9.	मेड़ता सिटी	75-00	84-00	—
10.	पाली	—	90-00	—
11.	रानी	75-00	—	—
12.	बारां	67-00	—	—
13.	भवानी मंडी	71-21	—	—
14.	बून्दी	75-80	—	79-00
15.	कोटा	सफेद 74-00 पीली 71-00	—	70-00
16.	रामगंज मंडी	73-50	—	—
17.	भीलवाड़ा	—	—	लाल 67-00 सफेद 66-00
18.	उदयपुर	—	—	सफेद 73-00
19.	निम्बाहेड़ा	78-55	—	सफेद 82-65 पीली 78-00
20.	श्री माधोपुर	—	85-00	—

दिनांक 23-9-68 को ज्वार, बाजरा व मक्का के भाव

क्र.सं.	नाम मंडी	ज्वार	बाजरा	मक्का
		रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे
1.	अजमेर	67-22 (24-9-68)	89-09	72-22
2.	ब्यावर	83-00	88-00	77-00
3.	जयपुर	72-00	84-00	70-00 (24-9-68)
4.	केकड़ी	73-95	—	71-55
5.	मदनगंज	—	80-25 (21-9-68)	74-00
6.	टोंक	79-00 (21-9-68)	76-10	70-00
7.	बीकानेर	—	90-00	—
8.	जोधपुर	94-50 (20-9-68)	96-00	—
9.	रानी	75-00	—	—
10.	भवानी मंडी	72-00	—	—
11.	बून्दी	74-00 (24-9-68)	—	76-75
12.	कोटा	सफेद 79-00 पीली 77-60	—	—
13.	उदयपुर	—	—	सफेद 77-00 पीली 71-00
14.	श्री माधोपुर	—	89-00	—

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जिलास्तरीय समिति सवाईमाधोपुर के समक्ष विचाराधीन मामले

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर):—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान वन उपज नियमन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिलास्तर पर किसी समिति का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो इस जिलास्तरीय समिति के कौन कौन सदस्य हैं?

(2) क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति, सवाईमाधोपुर के समक्ष कुछ वन खण्डों की भूमि कृषि हेतु दिए जाने के मामले पेंडिंग हैं? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सवाईमाधोपुर जिले की इस समिति ने जुलाई सन् 67 से जुलाई सन् 68 की अवधि में कोई वन खण्ड कृषि हेतु रिलीज करने के निर्णय लिए हैं अथवा राज्य सरकार को सिफारिश की है? यदि हां, तो किस किस वन खण्ड की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

3. प्रश्न नहीं उठता।

हरीगढ़ में बांध की योजना

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम हरीगढ़, तहसील रामगंज मन्डी में बांध की योजना कब से विचाराधीन है और उसमें क्या प्रगति हुई है?

(2) क्या हरीगढ़ बांध की स्कीम का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो कब? इस बांध के बनने पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है और कितना रकबा सिंचित होने की योजना है? कृपया यह भी बतावें कि बांध से निकलने वाली नहरें कितनी लम्बी, कौन कौन से गांव तक पहुंचेंगी?

(3) बांध का काम कब से शुरू कर देने की उम्मीद है और कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सन् 1965 से विचाराधीन हैं एवं बांध की सर्वे पूर्ण हो चुकी है एवं योजना का तखमीना तैयार किया जा रहा है।

(2) जी हां, बांध की सर्वे सन् 1967 में पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कमाण्ड का सर्वेक्षण अभी बाकी है। बांध के बनने पर कुल

(सिचाई मन्त्री)

60,00,000 रुपये का खर्चा होने का अनुमान है और 4000 एकड़ भूमि में सिचाई हो सकेगी। नहरों के विस्तृत सर्वेक्षण नहीं होने के कारण अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नहरें कितनी लम्बी होंगी और किन गांवों तक पहुंचेंगी ?

(3) मध्यम श्रेणी पे योजना होने के कारण इस योजना को केन्द्रीय जल विद्युत आयोग व योजना आयोग के पास उनकी तक्नीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजना होगा। अभी प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान नहीं रखा गया है।

जैसलमेर में बिजली की व्यवस्था

श्री बाल सिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 500 कि. वा. के सैट के आदेश जैसलमेर के लिये हो गये थे और इसकी जगह 300 कि. वा. का सैट भेजा गया ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर की जल योजना भी इसी बिजली पर आधारित है और उसके लिये बिजली अपर्याप्त है ? अगर हां, तो भविष्य में सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी है। विद्युत स्थिति में सुधार करने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने 300 कि. वा. का एक सैट जैसलमेर भेजा है।

(2) जी हां, वर्तमान समय में वाटर वर्क्स को स्टेगरिंग करके विद्युत दी जा रही है। वहां पर एक 300 कि. वा. का इंजिन और रखाया जा रहा है।

बीजों पर बिक्री कर

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या यह सही है कि राजस्थान में उन्नत किस्म के बीजों को कृषि या अन्य एजेन्सियों द्वारा दिये जाने पर भी किसानों से बिक्रीकर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह नीति खाद्योत्पादन की वृद्धि की निति के प्रतिकूल नहीं है ?

उत्तर

बीजों की बिक्री पर कर देय है। कर पंजीकृत बेचने वाले से लिया जाता है। यदि किसान अपने पैदा किये बीज स्वयं बेचता है तो उस किसान पर कर नहीं है। इसका खाद्योत्पादन की वृद्धि की नीति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं है।

मनोहरथाना पंचायत समिति में अध्यापकों के स्थानान्तरण

13. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना पंचायत समिति में अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 1968 में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(2) उक्त अध्यापक स्थानान्तरणों का आधार क्या था ?

(3) उक्त स्थानान्तरणों में कितनी राशि टी.ए, डी.ए. के रूप में भुगतान की गई अथवा की जाएगी और उक्त धनराशि किस फंड से दिलाई जायेगी ?

(4) क्या उक्त स्थानान्तरणों में कुछ स्थानान्तरण ऐसे भी हैं जो 2 वर्ष पूर्व ही कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इस समिति में कितनी अध्यापिकाएं सेवारत हैं और इनमें से किन किन का स्थानान्तरण किया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि श्रीमती धापूबाई अध्यापिका को 2 माह में 4 स्थानों पर बदला गया है ? यदि हां, तो कब से कब तक कहां कहां और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में गम्भीर आरोपों के साथ जिलाधीश झालावाड़, सचिव जिला परिषद्, विकास आयुक्त एवं माननीय पंचायत मंत्री को शिकायती पत्र जांच हेतु लिखे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जो कार्यवाही की गई है उसका लिखित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) क्या यह सही है कि दिनांक, 8 नवम्बर, 68 को पंचायत समिति की जनरल मीटिंग ने उक्त समस्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त करते हुए उक्त अध्यापिका को सड़क वाले किसी स्कूल में लगाये जाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया था ? यदि हां, तो विकास अधिकारी ने उक्त निर्णय की पालना कब की और यदि नहीं की, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

महात्मा गांधी अस्पताल की नर्सों के भोजन का व्यय

14. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार पुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सों के होस्टल में कुछ नर्सें बिना मैस मनी जमा करवाये और बिना खर्चा दिये खाना खाया करती हैं ? यदि हां, तो उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी आज्ञा किस आधार पर और कौन देता है ?

(3) एक नर्स को कितना रुपया मैस मनी के नाम पर नकद जमा करवाना पड़ता है ?

(4) एक नर्स का एक महीने का औसतन क्या भोजन का खर्चा होता है ?

(5) सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती है ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(3) एक नर्स को 60) रु० जमा करवाना पड़ता है।

(4) करीब 60) रुपये।

(5) सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जाती हैं।

(अ) छात्रावास में रहने की सुविधा निशुल्क दी जाती है।

(ब) बिजली एवं पानी की सुविधा निशुल्क दी जाती है।

(स) यूनीफार्म वार्षिक —3 प्रतिवर्ष दी जाती है। (निशुल्क)

(द) नर्सिंग शिक्षा निशुल्क दी जाती है।

(प) 60 रुपये खाना खर्चा के अलावा 30 रुपये प्रतिमास प्रति छात्रा को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।

ग्राम पंचायत, धमाना की बैठकें

15. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) 1 अप्रेल सन् 67 से लेकर अब तक जिला चित्तौड़गढ़, पंचायत समिति कपासन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धमाना की कब कब बैठकें हुई और उनमें कितनी कितनी उपस्थिति रही ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत की बैठकें निर्धारित समय पर न बुलाये जाने की सरपंच के विरुद्ध शिकायतें दूसरे पंचों द्वारा जिलाधीश एवं राज्य सरकार को कई बार की गई हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. नियमित बैठकें नहीं हुई।

2. जी हां। शिकायतें प्राप्त हुई और उनकी जांच करवाई गई।

मेड़ता रोड़ पर चिकित्सा सुविधा

16. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता तहसील में मेड़ता शहर के बाद मेड़ता रोड़ सबसे बड़ा कस्बा है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां करीब 8 हजार की आबादी होते हुए भी किसी तरह की आयुर्वेदिक या एलोपैथिक सुविधा नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार वहां शीघ्र ही अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. चालू योजना में धनाभाव के कारण फिलहाल ऐसा सम्भव नहीं प्रतीत होता है पर भवन उपलब्ध होते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोखा चांदावतान के उप-केन्द्र ग्राम रेण को मेड़ता रोड में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा। आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट ओरिएन्टेशन कोर्स के लिये अंग्रेजी का ज्ञापन

17. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को यह विदित है कि लोक सभा सदस्यों, विधायकों प्रमुखों व प्रधानों को नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट ओरिएन्टेशन कोर्सेस में शामिल होना चाहिए पर प्रशिक्षणार्थी सदस्यों को अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होने के कारण जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वे इसका लाभ नहीं उठा सके ?

(2) यदि हां, तो जब लोक सभा व विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के समय अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य नहीं है तो फिर उपरोक्त कोर्स के लिए यह ज्ञान अनिवार्य क्यों है ?

उत्तर

(1) अंग्रेजी का साधारण ज्ञान आवश्यक है ।

(2) प्रशिक्षण देने वाली संस्था नेशनल इन्सटीट्यूट आफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट में देश के सभी राज्यों के अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण में विदेशी प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं । फलस्वरूप वहां अधिकतर व्याख्यान अंग्रेजी में होते हैं, जिससे अंग्रेजी के ज्ञान बिना प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई होती है । इसलिए अंग्रेजी के ज्ञान नहीं रखने वाले अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जाता ।

घग्घर बाढ़ के पानी से नहर द्वारा सिंचाई व पीने के पानी की व्यवस्था

18. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील सरदार-शहर, तारानगर व डूंगरगढ़ जिला चूरू के 90 प्रतिशत गांवों में खारा पानी है व हर दूसरे साल अकाल पड़ता है ? यदि हां, तो उनको अकाल से बचाने व पीने का पानी देने के लिए क्या सरकार घग्घर बाढ़ के पानी से नहर द्वारा पीने व सिंचाई हेतु पानी दिया जाने के लिए कोई स्थाई प्लान बना रही है ?

उत्तर

इन तहसीलों के गांवों में कई जगह खारा पानी है व कहीं कहीं अकाल भी पड़ता है । घग्घर बाढ़ के पानी से नहर द्वारा इन तहसीलों को पीने का व सिंचाई हेतु पानी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम पंचायत, डग द्वारा आवंटित भू-खण्डों के सम्बन्ध में की गई जांच

19. श्री लक्ष्मण तानीवाल : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की ग्राम पंचायत, डग द्वारा मोटर स्टेंड पर जो प्लाट एलाट किये गये थे उनके

(श्री लक्षमण तानीवाल)

सम्बन्ध में जिलाधीश की शिकायत किये जाने पर इस सम्बन्ध में डी. डी. ओ. द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम रहे ?

(2) यदि जांच में उक्त एलाटमेंट अनियमित पाये गये थे तो क्या सरकार उन्हें रद्द करके उन्हें अलाट करने के निर्देश देगी, जिन्होंने पहले प्रार्थना-पत्र दिये थे और सौ सौ रुपये भी जमा करा दिये थे ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रारम्भिक जांच से भूमि का विक्रय अनियमित पाया गया।

(2) विस्तृत जांच जारी है और जांच परिणाम के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

बीड़ पर अनधिकृत कब्जा

20. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्राम बड़ा नया गांव में जंगलात की सैकड़ों बीघा बीड़ पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? अगर हां, तो किसने, कब व कितनी भूमि पर ? कृपया भूमि के नम्बर व रकबा बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि का वेचान भी रजिस्ट्री द्वारा करवाया गया है ?

(3) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम बड़ा नया गांव, में जंगलात का कोई बीड़ नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत सेंमली द्वारा बेचे गये भू-खण्ड

21. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि पंचायत सेंमली ने पंचायत समिति, नगर की मारफत 50 प्लाट 90×100' प्रति प्लाट 310) रु० में बेचे थे ? यदि हाँ, तो क्या इन प्लाटों पर मकान बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सहायता की रकम 1000 प्रति प्लाट (प्रति व्यक्ति) 8-12-64 में दे दी गई थी ? यदि हां, तो क्या इस रकम की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र मिल चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भोपालगढ़ पंचायत में भी इसी प्रकार पंचायत ने प्लाट बचे हैं और सहायता निर्माणार्थ दी गई है। यदि हां, तो कितने प्लाट दिये गये हैं तथा सहायता कितनी प्रति प्लाट प्रति व्यक्ति दी गई है ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

1. पंचायत ने 43 प्लोट 300) रु० की दर से बेचे। 5 प्लाट पर मकान बन चुके। बाकी के अर्थाभाव से नहीं बन पाये हैं।

2. जी नहीं।

3. पंचायत भोपालगढ द्वारा 21 प्लाट विक्रय किये गये। निर्माण के लिये सहायतार्थ राशि नहीं दी गई।

जयपुर में डिस्ट्रिक्ट शेल्टर और रेस्क्यू होम का स्थान

22. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार का यह निर्णय है कि डिस्ट्रिक्ट शेल्टर और रेस्क्यू होम दोनों एक-स्थान पर न होकर पृथक् पृथक् होने चाहिये ?

(2) क्या जयपुर में डिस्ट्रिक्ट शेल्टर तथा रेस्क्यू होम में एक ही स्थान पर हैं और इसके कारण रेस्क्यू होम निवास करने वाली बालिकाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

(3) क्या जयपुर में रेस्क्यू होम में शिक्षा की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था है ?

(4) जयपुर रेस्क्यू होम में कुल कितना स्टाफ है ? स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रखें। स्टाफ में से कौन कौन व्यक्ति रात-दिन वहां रहता है ?

(5) रेस्क्यू होम में वर्तमान में कितने आश्रय पा रहे हैं और उनके वस्त्रों तथा भोजन की क्या व्यवस्था है ? वर्ष में प्रत्येक को क्या क्या वस्त्र दिये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। दोनों अलग 2 स्थानों पर हैं। महिला सदन जयपुर में पुराने घाट पर और जिला आश्रय गृह आदर्श नगर बस्ती में स्थित है।

(3) जी हां। महिला सदन में रहने वाली आवासनियों की शिक्षा के लिए सदन में निम्नलिखित व्यवस्था है।

1. सदन में शिक्षा के लिए एक अध्यापिका नियुक्त है। उन्हें सिलाई आदि का प्रशिक्षण देने के लिये एक अंशकालीन परिशिक्षिका भी नियुक्त है।

2. उनके अतिरिक्त आवासनियों को अल्पकालीन शिक्षा के लिये अनुदानित संस्था में भेजा जाता है।

3. सदन की बालिकाओं को अध्ययन हेतु नियमित शिक्षण संस्थाओं में भी भेजा जाता है।

4. जयपुर महिला सदन में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 18 है व उनकी सूची अ: सदन की मेज पर रख दी गई है। उनमें से अधीक्षिका एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो चौकीदार है सदन में रात-दिन रहते हैं।

5. महिला सदन जयपुर में कुछ समय 70 आवासनियां रह रही हैं। प्रत्येक आवासिनी के लिये विभाग की ओर से भोजन व वस्त्रादि की निशुल्क व्यवस्था की जा रही हैं निर्धारित दर के अनुसार प्रदत्त सुविधाओं की सूची: अ: सदन की मेज पर रख दी गई है।

जयपुर महिला सदन के आवासनियों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची :अः

क्रमांक	नाम वस्तु	ग्रुप
		ग्रुप :सः महिला सदन, उत्तर रक्षा गृह जिला आश्रय गृह : महिलाएं
1.	आटा	10 छटांक ग्राम 583
2.	नाश्ता	10 नये पैसे
3.	सब्जी	10 नये पैसे
4.	दाल	$6\frac{1}{2}$ छटांक 58 ग्राम
5.	घी डालडा	1 तोला 12 ग्राम
6.	मीठा तेल सब्जी	1 तोला 12 ग्राम
7.	चावल	1 पाव प्रति सप्ताह: डेढ पाव आटा के बजाय 233 ग्राम
8.	चीनी एवं गुड़	1 माह चीनी एवं एक पाव गुड़ : प्रति माह प्रति आवासनी 233 ग्राम :
9.	मसाले नमक के अतिरिक्त	2 तोला, 23 ग्राम
10.	लकड़ी	सवा सेर प्रति आवासी प्रतिदिन 25 आवासी तक 1.233 ग्राम। इसके ऊपर 1 सेर 1 किलो
11.	मिट्टी का तेल	2 बोतल प्रति आवासी प्रति माह जहां बिजली नहीं हो बिजली का खर्च 1 रुपया प्रति आवासी प्रति माह 20 आवासी तक 2 रु० से अधिक न हो
12.	विशेष भोजन	1.25 प्रति आवासी प्रति माह 1 समय के भोजन के अलावा
13.	सिर का तेल	डेढ छटांक प्रति सप्ताह प्रति आवासी 87 ग्रा

14.	साबुन	1.25 न. पै. प्रति आवासी प्रति माह कपड़े धोने का
15.	क्षोरकम	—
16.	बीमारी के लिये भोजन	डाक्टर की राय के माफिक
17.	बिस्तर	दर 1 गद्दा 1 चद्दर 2 खेस 2 तकीया 6 गिलास 2 कच्छी 2 प्रति आवासी ।
18.	पोशाक	साड़ी 3, पेटीकोट 3, ब्लाउज 3, चड्डी 3, बोडी 2, टावल 2 कोट ऊनी 1, कन्घा 2, रिबन जोड़ी 2, जूता जोड़ी 1, चप्पल जोड़ी 1, 10 रु० तक जिला वाक्य में जूता जोड़ी 1, 5 रु० तक ।
19.	अन्य : बक्स	1 मय ताला, चारपाई 1, थाली 1, कटोरा, 2 गिलास
20.	दूध	500 ग्राम दूध, प्रति बच्चा 7 वर्ष तक के बालक बालकों को प्रति दिन प्रति आवासनी ।

जयपुर महिला सदन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची : अ :

1,	अधिक्षिका	1
2.	सहायक अधिक्षिका	1
3.	अन्वेषक	1
4.	लेखालिपिक	1
5.	कनिष्ठ सहायक	1
6.	ड्राइवर	1
7.	अध्यापिका	1
8.	अंशकालीन प्रशिक्षिका	1
9.	नर्स	1
10.	अंशकालीन डाक्टर	1
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8

पंचायत समिति, लाडनूं का प्रस्ताव

23. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को किसी अधिकारी के खिलाफ जांच से सम्बन्धित कोई रेकार्ड न देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त प्रस्ताव को निरस्त भी किया है ? यदि हां, तो किसकी मांग पर, किन कारणों से और कब किया गया ? निरस्त करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त कार्यवाही में पंचायत समिति के विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी को दोषी पाया गया हो तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

1. जी हां, प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखी गई है।

2. जी नहीं।

3, अभी विकास अधिकारी से केवल स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिवगंज में साप्ताहिक अवकाश

24. श्री दौलतराम सारण-(डूंगरगढ) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या शिवगंज में साप्ताहिक अवकाश लागू करने की मांग नगरपालिका शिवगंज (जिला सिरोही) गुमास्ता मजदूर यूनियन शिवगंज और वहां के व्यापारी काफी समय से कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या श्रम आयुक्त ने उन्हें सन् 1961 की जनगणना के अनुसार इस कस्बे की जनसंख्या दस हजार न होने के कारण साप्ताहिक अवकाश घोषित न कर सकने की लिखित सूचना दी है ? यदि हां, तो कब ? इस कस्बे की जनसंख्या कितनी है ?

(3) क्या राजस्थान में दस हजार की जन संख्या से कम आबादी वाले किसी भी कस्बे में साप्ताहिक अवकाश घोषित नहीं है ? यदि है, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि शिवगंज एक विकासशील कस्बा है तथा यहां काफी नई आबादी जनगणना के पश्चात् आकर बस चुकी है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस कस्बे में साप्ताहिक अवकाश घोषित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1. जी हां। दिनांक 10-2-67 से।

(श्रम मंत्री)

2. जहां, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1235 दिनांक 22-1-68 द्वारा मंत्री गुमास्ता मजदूर यूनियन शिवगंज को सूचित किया जा चुका है। इस कस्बे की जन संख्या जनगणना 1961 के आधार पर केवल 9,766 है। इस कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है। इसकी जानकारी नहीं है।

3. केवल फुलेरा कस्बे में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत साप्ताहिक अवकाश रखने के बारे में सरकारी आज्ञा जारी की गई थी। चूंकि इसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक थी।

4. सरकार को जनसंख्या की वृद्धि की जानकारी नहीं है, चूंकि जनसंख्या के मापने का आधार केवल जनगणना है।

5. जी हां, इस बारे में इस विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 5-9-68 द्वारा सरकार ने शॉप एक्ट लागू करने के अभिप्राय के लिये 3 माह की विज्ञप्ति जारी की थी। तथा दिनांक 7-1-69 से राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम की धारा लागू कर दी है।

ग्राम पंचायत छत्रपुर का पंचायत भवन

25. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत छत्रपुर, जिला झालावाड़ का पंचायत भवन अभी अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) पंचायत-भवन क्या ठेका देकर बनाया गया था ? यदि हां, तो ठेका कितने रुपये में व कब दिया गया ? ठेकेदार कौन था ? ठेके के एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) पंचायत भवन अधूरा रहने की शिकायत पंचायत विभाग में कब आई ? और इसके बाद क्या कार्यवाही की गई ? ठेकेदार को रकम कितनी पेमेन्ट हो चुकी है और कार्य कितना बाकी है ?

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

1. जी हां। ठेकेदार के काम पूरा न करने से अपूर्ण है।

(2) पुरानी सराय की बिल्डिंग में मरम्मत व रद्दो-बदल कर पंचायत भवन बनाने का ठेका सन् 1958 में श्री मदनलाल महाजन को 5000) रु० में दिया गया था। ठेके की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखी गयी है।

(3) पंचायत भवन अपूर्ण रहने की शिकायत विभाग में आना पाया नहीं जाता। ठेकेदार को 5000) रु० का भुगतान हो चुका है। कार्य कुछ बाकी है।

(4) ठेकेदार को बार बार कार्य पूर्ण करने की हिदायत करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गयी।

शरायत सराय ठेका (पंचायत श्री छत्रपुर)

(1) नीव की रंगन लेकर 2 फुट कुर्सी।

(2) दाशा अगला 4 इंची, पिछला (अन्दर का) 3 इंची।

(3) कुर्सी के ऊपर दीवारे 3 फुट, चोदे के चोटे 2) फुट (8 फुट के ऊपर)

(4) हर कोठरी में एक दरवाजा एक खिड़की रहेगी। कोठरियां आगे 10 पहले की तरह से रहेगी।

(5) हर कोठरी के आगे बरामदा 8 फुट का (जो पहले से बना है उसी प्रकार रहेगा)

(6) हर एक कोठरी में एक मियाल (12 फुट लम्बी, $1\frac{1}{2}$ फुट चौड़ी 4 इंची मोटी) डण्डे 3 इंची मोटे रहेंगे।

(7) हर कोठरी में बरामदे पर कातलो (पक्के) की साया करनी होगी-कोई भी $3\frac{1}{2}$) भी चलेगा।

(8) कोठरी व बरामदे में पहले करह फर्सी होगी फर्सी का पत्थर पक्का होगा।

(9) अगले बरामदे के थड़े पहले के मुताबिक रहेंगे।

(10) सराय के दरवाजे की पूरी तरह मरम्मत (चूना बद) मय छत कुटाई।

(11) सराय के उत्तरी भाग में से काईन हाऊस एक चपरासी के रहने का मकान हर दो क्वार्टर 10 फुट गुणा 12 फुट कातले पोस मय मुयाल थडे व फर्सों के बनेंगे व बीच में खुला रहेगा। जैसा की नक्शे हाजा में बतलाया गया है व मवेशियों को रोकने के लिए आधा दरवाजा बनेगा।

(12) सराय के पूर्व में जो क्वार्टर व बरामदा बना है वह बदस्तूर कायम रहेगा परन्तु उक्त क्वार्टरों की व बरामदे पूरी पूरी मरम्मत होगी।

(13) पूर्व में जो दीवार आधे भाग में हैं व बदस्तूर पहले जैसे रहेगी परन्तु खिड़कियां नहीं रहेगी।

(14) इमारत तैयार हो जाने के बाद तमाम दीवारों व कोठरियों का पलास्टर भाग के होगी।

(15) हर दीवार 1।। फुट चौड़ी रहेगी।

(16) पूरा कार्य गुनिया, सावल का बनाया जावेगा।

(17) इमारत की चुनाई मिटी की होगी, मिटी गरनावद की होनी चाहिये।

(18) किवाड़, खिड़कियां, दरवाजा सदर (आधा) व दरवाजा (आधा) का काईन हाऊस जो कम होगा जो पहले मौजूद है। उसकी मरम्मत पूरी तरह करना व जो समान कम होगा वह नया लाना होगा किवाड़ फड़ के होंगे।

(19) खिड़कियों में तार होंगे।

गिरवी रखे हुए पावर हाउस आदि

26. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने पावर हाउस व बिजली की लाईन कहां से कहां तक की किसके तहत कब कब से गिरवी रखी गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पावर हाउस व लाइनों के गिरवी रखने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय साधन जुटाने के लिये।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील खैरवाड़ा का परेडा तालाब

श्री विद्यासागर (खैरवाड़ा सु.): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परेड़ा तालाब, तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर में कब बनाया गया था और उसकी क्या लागत थी ?

(2) परेड़ा तालाब से कितनी जमीन पीवल होती है ?

(3) क्या यह सही है कि परेड़ा तालाब इस समय टूटा हुआ है ?

(4) यदि हां, तो इसके पुर्ननिर्माण हेतु राज्य सरकार ने क्या इसका कोई एस्टीमेट बनाया है ? यदि हां, तो एस्टीमेट क्या हैं ? व कार्य कब शुरू करवाया जायगा ?

(5) इस तालाब के फूट जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

1. सन् 1961 में इस पर 53,000 रु० खर्च हुआ था।

2. लगभग 30 एकड़।

3. जी हां।

4. जी, नहीं लेकिन अब अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस कार्य को किये जाने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

5. अधिक वर्षा का होना।

परिशिष्ट (5)

(अतारांकित प्रश्न संख्या—5 की सूची)

जिलेवार स्वीकृत प्रावधान की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	(1) राजस्थान में असहाय सहायता के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। जिलेवार बतावें
1	अजमेर	30000)
2	अलवर	20000)
3	बांसवाड़ा	35000)
4	बाड़मेर	100000)
5	भरतपुर	—
6	भीलवाड़ा	20000)
7	बीकानेर	165000)
8	बूंदी	15000)
9	चित्तौड़ गढ	20000)
10	चूरू	60000)
11	डूंगरपुर	30000)
12	गंगानगर	5000)
13	जयपुर	10000)
14	जैसलमेर	105000)
15	जालोर	20000)
16	झालावाड़	5000)
17	झुंझनू	20000)
18	जोधपुर	60000)
19	कोटा	5000)
20	नागौर	10000)
21	पाली	15000)
22	सवाईमाधोपुर	5000)
23	सीकर	10000)
24	सिरोही	15000)
25	टोंक	10000)
26	उदयपुर	15000)
		योग 8,05,000/—

असहाय व्यक्तियों की जिलेवार सूची

क्र०सं०	नाम जिला	राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कुल कितने असहाय व्यक्ति है ? जिलेवार संख्या बतलावें ।
	(2)	
1	अजमेर	1000
2	अलवर	शून्य
3	बांसवाड़ा	597
4	बाड़मेर	1337
5	भरतपुर	सूची तैयार की जा रही है
6	भीलवाड़ा	430
7	बीकानेर	1337
8	बूंदी	सूची तैयार की जा रही है।
9	चित्तौड़गढ़	73
10	चूरू	596
11	डूंगरपुर	1000
12	गंगानगर	200
13	जयपुर	सूची तैयार की जा रही है।
14	जैसलमेर	170
15	जालौर	1194
16	झालावाड़	सूची तैयार की जा रही है।
17	झुंझनू	302
18	जोधपुर	1807
19	कोटा	सूची तैयार की जा रही है।
20	नागौर	378
21	पाली	सूची तैयार की जा रही है।
22	सवाई माधोपुर	सूची तैयार की जा रही है।
23	सीकर	565
24	सिरोही	647
25	टोंक	सूची तैयार की जा रही है।
26	उदयपुर	222
		योग 12,457

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1969)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	अन्तिम	चायत	पंचायत
5	अन्तिम से 15	सीक्रेट	सीक्रेट
11	अन्तिम से 7	व	वह
17	अन्तिम से 11	1,47,व36,17 पैसे	1,47,936·17 पैसे
53	14	फसला	फैसला
55	4	कर जायेगा	कर दिया जायेगा
55	अन्तिम से 12	तो	को
58	8	वहार	बाहर
65	अन्तिम से 6	स्पष्टपेषग	स्पृष्टपेषण
67 से 73	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
77 से 80	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
79	अन्तिम से 4	मैं सदन कृषि क्षेत्र	मैं कृषि क्षेत्र
80	9	अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी	अध्यक्ष महोदय, मैं न्यूनतम मजदूरी
82	अन्तिम से 13	मुल्जमानों	मुल्जिमानों
85	अन्तिम से 9	मृह	गृह
96	अन्तिम से 5	ब	बड़ा
96	अन्तिम से 4	प्रेश	प्रेशर
100	अन्तिम से 14	चाहिये	चाही
100	अन्तिम से	कांग्रस	कांग्रेस
102	1	मरडर्रस	मर्डरर
103	अन्तिम से 5	ला	लॉ
115	अन्तिम से 12	पाकि तान	पाकिस्तान
116	अन्तिम से 12	धन्यवाद का प्रस्तुत	धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत
131	अन्तिम से 8	गैरंटी	गारन्टी
133	2	चहाते	चाहते

2

1	2		3	4
137	शीर्ष		(श्री राकिशन)	(श्री रामकिशन)
138		15	काफा	काफी
142	अन्तिम से	6	हसने	हमने
142	अन्तिम से	5	चारा पाँच हजार और	चारा और पांच हजार
155		4	अज	ओज
156		13	व	वह
163	अन्तिम से	3	इस इस	इस
169	अन्तिम से	7	का	काम
171	अन्तिम से	9	दिने	दिये
172		6	नकदनाराणा	नकद नारायण
173	अन्तिम		तल्लीता	तल्लीनता
175		7	पराम्परा	परम्परा
184		1	हुए	कुंए
197	अन्तिम से	2	उपाध्यज	उपाध्यक्ष
198	अन्तिम से	3	सर्दी	सर्दी
201		8	हिचकिचाह	हिचकिचाहट
205	अन्तिम से	11	त्रटियां	त्रुटियां
205	अन्तिम से	8	दारा	द्वारा
208	अन्तिम से	3	यर	पर
211		2	संख्या की सूची	संख्या 8 की सूची
216		8	पे	की
226		12	पीरशिदिनका	परिशिक्षिका
227		10	आवासनी	आवासिनी
228		4	पर	परी
233	अन्तिम से	5	मिटी	मिट्टी